




भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India






वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

विषय सामग्री

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	सिंहावलोकन	1
2.	खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं	3
3.	खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमावली, 2011	5
4.	शासनादेश और संरचना — प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल	6
5.	प्रशासन और मानव संसाधन	15
6.	प्रवर्तन	16
7.	खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली — 2013	20
8.	गुणवत्ता आश्वासन और उत्पाद का अनुमोदन	* 21
9.	मानक प्रभागों	22
10.	कूटलिपि मामले	25
11.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	29
12.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	30
13.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	31
14.	सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)	33
15.	ई—शासन और पुस्तकालय	34
16.	आरटीआई मामले	35
17.	वित्तीय विवरण	37





सिंहावलोकन


वर्ष 2012—13 में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने को और अधिक बढ़ावा दिया। 5 अगस्त 2011 से खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 की अधिसूचना और छह विनियमों को लागू किया गया था। हालांकि, 2012—13 के दौरान, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जहर और अवशेष) संशोधन विनियम, 2012, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादों के मानक और खाद्य योजक) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2012, एवं खाद्य सुरक्षा और मानक नियम (संशोधन), 2013, जैसे कुछ संशोधन किए गए थे।

खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओज) को खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) द्वारा खाद्य प्राधिकरण के चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई में स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालयों और चंडीगढ़ और लखनऊ के दो उप क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन केंद्रीय लाइसेंस जारी किए गए। 2012—13 में, प्राधिकरण ने 9892 केंद्रीय लाइसेंस प्रदान किये और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने 3,59,446 लाइसेंस और 11,95,302 पंजीकरण जारी किए हैं। प्राधिकरण ने एएसएसओसीएचएएम, सीआईआई, फिक्की और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पीएचडी चैम्बर्स के सहयोग से, एफबीओज के बारे में जागरूकता/लाइसेंस देने के लिए देश भर में सफलतापूर्वक लाइसेंसिंग मेलों का आयोजन किया है। फरवरी 2013 में आजादपुर बाजार और दिल्ली में कुछ स्थानीय बाजारों में फल और सब्जियों का एक निगरानी अध्ययन आरंभ किया गया था। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस अधिनियम), 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए, नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और निर्णायक अधिकारियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

मौजूदा आठ वैज्ञानिक पैनलों के अलावा, वर्ष के दौरान मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए एक नया वैज्ञानिक पैनल गठित किया गया है। दूध और दूध उत्पादों, मांस और मांस उत्पादों एवं फलों और सिब्जियों के विशेषज्ञ समूह के लिए मानकों का विकास करने और विषय विशेष में कठोरता लाने के लिए कार्य समूह भी गठित किया गया था। वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर गहन चर्चा की। जैविक खतरों के पैनल ने दूध और दूध उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) मानकों को अंतिम रूप दिया और मांस और मांस उत्पादों, फल और सिब्जियों, मछली और मत्स्य उत्पाद, तथा पीने के पानी के दिशानिर्देश के सूक्ष्मजीव मानकों का मसौदा तैयार किया है। कार्यात्मक खाद्यों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आहार जित उत्पादों और इसी तरह के अन्य उत्पादों के पैनल द्वारा न्यूट्रास्यूटिकल्स, पोषकों, और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों आदि पर नियमन के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के एक मान्यता प्राप्त संजाल (नेटवर्क) के बगैर एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन संभव नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। आज तक एफएसएसएआई द्वारा भोजन के विश्लेषण के लिए परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए पैंसठ राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष के दौरान कुछ श्रेणियों के खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के मानकों को भी अंतिम रूप दिया गया।

बढ़ते वैश्वीकरण के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया भर में उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य पहुंच रहा है अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी) के रूप में खाद्य प्राधिकरण ने वर्ष 2012—13 के दौरान विभिन्न कोडेक्स समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने विभिन्न कोडेक्स समितियों में— ताजे फल और सब्जियों की कोडेक्स समिति (सीसीएफएफवी) में भिंडी और आलू के लिए





मानक, सीसी एशिया और एशिया में गिलयों में बेचे जाने वाले भोजन के लिए स्वच्छ खाद्य अभ्यास के लिए आचरण संहिता के विकास और खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स सिमित (सीसीएफएच) में अनाज के भंडारण के लिए स्वच्छ खाद्य अभ्यास के नए कार्यों के प्रस्तावों का प्रस्ताव रखा था। प्राधिकरण स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) के मुद्दों के लिए जांच बिंदु के रूप में भी कार्य करता है और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा, मानक, और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता निर्माण में सहयोग करनेवाले देशों के साथ नियमित रूप से भागीदारी करता है, उदाहरण के लिए, इस वर्ष नीदरलैंड्स के साथ एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

खाद्य प्राधिकरण ने देश में खाद्य आयात की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए प्रवेश के समुद्र, वायु और भूमि बंदरगाहों पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की है। 2012–13 के दौरान विभिन्न बंदरगाहों पर तैयार नमूनों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है।

स्वास्थ्य कवरेज और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा के देश के सार्वभौमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यक है। वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित एक व्यापक, समेकित खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम था। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में एफएसएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।





खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं

- खाद्य संबंधी कानूनों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक एकल अधिनियम बनाने पर लम्बे समय से काम चल रहा था तथा केन्द्र सरकार ने 2002 के बजट भाषण में अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। यह कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसके द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 प्रारंभ किया गया, जिसको अंततः संसद द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के रूप में अधिनियमित किया गया और 23.08.2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.08.2006 को भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग-II खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया। इसका प्रारूप विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श और अंतर मंत्रालयी समूहों तथा स्थायी संसदीय समिति की बैठकों में चर्चाओं / विचार-विमर्श श्रृंखला तथा मंत्रियों के समूह से मंजूरी के उपरांत तैयार किया गया था।
- इस कानून को पारित करने ने सितंबर 2008 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्माण के लिए प्रेरित किया। बल्कि बहु स्तरीय नियामक व्यवस्था से आत्म—अनुपालन पर ध्यान देने के साथ नियंत्रण की एक एकल पंक्ति के लिए एक बदलाव है। इससे केन्द्र और राज्यों में एक समान लाइसेंस / पंजीकरण व्यवस्था आरंभ हुई। जहां भी संभव हो कोडेक्स मानक के साथ तालमेल रखते हुए विज्ञान आधारित खाद्य मानकों की स्थापना करना एफएसएसएआई की प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। खाद्य मानकों की स्थापना वैज्ञानिक पैनलों और एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति के माध्यम से की जाएगी और अंतिम मंजूरी स्वयं प्राधिकरण देगा।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में मानव उपभोग के लिए तथा उनके साथ संबद्ध उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय तथा आयात नियंत्रण की कल्पना की गई है। यदि कोई एफबीओ इस अधिनियम के प्रारंभन पर रदद किए गए किसी भी खाद्य कानून/आदेश

- के तहत वर्तमान लाइसेंस/पंजीकरण का धारक है, तो संबंधित एफबीओ आवश्यक पंजीकरण/लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर विद्यमान लाइसेंस या पंजीकरण को बिना किसी परेशानी के खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम में पंजीकरण या लाइसेंस के रूप में परिवर्तित करवा सकते हैं।
- छोटे एफबीओज का पंजीकरणः छोटे खुदरा व्यापारी, फेरीवाले (हॉकर), घुमंतू विक्रेता या अस्थायी स्टाल धारक या छोटे पैमाने या झोपड़ी या छोटे खाद्य व्यापार संचालक या खाद्य व्यापार से संबंधि त इस तरह के अन्य उद्योगों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 (खाद्य व्यापारों के लाइसेंस और पंजीकरण) के तहत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है। लेकिन खाद्य सुरक्षा की अपेक्षित सफाई और स्वच्छ आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए, पंजीकरण कराना छोटे एफबीओज के लिए भी अनिवार्य है। इस तरह के छोटे खाद्य व्यापार संचालक जिनका सालाना कारोबार 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है तथा/अथवा जिनकी:
- क) खाद्य (दूध और दूध उत्पाद तथा मांस और मांस उत्पादों को छोड़कर) की उत्पादन क्षमता 100 किग्रा / लीटर प्रति दिन से अधिक नहीं है या
- ख) दूध का उत्पादन या प्रापण या संग्रहण 500 लीटर प्रति दिन तक है या
- ग) वध क्षमता 2 बड़े जानवर या 10 छोटे जानवर या 50 पोल्ट्री पक्षी प्रति दिन या उससे कम है
- छोटे एफबीओज के पंजीकरण के लिए पंजीकरण के लिए शुल्क मात्र 100/- रूपये रखा गया है और पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया गया है।
- सुधार नोटिसः एफबीओ द्वारा आत्म—अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, एफएसएस अधिनियम की धारा 32 में मनोनीत अधिकारी द्वारा एफबीओ को सुधार नोटिस जारी करने का भी प्रावधान किया गया है। तथापि, अगर एफबीओ सुधार नोटिस का




अनुपालन करने में विफल रहता है, तो, लाइसेंस रद्द / निलंबित किया जा सकता है।

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां और दुरूपयोग हेतू दंडः खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 38 की उप धारा 6 के तहत किसी खाद्य विनिर्माता अथवा वितरक / डीलर के अधिकार में अथवा एफबीओ के उपभोगाधीन किसी परिसर में कोई अपमिश्रण पाया जाता है जहां वह उसका हिसाब एफएसओ की संतुष्टि के अनुरूप देने में असमर्थ है, के विरूद्ध कार्यवाहियां अभियोजन प्रारंभ करने, बहीखाते या अन्य दस्तावेज इत्यादि जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु एफएसओ द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ किया जाएगा। तथापि, यदि एफएसओ अपनी शक्ति का दुरूपयोग करता है, वह भी इस अधिनियम की धारा 39 के तहत दंड का भागी होगा जो रू. 1 लाख तक हो सकता है।
- सिविल न्यायालय के न्यायाधिकारी की शक्तियां: खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 68 न्याय

प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायाधिकारी (एओ) को धारा

- खरीदार / उपभोक्ता की खाद्य नम्ना विश्लेषण कराने की शक्ति : इस अधिनियम की धारा 40 किसी भी खाद्य वस्तू के खरीदार को खरीदने के समय पर ऐसी खाद्य वस्तुओं का विश्लेषण करवाने के अपने आशय की सूचना / जानकारी एफबीओ को देने और खाद्य सुरक्षा तथा मानक (प्रयोगशाला एवं नमूनों के चयन का विश्लेषण) विनियमावली, 2011 के तहत निर्धारित खाद्य विश्लेषक / प्रयोगशाला को विश्लेषण प्रभार के रूप में रू. 1000 / - अदा करके उनका खाद्य विश्लेषण करवाने हेतु सक्षम बनाती है। यह प्रावधान खरीदार/उपभोक्ता को शक्ति प्रदान करने हेत् बनाया गया है, क्योंकि खाद्य उत्पाद उसी के लिए बनाए जा रहे या बिक्री किए जा रहे हैं।
- दोषपूर्ण मार्का वाले खाद्य के लिए जुर्माना : दोषपूर्ण मार्का वाले खाद्य के लिए इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने की व्यवस्था दी गई है, जो 3 लाख रू. तक हो सकता है।






खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमावली, 2011

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के साथ खंड 92 की उप धारा (2) के खण्ड(0) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एफएसएसएआई ने 1 अगस्त 2011 को भारत के राजपत्र में निम्नलिखित नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया और 5 अगस्त, 2011 से ये प्रभावी हुए हैं:
 - खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस तथा पंजीकरण) विनियमावली, 2011
 - खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण; पैकेजिंग तथा लेबलिंग) विनियमावली, 2011
 - खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण; खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी) विनियमावली, 2011 (भाग1)
 - खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (विक्रय निषेघ तथा प्रतिबंध) विनियमावली, 2011
 - खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (संदूषक, विषैले

- तत्व और अवशेष) विनियमावली, 2011
- खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (संदूषक, विषैले तत्व और अवशेष) विनियमावली, 2011
- इसके साथ ही, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखत अधिनियमों और आदेशों को निरस्त कर दिया गया है, 5.8.2011 से प्रभावी।
- III. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 5.8.2011 से लागू कर दिया गया है। खाद्य नियामक ढांचे को अब खाद्य अपमिश्रण के सीमित रोकथाम के क्षेत्र से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के क्षेत्र में ले जाया गया है।
- IV. मौजुदा खाद्य मानक की समीक्षा और कोडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ उसे संरेखित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की स्थापना के रूप में जोखिम मुल्यांकन निकायों के वैज्ञानिक ढांचे को स्थापित कर दिया गया है।






एफएसएसएआई का आदेश-पत्र और संरचना

स्थापित किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली — 110002 में अवस्थित है। से संबंधित सभी मामलों के लिए नियामक संस्था है और बहु—स्तरीय, बहु विभागीय नियंत्रण से—कमान की एक पंक्ति 27 जनवरी 2012 को श्री के. चंद्रमौली अध्यक्ष के रूप में में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सामंतराय, एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रशासनिक मंत्रालय है। एफएसएसएआई के अध्यक्ष और हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में परिकल्पित मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को 2008 में की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में एफडीए

एफएसएसएआई में शामिल हुए। श्री एस. एन.मोहंती 7 मई, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 तक एफएसएसएआई के मुख्य भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याँण मंत्रालय, कार्यकारी अधिकारी थे। वर्तमान में श्री दिल्लीप कुमार





भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना

खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित बाइस सदस्य होंगे जिनमें एक तिहाई महिलाएं होंगी, नामत:-

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों अथवा विभागों के प्रतिनिधित्व हेत् सात सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जो भारत सरकार के (च) संयुक्त सचिव से कम पदस्तर के नहीं होंगे :-
 - कृषि,
 - वाणिज्य,
 - उपभोक्ता
 - खाद्य प्रसंस्करण
 - स्वास्थ्य.
 - (vi) विधायी कार्य,
 - (vii) लघु स्तर उद्योग, जो पदेन सदस्य होंगे;
- (ख) खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि जिनमें एक लघु स्तर उद्योग से होगा:
- उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि:
- तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् अथवा वैज्ञानिक;
- पांच सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष के चक्रानुक्रम में नियुक्त

किए जाएंगे, इनमें प्रत्येक जोन से क्रमानुसार एक सदस्य होगा जैसाकि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है:

- किसानों के संगठनों के दो प्रतिनिधि:
- खुदरा व्यापारियों के संगठनों का एक प्रतिनिधि।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो खाद्य प्राधिकरण के कानूनी प्रतिनिधि और खाद्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की गई:

बैठक का नाम	माह
प्राधिकरण की नौवीं बैठक	6 जून 2013
प्राधिकरण की दसवीं बैठक	20 सितंबर 2012
प्राधिकरण की ग्यारहवीं बैठक	30 नवम्बर 2012

खाद्य प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों की सूची अनुलग्नक-। में दी गई है।



खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य

- खाद्य प्राधिकरण का कर्तव्य खाद्य के विनिर्माण, (3) खाद्य प्राधिकरण निम्न भी करेगा प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री तथा आयात का नियंत्रण होगा ताकि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सुनिश्चित किया जा सके।
- खाद्य प्राधिकरण, उप–धारा (1) को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है:-
 - (क) खाद्य वस्तुओं के संबंध में मानक और दिशानिर्देश तथा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न मानकों के प्रवर्तन हेतु एक उपयुक्त प्रणाली का विनिर्देशन:
 - (ख) खाद्य संयोजियों, शस्य संदूषकों, पीड़कमारों, अवशेषों, पशु औषधियों के अवशेषों, भारी धातुओं, प्रसंस्करण साधनों, माइको-टॉक्सिन्स, प्रतिरक्षियों तथा भेषजीय सक्रिय पदार्थों और खाद्य प्रदीपनों के उपयोग हेतु सीमाएं;
 - (ग) खाद्य व्यवसाय हेत् खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन में संलग्न प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन हेतू तंत्र और मार्गदर्शी सिद्धांत;
 - (घ) भारत में आयातित किसी खाद्य वस्तु के संबंध में प्रक्रिया तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन;
 - (ङ) प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेत् प्रक्रिया तथा मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना;
 - (च) नमुना, विश्लेषण तथा प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सूचना विनिमय की विधि;
 - (छ) देश में इस अधिनियम के प्रवर्तन तथा प्रशासन का सर्वे संचालनः
 - (ज) खाद्य लेबलिंग मानक जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, विशेष आहार उपयोग हेतू दावे शामिल हैं और खाद्यों हेतू खाद्य संवर्ग प्रणालियां; तथा

- - (क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को खाद्य सुरक्षा तथा पोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में नीतियों तथा नियमों की रचना में वैज्ञानिक सलाह तथा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा;
 - (ख) प्रासंगिक वैज्ञानिक और तकनीकी डेटा की खोज, संग्रहण, सम्मिलन, विश्लेषण तथा सारांकन करेगा विशेषकर जो निम्नलिखित से संबंधित है-
 - (i) खाद्य उपभोग तथा व्यक्तियों पर खाद्य उपभोग संबंधी जोखिमों का प्रभावन;
 - (ii) रोगापतन और जैविक जोखिम की विद्यमानता;
 - (iii) खाद्य में संदूषक;
 - (iv) विभिन्न संदूषकों के अवशेष;
 - (v) उदभवशील जोखिमों की पहचान; तथा
 - (vi) त्वरित सतर्कता प्रणाली की शुरूआत;
 - (ग) जोखिम आकलन कार्यविधियों के विकास हेत् प्रोत्साहन देना. समन्वय करना तथा दिशानिर्देश जारी करना और खाद्य के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जोखिमों पर संदेश मॉनिटर तथा संचालित और केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को अग्रसारित करना;
 - (घ) खाद्य सुरक्षा के संबंध में संकट प्रबंधन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना तथा संकट प्रबंधन के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्थापित संकट इकाई के निकट सहयोग में काम करना:
 - (ङ) खाद्य प्राधिकरण के उत्तरदायित्व के भीतर क्षेत्रों में गतिविधियों के समन्वय, सूचना विनिमय, संयुक्त परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन, कौशल और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के आदान-प्रदान द्वारा



- वैज्ञानिक सहयोग संरचना के सुसाध्यीकरण के (4) उद्देश्य के साथ संगठनों के नेटवर्क की प्रणाली स्थापित करनाः
- (च) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग सुधार हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता मुहैया कराना;
- (छ) ऐसे सभी कदम उठाना जिससे जनता, उपभोक्ताओं, इच्छुक पक्षों तथा सभी स्तरों की पंचायतों को उपयुक्त विधियों तथा साधनों के माध्यम से तेजी के साथ, विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण तथा विस्तृत सूचना प्राप्त हो सके
- (ज) खाद्य व्यवसाय में खाद्य व्यवसाय प्रचालक या कर्मचारी या अन्य रूप में संलग्न अथवा संलग्न (5) होने के इच्छुक व्यक्तियों को खाद्य संरक्षा एवं मानकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, चाहे उनके क्षेत्र के भीतर हैं या बाहर, उपलब्ध कराना:
- (झ) केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य कार्य;
- (ङ) खाद्य, सफाई तथा पादप-स्वच्छता मानकों हेत् अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देना:
- (ट) विशिष्ट खाद्य संबंधी उपायों के समतुल्य मान्यता पर अनुबंध विकास हेतू योगदान देना, जहां प्रासंगिक और उपयुक्त है
- (ठ) अंतरराष्ट्रीय सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य मानकों पर कार्य के समन्वय को प्रोत्साहन देनाः
- (ड) देश में अपनाए गए सुरक्षा स्तर में कमी नहीं होना सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू खाद्य मानकों के बीच सामंजस्य को प्रोत्साहन देना
- (ढ) खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को प्रोत्साहन देना।

- खाद्य प्राधिकरण बिना किसी अनुचित विलम्ब के सार्वजनिक करेगा -
 - (क) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के अभिमत उनके स्वीकार किए जाने के तत्काल पश्चात:
 - (ख) खाद्य प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्यों तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों द्वारा की गई हित की वार्षिक घोषणा और बैठकों की कार्यसूची पर मदों के संबंध में की गई हित, यदि कोई, घोषणा:
 - (ग) वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम;
 - (घ) इसके कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदनय
- खाद्य प्राधिकरण समय समय पर खाद्य सुरक्षा तथा मानकों से संबंधित मामलों पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को निर्देश दे सकता है, जो इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय ऐसे निर्देशों द्वारा बाध्य होगा;
- खाद्य प्राधिकरण इसको प्राप्त होने वाली गोपनीय सूचना किसी तृतीय पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेगा जिसको गोपनीय माने जाने का अनुरोध किया गया है जो स्वीकार कर लिया गया है, सिवाय ऐसी सूचना के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु परिस्थिति की मांग के अनुरूप सार्वजनिक की जानी आवश्यक है।

एफएसएसएआई के कार्यकारी निर्माण खंड नीचे दिए गए हैं:

निर्माण खंड

विज्ञान आधारित खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानक

प्रभावी खाद्य सूरक्षा विनियम एवं एकीकृत खाद्य गुणवत्ता परीक्षण तथा खतरा आधारित निगरानी

समर्थन सेवाएं और संचार सभी हितधारकों के लिए

Issai

केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

- केन्द्रीय सलाहकार समिति में खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ताओं, संबंधित अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक के दो सदस्य होंगे तथा खाद्य सुरक्षा के सभी आयुक्त और वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।
- ii. संबंधित मंत्रालयों अथवा कृषि, पशुपालन तथा डेरी उद्योग, जैव—प्रौद्योगिकी, वाणिज्य तथा उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण तथा वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायत राज, लघु स्तर उद्योग और खाद्य और सार्वजनिक वितरण अथवा सरकारी संस्थानों अथवा संगठनों और सरकारी मान्यताप्राप्तं किसानों के प्रतिनिधि केन्द्रीय सलाहकार समिति के विचार—विमर्श में आमंत्रित किए जाएंगे।

के पदेन अध्यक्ष होंगे।

v. केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य क्षेत्र में परिचालित खाद्य प्राधिकरण तथा प्रवर्तन एजेन्सियों और संघटनों के बीच निकटवर्ती सहयोग सुनिश्चित करती है।

समिति का मूल कार्य प्राधिकरण को कार्य प्रोग्राम, कार्य की प्राथमिकता निर्धारण, संभावित जोखिमों की पहचान तथा ज्ञान के समूहन पर सलाह देना है।

वर्ष 2012—13 के दौरान, सीएसी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई:

बैठक का नाम	माह	
सीएसी की सातवीं बैठक	27 अप्रैल 2012	
सीएसी की आठवीं बैठक	17 जुलाई 2012	

केंद्रीय सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची अनलग्नक— II पर है

iii. मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय सलाहकार समिति अनुलग्नक— II पर है

सीएसी की सातवीं बैठक, 27 अप्रैल 2012









सीएसी की आठवीं बैठक, 17 जुलाई 2012









10

अध्यक्ष एवं 22 खाद्य प्राधिकरण के सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

केंद्रीय सलाहकारी समिति

वैज्ञानिक समिति

नौ वैज्ञानिकों का पैनल

खाद्य, स्वाद, प्रसंस्करण साधन और भोजन के साथ संपर्क में सामग्री

जैविक खतरे

कीटनाशक तथा प्रतिजैविक अवशेष

खाद्य श्रृंखला में संदूषित पदार्थ

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव और खाद्य पदार्थी

लेबलिंग दावे/विज्ञापन

फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यि्टिक्ल्स, आहार एवं अन्य समान उत्पाद

नमूनाकरण और विश्लेषण पद्धति

मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद

वैज्ञानिक समिति

वैज्ञानिक समिति खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक अभिमत विषयों के मामले में, वैज्ञानिक समिति द्वारा कार्य समूहों का उपलब्ध कराती है तथा इसको, जहां आवश्यक है, लोक गठन किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में, वैज्ञानिक अभिमत सुनवाई आयोजित करने का अधिकार होता है। वैज्ञानिक कायम करते समय उन कार्य समूहों की महारत का लाभ समिति वैज्ञानिक अभिमत की सुसंगति सुनिश्चित करने हेतु उठाएगी। विशेषकर वैज्ञानिक पैनल की कार्यविधियों के सामंजस्यीकरण तथा कार्य प्रक्रियाओं के अंगीकरण के संबंध में आवश्यक सामान्य समन्वय हेतु उत्तरदायी होगी। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत आने वाले तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर अभिमत मुहैया कराएगी। जहां कही आवश्यक होगा, तथा विशेष रूप से, किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आने वाले

वैज्ञानिक समिति में वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होंगे जो किसी वैज्ञानिक पैनल के नहीं हैं या उसके साथ संबद्ध नहीं हैं।

एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची अनुलग्नक-III में दी गई है।





वैज्ञानिक पैनल

खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक पैनल गठित करता है जिसमें 4. खाद्य श्रृंखला में संदूषित पदार्थ हेतु पैनल; स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल किए जाते हैं जो अपने विचार-विमर्श में संबंधित उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं। निम्नलिखित नौ (9) वैज्ञानिक पैनल 6. कीटनाशक तथा प्रतिजैविक अवशेषों हेतु पैनल; गित किए गए हैं.

- उत्पादों हेत् पैनल;
- नमूनाकरण और विश्लेषण पद्धति हेतु पैनल;
- संपर्क में सामग्री हेतु पैनल;

- जैविक खतरों हेतु पैनल;
- 7. लेबलिंग, दावों / विज्ञापन हेतु पैनल
- 1. फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यूटिक्ल्स, आहार एवं अन्य समान 8. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद्य पदार्थों हेतु पैनल।
 - 9. मत्स्य और मत्स्य उत्पाद हेतु पैनल

खाद्य, स्वाद, प्रसंस्करण साधन और भोजन के साथ ऊपर के नौ (9) वैज्ञानिक पैनलों के वर्तमान सदस्यों की सूची अनूलग्नक-IV पर है।



प्रशासन और मानव संसाधन

संस्थापन एवं प्रशासन

खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष पूरे प्राधिकरण के प्रमुख हैं जबिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख हैं। कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद, एफएसएसएआई देश भर भर्ती और नियुक्ति विनियम को अंतिम रूप देने के बाद में निम्नलिखित स्थानों से काम कर रहा है: स्वीकृत पदों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में, खाद्य प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति, मान्य प्रतिनियुक्ति, अनुबंधित कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने एफएसएसआई में बने रहने का विकल्प चुना है, अपने मामलों का प्रबंधन कर रहा है।

विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से स्थानांतरित कर्मचारी

विभिन्न मंत्रालयों से स्थानांतरित स्टाफ के विभिन्न सदस्य, जो इस समय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की दूसरी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध विभिन्न अधिनियमों / आदेशों से संबंधित कामों को संभाल रहे हैं, प्राधिकरण में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 90 के तहत काम कर रहे हैं। कानून मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्राधिकरण अपनी सेवा नियमावली तैयार भूवनेश्वर में प्रवर्तन/लाइसेंस से संबंधित कार्यों के लिए कर कर्मचारियों को विकल्प नहीं दे देता है, तब तक उन्हें और कोचिन, तूतीकोरिन, कांडला, पीपावाव, काकीनाडा, प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। भर्ती और नियुक्ति के मसौदा विशाखापत्तनम आदि जैसे प्रविष्टियों के विभिन्न बंदरगाहों नियम और मसौदा सेवा नियमावली को अंतिम रूप देने पर आयातित खाद्य की निकासी से संबंधित कार्यों के लिए के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन नए कार्यालयों का खोला जाना प्रस्तावित है। एफएसएसआई पर विचार किया जा रहा है। स्टाफ के जिन सदस्यों को 2013-14 की तीसरी तिमाही से कोचिन से कार्य करना एफएसएसएआई की धारा 90 के तहत स्थानातरित किया आरंभ कर देगा।

गया था, उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

- 1. दिल्ली
- 2. मुंबई
- 3. चेन्नई
- 4. कोलकाता
- 5. गुवाहाटी
- 6. लखनऊ
- 7. चंडीगढ
- 8. सोनौली
- 9. रक्सील
- 10. गाजियाबाद

हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलीर, भोपाल, पटना,

प्रवर्तन

राज्यों में खाद्य सुरक्षा का विनियमनः

भारत के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने 5 अगस्त 2011 को एफएसएस अधिनियम, 2006 को आरंभ किया। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के भीतर संबंधित क्षेत्रों के लिए निर्णायक अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, अधिसूचित नामित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा नए कानून के तहत 3,59,446 लाइसेंस और 11,95,302 पंजीकरण (मार्च 2013 तक) जारी किए गए हैं। राज्यों ने भी खाद्य उत्पादों के नमूने लिए हैं और अधिनियम और उसके प्रावधानों से विचलन करते पाए गए खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओएस) के खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले आरंभ किए गए हैं।

वर्ष 2012-2013 में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एफएसएस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और समन्वय के लिए प्राधिकरण ने निम्न कार्य किए हैं:

- सीएसी की बैठकें आयोजित कीं
- विनियमों के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी
- कदम उठाया
- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एक नियमित आधार पर नीचे दी गई है:


खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नामित अधिकारी, निर्णायक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक के आंकडों का संकलन और अद्यतन

- खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण की केंद्रीय ऑन-लाइन प्रणाली में सुधार और उन्नयन
- राज्यों से उनके द्वारा की जा रही विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों पर नियमित रूप से रिपोर्ट मांगा जा रही है।
- कुछ राज्यों ने योग्य खाद्य व्यापार संचालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण जारी करना आरंभ कर दिया है।

आईटी समर्थित खाद्य लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली की अवधारणा और कार्यान्वयनः

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नामित अधिकारियों तथा एफएसएसएआई और राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में के उपयोग के लिए आईटी समर्थित खाद्य लाइसेंसिंग / पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) की अवधारणा, क्रियान्वयन आरंभ करने की परियोजना स्मार्ट सरकार के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसजी) को सौंपी गई थी। एफएसएसएआई का ध्यान ई-शासन को प्रोत्साहित करने के संचालन समिति और ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए माध्यम से पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने, इसलिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ ऑन—लाइन लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली पर केंद्रित है। ऑन-लाइन लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली की रूपरेखा

लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली नीचे दिए गए अनुसारः





एफएसएसएआई ने वर्ष के दौरान केंद्रीय लाइसेंसिंग के पंजीकरण जारी किए हैं। अलावा, एनआईएसजी की मदद से 6 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ व हरियाणा) में सफलतापूर्वक ऑनलाइन लाइसेंस/पंजीकरण प्रणाली शुरू की है और वर्ष 2012-13 में 8692 ऑनलाइन केन्द्रीय लाइसेंस, 2730 ऑनलाइन राज्य लाइसेंस और 8571 राज्य

लाइसेंस और पंजीकरण

खाद्य व्यापार संचालकों के लाइसेंस और पंजीकरण में नीचे दिए गए अनुसार एक तीन स्तरीय ढांचे का अनुसरण किया

खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस प्रदान करना एवं पंजीकरण

केंद्रीय लाइसेंस प्राधिकरण

भारत के खाद्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी खाद्य सुरक्षा आयक्त की हैसियत से नामित अधिकारी

राज्य लाइसेंस प्राधिकरण

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लाइसेंस देने और निगरानी के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 36(1) के तहत नामित अधिकारी

पंजीकरण प्राधिकरण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी या राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पंजीकरण के उद्देश्य से अधिस्चित, किसी क्षेत्र के पंचायत, नगर निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय का अधिकारी

(क) एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी केन्द्रीय लाइसेंस

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की परिकल्पना के अनुसार, खाद्य व्यापार संचालकों में लाइसेंस देने का कार्य प्रगति पर है। एफएसएसएआई में केन्द्रीय लाइसेंस देने का कार्य चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई में स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों और चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित 2 उप क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्रीय लाइसेंस प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन है और खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) को कुशल प्रशासन (स्मार्ट गवर्नमेंट) के राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद द्वारा संभाला जा रहा है। एफएसएसएआई ने 31.03.2013 तक एफबीओज को 9892 केन्द्रीय लाइसेंस जारी किए हैं जिसमें नए और परिवर्तित दोनों प्रकार के लाइसेंस शामिल हैं। क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

	31.03.2013 तक जारा कन्द्राय लाइससा का				
	विवरण				
क्र. सं.	क्षेत्रीय/ उप—क्षेत्रीय कार्यालय	नये	रूपांतरण	जारी किये गये लाइसेंस की कुल संख्या	
1.	चंडीगढ़	361	213	574	
2.	चेन्नई	1287	969	2256	
3.	दिल्ली	1540	559	2099	
4.	गुवाहाटी	131	310	441	
5.	कोलकाता	687	463	1150	
6.	लखनऊ	301	413	714	
7.	मुंबई	1341	1317	2658	
	कुल	5648	4244	9892	



(ख) केन्द्र सरकार संगठनों के अधीन लाइसेंस

एफएसएसएआई भारतीय रेल के तहत 17 नामित अधिकारियों और 26 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन इकाई द्वारा चलाए जाने वाले कैंटीन और कैंटीन स्टोर डिपो (सीएसडी) सभी को केन्द्रीय लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लाइसेंसिंग और पंजीकरणः

सभी राज्य सरकारों ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, जिला वार नामित अधिकारियों, निर्णायक अधिकारियों और राज्य के संबंधित क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया है। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा नए कानून के तहत 3,59,446 लाइसेंस और 11,95,302 पंजीकरण (मार्च 2013 तक) जारी किए गए हैं। कुशल प्रशासन (स्मार्ट गवर्नमेंट) के राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने में राज्य के डीओएस और एफएसओज की सहायता कर रहा है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने पात्र खाद्य व्यापार संचालकों को ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण जारी करना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लाइसेंस/पंजीकरण पर रिपोर्ट

큙.	राज्य का नाम	जारी	जारी पंजीकरण
सं.		लाइसेंस	की संख्या
		की संख्या	
1	अंडमान एवं निकोबार	331	3394
	द्वीप समूह		
2	आंध्र प्रदेश	20288	40195
3	अरूणाचल प्रदेश	938	3495
4	असम	2752	1072
5	बिहार	5828	11886
6	चंडीगढ़	1871	2
7	छत्तीसगढ़	1797	1041
8	दादरा एवं नागर हवेली	200	106
9	दमन एवं द्वीव	174	1280
10	दिल्ली	Nil	12 C
11	गोवा	1471	8482

12	गुजरात	27871	74231
13	हरियाणा	2662	6275
14	हिमाचल प्रदेश	20233	59474
15	जम्मू और कश्मीर	3584	44436
16	झारखंड	1416	3051
17	कर्नाटक	13923	29034
18	केरल	24186	139094
19	लक्षद्वीप	Nil	
20	मध्य प्रदेश	13004	52256
21	महाराष्ट्र	125042	249830
22	मणिपुर	304	2205
23	मेद्यालय	517	475
24	मिजोरम	228	115
25	नागालैंड	Nil	
26	उड़ीसा	Nil	
27	पुदुचेरी	329	801
28	पंजाब	6601	47079
29	राजस्थान	23316	71277
30	सिक्किम	360	1959
31	तमिलनाडु	29121	203869
32	त्रिपुरा	348	612
33	उत्तराखंड	2924	22017
34	उत्तर प्रदेश	22861	98638
35	पश्चिम बंगाल	4976	17621
200	कुल	3,59,446	11,95,302

I. खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

एफएसएस अधिनियम की धारा 16 (2) (सी) के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए एक तंत्र प्रदान करना आवश्यक है और एफएसएस अधिनियम की धारा 44, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुपालन की जाँच के लिए संगठन या एजेंसी को मान्यता प्रदान करता है।

खाद्य प्राधिकरण मानता है कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार, उसने पिछले कुछ वर्षों में एफबीओज की क्षमता को उन्नत करने, उत्कृष्टता को बढावा देने और इसकी नियामक व्यवस्था के पूरक के लिए कई स्वैच्छिक पहलें की है। भोजन की सुरक्षा के लिए



महत्वपूर्ण कदम है, जिसे खाद्य श्रृंखला के हर महत्वपूर्ण तरीके से श्रेणियों में सूचीबद्ध करने के माध्यम से पूर्वानुमेयता, चरण में है लागू किया जाना चाहिए। एफएसएमएस निश्चितता और दिशा प्रदान करता है। यह एक संकृल कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और अव्यवस्था मुक्त तरीके से जानकारी प्रदान कर आसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान संचरण (नेविगेशन) को सक्षम बनाता है। यह भविष्य के करेगा और पैन भारत के आधार पर एक आपूर्ति श्रृंखला विनियामक विकास के लिए एक दिशा और स्थान प्रदान प्रबंधन करेगा।

एफएसएमएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति तैयार की गई है जिसमें एफएसएस (खाद्य व्यापारों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण) नियमन, 2011 की चतुर्थ अनुसूची के अनुपालन में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और अच्छे स्वच्छ आचरण (जीएचपी) को लागू किया जाना है। इस संबंध में, विभिन्न हितधारकों की क्षमता के निर्माण और देश भर में एफएसएमएस कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में स्वैच्छिक पहल शुरू करने और एफएसएसएआई की नियामक व्यवस्था को पूरा करने के लिए एफएसएसएआई और क्यूसीआई के बीच सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए क्यूसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

II. खाद्य वर्गीकरण प्रणाली

प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को बेहतर स्पष्टता देने के लिए भारतीय खाद्य वर्गीकरण प्रणाली को विकसित

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) एक बहुत ही किया गया है। यह विभिन्न खाद्य उत्पादों को एक श्रेणीबद्ध करता है।


01-04-2012 से 31-03-2013 तक प्रवर्तन प्रभाग से जारी परामर्श की सूची

- एफएसएमएस योजना / प्रमाणन पर परामर्श और
- भारतीय रेलवे में लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क का
- 3. चेन्नई में दूषित अचार की बिक्री पर परामर्श
- गलत नामकरण और भ्रामक दावे पर परामर्श
- दिनांकित 04.07.2012 सांविधिक परामर्श
- दूध और दूध उत्पाद की लाइसेंसिंग के मुद्दे
- भारतीय खाद्य कोड पर परामर्श
- समय के विस्ताक के लिए वैधानिक परामर्श
- 04.07.2012 को जारी वैधानिक परामर्श का स्पष्टीकरण
- 10. मादक पेयों की लाइसेंसिंग / पंजीकरण पर परामर्श
- 11. समय अवधि के विस्तार पर वैधानिक परामर्श



खाद्य सुरक्षा निगरानी गतिविधियां

एफएसएसएआई के निगरानी प्रभाग ने फरवरी, 2013 में सूक्ष्म जीवविज्ञानी मापदंडों के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त आजादपुर फल और सब्जी बाजार में फल और सब्जियों पर प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषणात्मक परीक्षण किए गए। एक निगरानी अध्ययन किया था। भौतिक, रासायनिक और









गुणवत्ता आश्वासन और उत्पाद अनुमोदन

धारा 43(1) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों या किसी भी अन्य प्रमाणन एजेंसी को इस अधिनियम के तहत खाद्य विश्लेषकों द्वारा लिए गए नमूनों का विश्लेषण करने के उद्देश्य के लिए सूचित कर सकता है। आज तक एफएसएसएआई द्वारा 65 प्रयोगशालाओं 1 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

"खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशानिर्देश" के बारे में एक पुस्तिका तैयार की गई थी। यह दस्तावेज सामान्य दिशा निर्देशों के साथ ही मान्यता, मान्यता के लिए नियम और शर्तें, मान्यता के आहरण / रद्द करने च) मान्यता और प्रयोगशाला की मान्यता के वित्तीय पहलुओं के लिए तकनीकी मापदंड प्रदान करता है।

वर्ष 2012-2013 के दौरान उपलब्धियाँ

- क) कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए मानक तैयार किए गए हैं और उसके मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए अधिसचित कर दिया गया है।
- ख) जैतून के तेल के लिए मानकों को अधिसूचित किया गया है।
- ग) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) पर ढांचा-ढांचे को अंतिम रूप दिया गया है।
- घ) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पुनर्गठन/ प्राधिकरण तंत्र और प्रक्रिया-एनएबीएल (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के

पुनर्गठन / प्राधिकरण की मान्यता के लिए तंत्र और प्रक्रिया तैयार की गई है। तदनुसार खाद्य प्राधिकरण ने एनएबीएल मान्यता युक्त 65 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया है और अधिक प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत करने का कार्य प्रगति पर है। खाद्य उत्पादों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला मापदंडों को अंतिम रूप दिया गया है।

- 72 सार्वजनिक राज्य खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन पर रणनीतिक दस्तावेज, प्रत्येक बीस जिलों में एक प्रयोगशाला की स्थापना विकसित की गई है.
- खाद्य उत्पादों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला मापदंडों को अंतिम रूप दिया गया है।
- छ) खाद्य के विश्लेषण की विधि के पंद्रह नियमों को अंतिम रूप दिया गया है।
- घर और छोटे उद्योगों के प्रयोजन के लिए मिलावट का विश्लेषण करने के लिए त्वरित परीक्षण विकसित किया गया है और उसे एफएसएसएआई की वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
- झ) मौजूदा मानकों की समीक्षा और कोडेक्स एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ उनके सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू की गई है।

उत्पाद अनुमोदन

232 अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए गए

मानक प्रभाग

एफएसएस अधिनियम की धारा 16 (2) के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण नियमों के द्वारा भोजन के संबंध में मानकों और दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट कर सकता है। एफएसएस अधिनियम की धारा 13 (3) और (4) के अनुसार, एफएसएसएआई को छ) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों को स्थापित और पुनर्गठन करने का आदेश दिया गया है। 2012—2013 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई थीं:

- क) वैज्ञानिक समिति का पुनर्गठन किया गया।
- ख) निम्नलिखित आठ वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन किया गया।
 - कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मिताआहार उत्पादों और इसी तरह के अन्य उत्पादों के लिए पैनल,
 - नमूनाकरण और विश्लेषण की विधि के लिए पैनल,
 - खाद्य, स्वादिष्ट बनाने, खाद्य के संपर्क में आनेवाले प्रसंस्करण सहयोगियों और सामग्री के लिए पैनल,
 - खाद्य श्रृंखला में संदूषित पदार्थों के लिए पैनल,
 - जैविक खतरों के लिए पैनल,
 - कीटनाशकों और एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए पैनल,
 - आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद्यों के
 लिए पैनल,
 - लेबलिंग और दावा / विज्ञापनों के लिए पैनल।
- ग) मछली और मत्स्य पैनल के लिए एक नया पैनल गठित किया गया था।
- घ) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया— तकनीकी समिति और सभी वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों का कैलेंडर तैयार किया गया है।
- ङ) दूध और दूध उत्पादों पर मानकों के विकास के लिए कार्यसमूह दल गठित किया और मांस एवं मांस उत्पादों पर मानकों के विकास के लिए कार्यसमूह दल गठित किया गया है।
- च) दूध और दूध उत्पाद स्वादिष्ट दूध के लिए एक नये मानक सहित दूध और दूध उत्पादों के लिए 16 मानकों को अंतिम रूप दिया गया। 'किण्वित दुग्ध उत्पाद के खाद्य लिए मानक' की नई श्रेणियों के अंतर्गत 'किण्वित दुध', गया।

- 'स्वादिष्ट किण्वित दूध' और 'किण्वित दूध पर आधारित पेय' शामिल हैं। अंतिम रूप दिए गए मसौदे वैज्ञानिक समिति के विचार के लिए तैयार हैं।
- छ) अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है। एफएसएसएआई में अनुसंधान एवं विकास, अध्ययन और सर्वेक्षण गतिविधियों को आरंभ करने के लिए मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया है।
- ज) उत्कृष्टता के केंद्र की पहचान—आईसीएआर, सीएसआईआर और आईसीएमआर के संस्थानों को संदर्भ (रेफरल) प्रयोगशालाओं के रूप में चिह्नित किया गया है और एमओयू की प्रक्रिया में पहुँच गया है।
- झ) 2012–13 के दौरान वैज्ञानिक पैनलों द्वारा आयोजित बैठकें
- (I) कार्यात्मक आहार, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मिताहार उत्पादों और इसी तरह के अन्य उत्पादों के लिए पैनल

पैनल की बैठकों की संख्या	माह
पैनल की आठवीं बैठक	22 अगस्त 2012
पैनल की नौवीं बैठक	30 नवम्बर, 2012
पैनल की दसवीं बैठक	29 जनवरी 2013

- न्यूट्रास्यूटिकल्स, पोषाहारों, कार्यात्मक आहार, नोवल आहार और स्वास्थ्य आहार पर मसौदा नियमन प्राप्त किया और उसे अंतिम रूप दिया गया।
- पैनल ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं में प्लांट स्टेनोलेस्टर के उपयोग के लिए सीसीएफएस की सिफारिश को स्वीकार किया और उसे अंतिम रूप दिया।
- आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

(II) नमूना और विश्लेषण की विधि के लिए पैनल

पैनल की बैठकों की संख्या	माह
पैनल की चौथी बैठक	12 जून 2012
पैनल की पाँचवीं बैठक	18 जुलाई 2012
पैनल की छठी बैठक	21 नवम्बर 2012
पैनल की सातवीं बैठक	11 दिसम्बर 2012

को अंतिम रूप दिया गया। 'किण्वित दुग्ध उत्पाद के खाद्य परीक्षण के तरीकों के 15 नियमों को अंतिम रूप दिया लिए मानक' की नई श्रेणियों के अंतर्गत 'किण्वित दूध', गया।



(iii) भोजन से संबंधित खाद्य योजकों, स्वाद, प्रसंस्करण सहायक और सामग्री के लिए पैनल

पैनल की बैठक की संख्या	माह
पैनल की पाँचवीं बैठक	25 जुलाई 2012
पैनल की छठी बैठक	4 जनवरी 2013
पैनल की सातवीं बैठक	11 मार्च 2013

(iv) खाद्य श्रृंखला में संदूषित पदार्थों के लिए पैनल

पैनल की बैठक की संख्या	माह
4 पैनल की चौथी बैठक	22 जून 2012

(v) जैविक खतरों के लिए पैनल

पैनल की बैठक की संख्या	माह
चौथी बैठक	15 फरवरी 2012
पैनल की पाँचवीं बैठक	26 अक्टूबर 2012
पैनल की छठी बैठक	5 दिसंबर 2012
पैनल की सातवीं बैठक	9 अप्रैल 2013

- दूध और दूध उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानकों को अंतिम रूप दिया है।
- मांस और मांस उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानकों का पैनल विचार के अंतिम चरण में है।
- मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानकों
 का पैनल विचार के अंतिम चरण में है।

(vi) कीटनाशकों और प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) अवशेषों के लिए पैनल

पैनल की बैठक की संख्या	माह
पैनल की दसवीं बैठक	4 अप्रैल 2012
पैनल की ग्यारहवीं बैठक	24 मई 2012
पैनल की बारहवीं बैठक	1 अगस्त 2012
पैनल की तेरहवीं बैठक	13 दिसम्बर 2012
पैनल की चौदहवीं बैठक	21 मार्च 2013

विभिन्न खाद्य वस्तुओं पर 12 कीटनाशकों के एमआरएलएस तय किए गए।

(vii) लेबलिंग और दावे / विज्ञापन के लिए पैनल

पैनल की बैठक की संख्या	माह
पैनल की आठवीं बैठक	11 मई 2012

पैनल की नौवीं बैठक	9 अगस्त 2012	
पैनल की दसवीं बैठक	18 दिसम्बर 2012	

पैनल ने लेबलिंग और दावों पर एक मसौदा नियमन को अंतिम रूप दिया। वैज्ञानिक समिति एवं प्राधिकरण से इसकी मंजूरी से पहले टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे एफएसएसएआई की वेबसाइट पर रखा गया था और अब यह पैनल के विचाराधीन है।

(viii) आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद्य पदार्थों के लिए पैनल

पैनल की बैठक की संख्या	माह	
पैनल की चौथी बैठक	10 जनवरी 2013	

III. संस्थानों में प्रासंगिक अनुसंधान की खोज और अनुसंधान के क्षेत्रों और अनुसंधान प्रस्तावों के आवंटन की पहचान

संगठनों / प्रयोगशालाओं / विश्वविद्यालयों (102) से नौ मापदंडों वाले तैयार प्रारूपों में जानकारी / शोध कार्य भेजने के लिए अनुरोध किया गया और उनकी जाँच का कार्य किया जा चुका है। अब तक, कुछ नए उत्पादों पर जानकारी के साथ और कुछ में शून्य जानकारी सहित 29 प्रतिक्रियाएं प्राप्त ही हैं। हम संगठनों के साथ आगे की कार्यवाही कर रहे हैं।

विशेषज्ञता के आधार पर दूध और दूध उत्पादों, मांस और मांस उत्पादों, फल और सब्जियां, मसाले, अनाज और अनाज उत्पादों — विशेषज्ञ समूह के सदस्यों की पहचान।

एफएसएसआर के क्षैतिज मानकों के संबंध में कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं:

- फलों और सिब्जियों में गैर अनुमत रंग,
- फलों और सब्जियों में भारी धातुएं और कीटनाशक,
- एंटीबायोटिक्स दूध, शहद और मछली में प्रतिजैविकों के अवशेषों,
- केसर में सूर्यास्त के पीले रंग की मिलावट,
- चावल और पानी में आर्सेनिक,
- मछली में पारा, कैडिमयम और सीसा,
- पानी में फ्लोराइडों की उपस्थिति और
- मूंगफली और अनाज में विषेले तत्व (एप्लोटॉक्सिन),

अनुसंधान एवं विकास अध्ययन एवं सर्वेक्षण के लिए उपरोक्त



सकता है।

IV. उत्कृष्टता के केंद्रों की पहचान

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीएसआईआर/आईसीएआर/ आईसीएमआर के 24 अनुसंधान संस्थानों की पहचान की गई है, जिनकी संदर्भ प्रयोगशाला, उत्कृष्टता केंद्र आदि के रूप में पहचान की जा सकती है। एफएसएसएआई संस्थान की बुनियादी सुविधाओं, उपकरण, विश्लेषणात्मक क्षमता, खाद्य सुरक्षा की दिशा में कुशल वैज्ञानिक पेशैवरों का उपयोग 20.

- संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर
- संस्थान (सीआईएमएपी), लखनऊ
- सीएसआईआर-सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट(सीएसएमसीआरआई), भावनगर
- सीएसआईआर–हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी 24. संस्थान (आईएचबीटी), पालमपुर
- सीएसआईआर-विष विज्ञान (टोक्सीकोलॉजी) अनुसंधान का भारतीय संस्थान (आईआईटीआर), महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
- सीएसआईआर- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ
- सीएसआईआर— राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे
- सीएसआईआर— एकीकृत चिकित्सा का भारतीय संस्थान (आईआईआईएम), जम्मू
- सीएसआईआर— अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान, तिरूवनंतपुरम
- 10. सीएसआईआर रासायनिक प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान, उप्पल रोड, तरनाका, हैदराबाद
- 11. सीएसआईआर -विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्तर-पूर्वी संस्थान, जोरहाट
- 12. व्यावसायिक स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईओएच) मेघानी नगर, अहमदाबाद- 380 016
- 13. पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद
- 14. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) आईसीएआर, करनाल
- 15. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली

- मुद्दों को प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया जा 16. सब्जी अनुसंधान का भारतीय संस्थान, जखानी, वाराणसी
 - 17. मसाला अनुसंधान का भारतीय संस्थान, मारिकुन्नु, पोस्ट, कोझिकोड
 - बागवानी अनुसंधान का भारतीय संस्थान, हेसराघाटा लेक पोस्ट, बैंगलौर
 - 19. मांस का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, चेंगिचेरला, पोस्ट बॉक्स सं.19, बोडुप्पल, हैदराबाद
 - केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), इज्जतनगर बरेली
- 1. सीएसआईआर— केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान 21. सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनिरामपुर (पोस्ट), बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
 - सीएसआईआर— औषधीय एवं सुगंधित पौधों का केंद्रीय 22. रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला, रक्षा मंत्रालय, सिद्धार्थ नगर, मैसूर
 - 23. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
 - केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स सं. 1603, एर्नाकुलम उत्तर, पोस्ट– कोच्चि।

कोडेक्स के साथ मानकों का सामंजस्य स्थापन

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(एम) कहती है कि खाद्य प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के साथ घरेलू खाद्य मानकों की स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसलिए, भारत के मानकों की समीक्षा करना और हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हुए, आवश्यक हद तक कोडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ उनका सामंजस्य मिलाना उचित माना जाता है।

इस के प्रकाश में, खाद्य प्राधिकरण के मानकों के अनुरूपण के लिए एक रणनीति विकसित की है। इस का अनुसरण करते हुए, देश भर के विशेषज्ञों से नामांकन आमंत्रित किया गया था। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2013 थी। लगभग 450 नामांकन प्राप्त हुए और एक निर्धारित मापदंड पर आधारित जांच के बाद, 67 ई-कार्य समूहों (ईडब्ल्यूजीएस) का गठन किया और उन्हें मसौदा मानकों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया। खाद्य उत्पादों के स्वच्छ उत्पादन के अभ्यास के लिए आचार संहिता विकसित करने के लिए अन्य नौ ई-कार्य समूहों का गठन किया गया। 2014 के अंत तक कोडेक्स के साथ विधिवत सामंजस्य रखने वाले भारतीय मानकों को अधिसूचित करने के प्रयास किए जाएंगे।



राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी)

कोडेक्स पोषाहार आयोग (सीएसी) के साथ समन्वय करने (ix) भारत भर में कोडेक्स गतिविधियों को बढ़ावा देना, वाले प्रत्येक देश का केंद्रीय बिंदु राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंद (एनसीसीपी) है। इससे पहले, भारत का एनसीसीपी स्वारथ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), नई दिल्ली में स्थित था। 2008 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना के साथ, भारत का राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंद् (एनसीसीपी) अब एफएसएसएआई में स्थित है। एनसीसीपी निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निष्पादन करेगाः

- कोडेक्स सचिवालय, राष्ट्रीय कोडेक्स समिति और छाया समिति के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना
- भारत में सभी प्रासंगिक कोडेक्स गतिविधियों का समन्वय
- (iii) कोडेक्स के सभी अंतिम पाठों (मानक, अभ्यास की आचार संहिता, दिशा निर्देशों और अन्य परामर्श पाठों का आचार) और कोडेक्स सत्र का कार्यकारी दस्तावेज प्राप्त करना और संबंधित लोगों में इनके वितरण को सुनिश्चित करना
- (iv) कोडेक्स दस्तावेज पर टिप्पणी या सीएसी या उसके सहायक निकायों और/या कोडेक्स सचिवालय को समय सीमा के भीतर प्रस्ताव भेजना
- (v) राष्ट्रीय कोडेक्स समिति और उसकी छाया समितियों के साथ निकट सहयोग में काम करना
- (vi) अन्य कोडेक्स सदस्य के साथ सूचना और गतिविधियों के समन्वय के आदान-प्रदान के लिए एक चैनल के रूप में काम करना
- (vii) कोडेक्स सत्र के लिए निमंत्रण प्राप्त करना और प्रासंगिक अध्यक्षों और कोडेक्स सचिवालय को भारत का प्रतिनिधित्व प्रतिभागियों के नामों के बारे में सूचित करना।
- (viii) कोडेक्स मानकों, व्यवहार संहिता, दिशानिर्देश और कोडेक्स से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेजों और प्रकाशनों पर एक पुस्तकालय बनाए रखना, और

- कोडेक्स काम को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए देश में क्षमता निर्माण।

सीएसी के तहत विभिन्न विषय समूहों पर काम करने वाली 21 सक्रिय कोडेक्स समितियां हैं। प्रत्येक समिति अपनी प्रकृति के आधार पर एक साल में एक बार या 18/24 महीनों में एक बार मिलती है। भारत में प्रत्येक कोडेक्स समिति के लिए एक समानांतर छाया समिति गठित की गई है जो विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श और भागीदारी के साथ विशेष कोडेक्स समिति के लिए काम करती है। प्रत्येक समिति के लिए विभिन्न हितधारक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए), वाणिज्य और उद्योग के इंडियन चैंबर के संघ (फिक्की) इत्यादि के प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ / वैज्ञानिक शामिल हैं।

कोडेक्स गतिविधियां 2012 - 2013

वर्ष 2012-2013 के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने कोडेक्स समितियों की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

क्र.सं.	वर्ष	कोडेक्स समिति
1.	23—28 अप्रैल, 2012	कीटनाशकों के अवशेष पर कोडेक्स समिति— ४४वां सत्र
2.	15—18 मई, 2012	खाद्य लेबलिंग पर कोडेक्स समिति—40वां सत्र
3.	2—7 जुलाई 15	कोडेक्स पोषण (एलीमेंटरियस) आयोग—35वां सत्र
4.	3—7 सितम्बर,2012	ताजा फल और सब्जियों पर कोडेक्स समिति— 17वां सत्र



2012

2012

2012

11.

2 0 1 2 - 1 3				

5.	19—22 सितम्बर, 2012	उत्तरी अमेरिका और दक्षिण—पश्चिम प्रशांत के लिए एफएओ / डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति—12वां सत्र		
6.	25—28 सितम्बर, 2012	एफएओ / डब्ल्यूएचओ के लिए समन्वय समिति यूरोप—28 वां सत्र		
7.	1—5 अक्टूबर, 2012	मछली और मत्स्य उत्पाद पर कोडेक्स समिति –52वां सऋ		
8.	15—19 अक्टूबर, 2012	प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति—26वां सत्र		
9.	5—9 नवम्बर,	एशिया के लिए एफएओ/		

डब्ल्यूएचओ समन्वय

समिति-18वां सत्र

समिति -44वां सत्र

के लिए एफएओ / डब्ल्यूएचओ

समन्वय समिति–18वां सत्र

19—23 नवम्बर, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन

10. 12-16 नवम्बर, खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स

12.	3—7 दिसम्बर, 2012	विशेष मिताहार के उपयोग के लिए पोषण और खाद्य पर कोडेक्स समिति— 36वां सत्र के लिए फूड्स
13.	21—25 जनवरी, 2013	नजदीकी पूर्व के लिए एफएओ / डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति—7वां सत्र
14.	29 जनवरी—1 फरवरी, 2013	अफ्रीका के लिए एफएओ / डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति— 20वां सत्र
15.	18—22 फरवरी, 2013	खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर कोडेक्स समिति—20वां सत्र
16.	25 फरवरी —1 मार्च, 2013	वसा और तेल पर कोडेक्स समिति —23वां सत्र
17.	4—8 मार्च, 2013	विश्लेषण के तरीकों और नमूने पर कोडेक्स समिति—34वां सत्र
18.	18 — 22 मार्च, 2013	खाद्य योजकों पर कोडेक्स समिति— 45 वां सत्र



खाद्य योजकों पर कोडेक्स समिति के 45वें सत्र (सीसीएफए), मार्च 2013 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल



वसा और तेल पर कोडेक्स समिति (सीसीएफओ) के 23 वें सत्र, फरवरी, 2013 के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल,



8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2013 तक भोजन श्रृखंला (सीसीसीएफ) पर संदूषण कोडेक्स कमेटी का 7वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल

- ख. भारत ने जुलाई, 2012 में आयोजित सीएसी बैठक में "मसाला और सुगंधित जड़ी बूटी" पर एक नई कोडेक्स समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा था। विभिन्न क्षेत्रीय समिति की बैठकों में भी प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिनमें मसाला बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- ग. खाद्य प्राधिकरण ने निम्नलिखित नए कार्य प्रस्तावों को प्रस्तावित किया, जिन्हें कोडेक्स पोषाहार आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है:-
 - 1. ताजे फल और सब्जियों पर कोडेक्स समिति की

- 17 वीं बैठक में भिंडी और आलू के लिए मानकों पर विचार किया गया था।
- 2. एशिया के लिए एफएओ / डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति की 18 वीं बैठक में "गलियों में बेचे जाने वाले भोजन के लिए स्वच्छ आचरण संहिता के विकास" पर विचार किया गया था।
- 3. खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 44 वें सत्र में ''अनाज के भंडारण के लिए स्वच्छ व्यवहार संहिता'' पर विचार किया गया था और ''कम नमी युक्त खाद्य'' का भाग माना जाएगा।



- भारत ने निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक कार्यसमूह-2012-13 में भाग लिया
 - सीसीएफएः कमोडिटी मानकों के खाद्य योजकों के प्रावधानों और जीएसएफए के संगत प्रावधानों का संरेखण।
 - सीसीएफए: खाद्य योजकों के लिए सामान्य मानकों (जीएसएफए) पर।
 - सीसीएफए:प्रसंस्करण सहायकों के डेटाबेस में पदार्थों के प्रवेश के लिए मापदंड का विकास।
 - सीसीएफएलः जैविक रूप से उत्पादित फल के पकने में एथिलीन के इस्तेमाल पर ईडब्ल्यूजी।
 - सीसीसीएफः चावल में आर्सेनिक प्रदूषण की कमी और रोकथाम के लिए व्यवहार की एक आचार संहिता विकसित करने के लिए।
 - सीसीआरवीडीएफः शहद में एमआरएलएस या अन्य सीमाओं की स्थापना पर दिशानिर्देश का एक चर्चा पत्र तैयार करने के लिए।
 - सीसीआरवीडीएफ: बह्—अवशेषों के विश्लेषणात्मक तरीकों के लिए प्रदर्शन मापदंड पर मसौदा रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए।
 - सीसीआरवीडीएफः इन तरीकों के लिए एक सामान्य सत्यापन औपचारिकता का विकास।
 - सीसीएफएचः मसाले और अमेरिका के साथ सूखी लिए सह अध्यक्ष।
 - सीसीएनएफएसडीयू: अनुवर्ती कार्रवाई सूत्र के लिए कोडेक्स मानक की समीक्षा।
 - सीसीपीएफवी: जिनसेंग उत्पाद के लिए क्षेत्रीय मानक का रूपांतरण।
 - सीसीएएसआईएः सीसीएएसआईए 2015-2020 के लिए सामरिक योजना के मसौदे की तैयारी।
 - सीसीजीपीः मार्गदर्शन दस्तावेजों के लिए मानदंड।

- सीसीपीएफवी: कुछ डिब्बाबंद फलों के लिए
- सीसीपीएफवी: कुछ जल्दी जमाई हुई सब्जियों के लिए मानक।
- सीसीएफएफपी: मछली सॉस के प्रसंस्करण के लिए आचार संहिता।
- सीसीएफएचः विशिष्ट जूनोटिक परजीवियों के नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश।
- ङ. भारत ने निम्नलिखित शारीरिक (भौतिक) कार्यसमूह-2012 में भाग लिया
 - सीसीएफआईसीएसः राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रस्तावित मसौदा सिद्धांत और दिशानिर्देश।
 - लिए सीसीएफएचः खाद्य सूक्ष्मजीवविज्ञानी मानदंडों की स्थापना अनुप्रयोग के सिद्धांत।

इनफोसेन (आईएनएफओएसएएन) गतिविधियां

भारत का राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु इनफोसेन का भी केंद्रीय संपर्क बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का नेटवर्क (इनफोसेन) डब्ल्यूएचओ (ह्) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के बीच एक संयुक्त पहल है। इस वैश्विक नेटवर्क में 177 सदस्य देश के शामिल हैं। तत्काल घटनाओं के बारे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और इनफोसेन सचिवालय के बीच संचार के लिए प्रत्येक खुशबूदार जड़ी बूटी की स्वच्छ व्यवहार संहिता के सदस्य राष्ट्र का एक नामित इनफोसेन आपातकालीन संपर्क बिंदु है। फरवरी, 2011 में भारत इनफोसेन का सदस्य बना। इस नेटवर्क का उद्देश्य है:

- खाद्य सुरक्षा से संबंधित घटनाओं के दौरान तेजी से सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देना
- वैश्विक हित के खाद्य सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी को साझा करना
- देशों के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना
- खाद्य सुरक्षा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए अपनी क्षमता को मजबूत देशों की मदद करना



अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

खाद्य प्राधिकरण को एफएसएस अधिनियम की दिशा में, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में सुधार के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना आवश्यक है। एफएसएसएआई एसपीएस (स्वच्छता और पादप-स्वच्छता) के मुद्दों के लिए जांच बिंदू भी है और, इस प्रकार, नियमित रूप से खाद्य (ii) मानक, खाद्य सुरक्षा और प्रयोगशालाओं की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेता है।

इस गतिविधि के एक भाग के रूप में, एफएसएसएआई ने दो समझौतों में भाग लिया है

(i) एफएसएसएआई ने 30 नवंबर, 2012 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर नीदरलैंड राज्य के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा प्राधिकरण, कृषि और नवाचार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के आधार पर जुलाई,

2013 में सीएफटीआरआई, मैसूर में खाद्य सुरक्षा पर एक कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न नामित अधिकारियों / खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

एफएसएसएआई व्यापार और विकास के लिए क्षमता पहल पर भारत और यूरोपीय संघ की परियोजना (सीआईटीडी)का भी एक हिस्सा है। 30 नवंबर, 2011 को भारत सरकार द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दस्तावेज में वर्णित अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य "अंतर्राष्ट्रीय मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में भारत की व्यापार से संबंधित नियामक संस्थाओं और प्रवर्तन प्रणाली की क्षमता का आधुनिकीकरण और संवर्धन" है। यह परियोजना मई 2013 में आरंभ की गई है और सितंबर, 2017 में समाप्त हो जाएगी। एफएसएसएआई के संदर्भ में, प्रयोगशाला विश्लेषकों, एफएसएमएस का क्रियान्वयन/प्रमाणन एजेंसियों और पशुधन उत्पादों की जैविक प्रमाणीकरण के लिए क्षमता निर्माण पहलें की जाएंगी।





आयातित खाद्य की सुरक्षा

खुदरा बिक्री, जीवन शैली और खानपान की बदलती आदतों इस परिप्रेक्ष्य में, एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम, और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा मिश्रित खाद्य वस्तुओं के लिए 2006 के अनुभाग 47(5) के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी की मांग में वृद्धि के विकास की वजह से भारत में खाद्य आयात नियुक्ति के माध्यम से अगस्त-सितम्बर 2010 से एक चरणबद्ध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसे देखते हुए, देश में खाद्य आयात तरीके में खाद्य आयातित क्लियरेंस सिस्टम (एफआईसीएस) को विनियमित करने के लिए आगे नियंत्रण उपाय करने का दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता पोर्ट (समुद्र, वायु आवश्यक हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुभाग 25 के अनुसार, सभी खाद्य सामग्री का आयात अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है। यह इस बात का प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम और नियमन के विरूद्ध भारत में किसी भी खाद्य सामग्री का आयात नहीं करेगा। इसके अनुसार केन्द्र सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत खाद्य सामग्री के आयात को प्रतिबंधित, सीमित या नियमित करते समय इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमन के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मानकों का अनुपालन करेगा। साथ ही, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुभाग 47 (5) के अनुसार, आयातीत खाद्य सामग्री के मामले में खाद्य प्राधिकरण का अधिकृत अधिकारी इसका नमूना लेगा और किसी अधिसूचित प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजेगा जो कि अधिकृत अधिकारी को पांच दिनों के अंदर रिपोर्ट देगा। तद्नुसार, इस अधिनियम के अंदर, एफएसएसएआई के पास देश में आयातित खाद्य

बढ़ते वैश्वीकरण, बढ़ती आय और आकांक्षाओं, संगठित सामग्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश है। और भू सहित) के 10 प्रवेश पोर्ट में सफलतापूर्वक संचालन किया है। आगे एफएसएसएआई अतिरिक्त प्रवेश बंदरगाहों को संचालित करने की प्रक्रिया में है।

आईटी समर्थित एकीकृत आयातित खाद्य निकासी प्रणाली का कार्यान्वयन

भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा आईटी समर्थित आयातित खाद्य निकासी प्रणाली (एफआईसीएस) के क्रियान्वयन और संचालन की परियोजना कुशल प्रशासन (स्मार्ट गवर्नेन्स) के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसजी) को सौंपी गई थी। एफएसएसएआई ने एनआईएसजी की मदद से सभी बंदरगाहों और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के इनलैंड कंटेनर डिपो में सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की है। वर्ष 2012-13 में आयातित खाद्य के 59,226 नमूने लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया। विदेश से आने वाले 407 सामानों के नमूने नियम के अनुरूप नहीं थे। लिए गए नमूनों और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने से संबंधित आंकड़े तालिका 1 में दिए गए है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

एफएसएस अधिनियम की धारा 16 (3) (एच) के तहत प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह खाद्य व्यापार संचालक या कर्मचारी या किसी अन्य रूप में खाद्य व्यापार में शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानकों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, ऐसे लोग चाहे उसके क्षेत्र के अंदर रहते हों या बाहर।

खाद्य सुरक्षा नियामकों के लिए प्रशिक्षणः

ये प्रशिक्षण स्थान, जनशक्ति और सुविधाओं के रूप में राज्य प्राधिकरणों की सहायता से एफएसएसएआई द्वारा राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए जाएंगे। एफएसएसएआई ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

- नामित अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (३ दिन की अवधि)
- निर्णायक अधिकारी (3 दिन की अवधि) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (3 दिन की अवधि)
- इस वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की

(क) निर्णायक अधिकारी

तिथि	स्थान	राज्य	
21 फरवरीए 2012	चेन्नई	तमिलनाडु	
12 अप्रैल, 2012	भोपाल मध्यप्रदेश		
16 अप्रैल, 2012	मोहाली	चंडीगढ़	
2 मई, 2012	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	
15 मई, 2012	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	
28 मई, 2012	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	
11 जून, 2012	पटना	बिहार	
20 जून, 2012	जयपुर	राजस्थान	
27 जून, 2012	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	
11 जुलाई, 2012	शिमला	हिमाचल प्रदेश	
2 अगस्त, 2012	देहरादून	उत्तराखंड	
16 अगस्त, 2012	पंचकुला	हरियाणा	
7 अगस्त, 2012	भुवनेश्वर	ओड़िसा	

			_
27 अगस्त, 2012	नागपुर	महाराष्ट्र	
27 सितंबर, 2012	बैंगलौर	कर्नाटक	
24 सितंबर, 2012	रायपुर	छत्तीसगढ़	

(ख) पदनामित अधिकारी

तिथि	स्थान	राज्य	
12 से 14 अप्रैल, 2012	भोपाल	मध्यप्रदेश	
16 से 18 अप्रैल, 2012	मोहाली	पंजाब एवं चंडीगढ़	
23 से 25 अप्रैल, 2012	त्रिरूवंतपुरम	केरल	
2 से 4 मई, 2012	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	
9 से 11 मई, 2012	रांची	झारखंड	
15 से 17 मई, 2012	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	
17 से 19 मई, 2012	अहमदाबाद	गुजरात	
28 से 30 मई, 2012	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	
20 से 22 जून, 2012	जयपुर	राजस्थान	
27 से 29 जून, 2012		पश्चिम बंगाल एवं बिहार	
5 से 7 जुलाई, 2012	बैंगलौर	कर्नाटक	
11 से 13 जुलाई, 2012	शिमला	हिमाचल प्रदेश	
2 से 4 अगस्त, 2012	देहरादून	उत्तराखंड	
7 से 9 अगस्त, 2012	भुवनेश्वर	ओड़िसा	
16 से 18 अगस्त, 2012	पंचकुला	हरियाणा	
24 से 26 सितंबर, 2012	रायपुर	छत्तीसगढ़	
27 से 29 अगस्त, 2012	नागपुर	महाराष्ट्र	



(ख) खाद्य सुरक्षा अधिकारी

, 3		
तिथि	स्थान	राज्य
16 से 20 नवंबर,	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2012		6
10 से 14 दिसंबर,	बैंग <i>लौर</i>	कर्नाटक
2012		
5 से 9 फरवरी,	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
2013 (बैच 1),		_
11 से 15 फरवरी,) 2
2013 (बैच 2),		
18 से 22 फरवरी,		
2013 (बैच 3)		
फरवरी से मार्च,	चेन्नई	तमिलनाडू
2013 (7 बैच)		
24 से 28 दिसंबर,	जयपुर	राजस्थान
2012	*	9
21 से 25 दिसंबर,	देहरादून	उत्तराखंड
2012		
11 से 15 फरवरी,	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
2013	-	
18 से 22 फरवरी,	गोवा	गोवा, दादरा एवं
2013		नागर हवेली तथा
H		दमन एवं दीयू
16 से 20 फरवरी,	गांधीनगर	गुजरात
2013		
4-8 मार्च, 2013	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
18—21 मार्च, 2013	अजवाल	मिजोरम
18-21 414, 2013	OPPLATE	1 7 10 11

II. एफएसएसएआई द्वारा आरंभ किया गया लाइसेंसिंग मेला / जागरूकता अभियान

एफएसएसएआई ने पूरे देश में सफलतापूर्वक लाइसेंसिंग मेला सह जागरूकता अभियान आरंभ किया है। इस अभियान का पहला जागरूकता मेला निम्न संगठनों द्वारा आयोजित किया गया थाः

- 1. एसोचैम
- 2. सीआईआई
- 3 फिक्की
- 4. वाणिज्य मंडलों और उद्योगों के पीएचडी कक्ष

एफएसएसएआई द्वारा एसोचैम, फिक्की और सीआईआई के सहयोग से इन मेलों का आयोजन किया गया है। विभिन्न राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्थान तय करने और स्टाफ उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नामित अधिकारियों के मामले में अपना समर्थन दे कर, इन मेलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इस मेले की गतिविधियां इस प्रकार है:

- 1. लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- लाइसेंस के दस्तावेजी आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने में खाद्य व्यापार संचालकों की मदद करना।
- 3. जहां लागू हो, मौके पर केन्द्र और राज्य लाइसेंस देना।

निम्नलिखित स्थानों पर इन मेलों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है:

राज्य का नाम	जिन जिलों में मेले आयोजित किए गए थे और कार्यक्रमों की तारीखें
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, (20—21 दिसंबर, 2012)
तामिलनाडु	कोयंबतूर, 23 दिसंबर 2012
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग, 13 दिसंबर, 2012
पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी 14 दिसंबर, 2012
ओडीसा	बालासारि, 21, दिसंबर 2012
झारखंड	रांची, 22, दिसंबर 2012
राजस्थान	जयपुर, 28, दिसंबर 2012
राजस्थान	बीकानेर, 30, दिसंबर 2012
गुजरात	सूरत, 19 दिसंबर, 2012
महाराष्ट्र महाराष्ट्र	पुणे, 21 दिसंबर, 2012
महाराष्ट्र	नागपुर, 27 दिसंबर, 2012

स्चना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)

सचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) उन रणनीतियों और गए। रेडियो जिंगल से एनिमेटेड वीडियो स्पॉट निकाले गए तरीकों को जोड़ते हैं जो संगठनों, समुदायों और हितधारकों और नई दिल्ली में सफल दुकानों में प्रदर्शित किया गया। को, उनके परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने और उन्हें बनाए आईआरसीटीसी के सहयोग से एफएसएसएआई की ब्रांडिंग रखने के लिए सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। की गई थी। आईईसी किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी है जो प्रचार लक्षित सतत और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। यह लोगों को निर्णय लेने और अपने व्यवहार को संशोधित करने में सशक्त बनाता है।

आईईसी गतिविधियां आवश्यकता आकलन, दृढ़ शैक्षिक सिद्धांतों और लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के एक स्पष्ट समुच्चय के उपयोग द्वारा आवधिक मूल्यांकन के आधार पर विकसित की गई हैं। इसका मूल उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, एफएसएसएआई की दृश्यता वृद्धि और मूल्यवान सूचना के प्रसार हेतु कानून, विनियमों के बारे में शिक्षित करना और लक्ष्य वर्ग को जोडना तथा सशक्त बनाना है।

अधिनियम के आवश्यक तत्वों के बारे में हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल कर अनेक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। देश भर में लाइसेंस और लेबलिंग पर बहुभाषी मोड में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। लाइसेंस, पंजीकरण, लेबलिंग की प्रक्रिया, आयातित खाद्य पदार्थों और खाद्य सुरक्षा पर पर्चे, विवरण पुस्तिकाएं और इसी तरह के साहित्य विकसित और वितरित किए गए हैं। एफएम गोल्ड और ऑल इंडिया रेडियो के अन्य चैनलों पर रेडियो जिंगल प्रसारित किए

गतिविधियों को दिशा देने का काम करती है। यह सबसे इसने जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर प्रदर्शन, पत्रक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए विभिन्न हितधारकों पर वितरण के माध्यम से आहार आईआईटीएफ आदि जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और खाद्य व्यापार संचालकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए एफएसएसएआई के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। एफएसएसएआई ने प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान और नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके कुंभ मेले में भाग लिया। एफएसएसएआई ने गतिविधियों की एक व्यापक परिदृश्य के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया।

> प्राधिकरण में होने वाली वर्तमान घटनाओं को एक समर्पित वेबसाइट www.fssai.gov.in, ब्लॉग और सोशल नेटवर्किंग में अद्यतन किया जा रहा है। परिवारों में खाद्य सामग्री में मिलावट का परीक्षण करने के लिए यू-ट्यूब चैनल पर मूल वीडियो अपलोड किए गए हैं।

> प्राधिकरण में विकसित आईईसी सामग्री को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साझा किया जा रहा है। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को भी जिला स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में इसी तरह के जागरूकता अभियानों की योजना तैयार करने की जरूरत है।

ई-शासन और पुस्तकालय

में किए जा रहे हैं। एफपीओ और पीएफए से संबंधित पुराने अभिलेखों का अंकीयकरण, एनआईसी सेंटर में अनुरक्षित एनआईसी डेटा सेंटर तथा सर्वर पर एफएसएसएआई वेबसाइट प्रदर्शित करना। एनआईसी परिसर में एफएसएसएआई डेटा रिकवरी सेंटर आवंटित किया गया है। एनआईसी टीम द्वारा सुरक्षा ऑडिट तथा ई-कार्यालय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

के लिए सॉफ्टवेयर स्थापित कर दिया गया है। खाद्य लाइसेंसिंग पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) सॉफ्टवेयर करता है। पुस्तकालय, किताबों और अन्य पुस्तकालय विकसित किया गया है और इसे सभी राज्यों को दिया गया सामग्री के अलावा, कानून, कानूनी मामलों और प्राधिकरण है। एफएसएसएआई द्वारा केन्द्रीय लाइसेंस जारी करने के की गतिविधियों की प्रासंगिक सूचनाओं तक पहुँच के लिए लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ "मनुपुत्र ऑनलाइन कानूनी डेटाबेस" की भी सदस्यता देता राज्य भी लाइसेंस जारी करने के लिए इसका प्रयोग कर है। रहे हैं।

कार्यालय आधुनिक कम्प्यूटरों तथा प्रिंटिंग/पुनरूत्पादन वर्तमान जागरूकता सेवा और फोटोकॉपी सेवा प्रदान कर उपकरणों के साथ 100 प्रतिशत आईटी सक्षम हैं। एक बार रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों के लाभ और उपयोग के पूरी तरह प्रचालनक्षम और प्रशिक्षित होने पर, सभी कर्मचारी लिए पुस्तकालय की सेवा के एक भाग के रूप में 'नियम और ई-कार्यालय का उपयोग कर सकेंगे।

ई-शासनः प्राधिकरण के सभी कार्य अब इलेक्ट्रॉनिक विधाओं खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रतिवेदन प्रणाली अन्तःगृह विरचित की

पुस्तकालय सेवा-वर्ष 2008 में एफएसएसएआई पुस्तकालय और संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया था जो खाद्य सुरक्षा और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। पुस्तकालय में पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, रिपोर्टी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सांविधिक सामग्री का एक "खाद्य आयात निकासी प्रणाली" (एफआईसीएस) के समर्थन अच्छा संग्रह है। पुस्तकालय स्वचालन प्रयोजनों के लिए यह पुस्तकालय ''समग्रं आईटी समाधान'' सॉफ्टवेयर का उपयोग

पुस्तकालय साहित्य खोज सेवा, संदर्भ सेवा, इंटरनेट आधारित पत्तनों, प्रयोगशाला सहित बंदरगाहों में सभी एफएसएसएआई पुस्तकालय और सूचना सेवा, अंतर-पुस्तकालय ऋण सेवा, विनियमन' पर संकलन और 'परामर्श जारी' किया गया है।

आरटीआई मामले

निम्नलिखित विवरण में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में प्राप्त आरटीआई अनुरोधों के संबंध में तथ्य दर्शाए गए हैं:

		वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	प्राधिकरणों को	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकार की गई	अनुरोध/अपील
अनुरोध	0	433	58	0	87
प्रथम अपील	-	14	-	11	16

पदनामित सीएपीआईओ'ज की संख्या	पदनामित अपील अधिकारियों की संख्या
25	14

	ऐसे अव	ासरों की	संख्या र	जब अ	नुरोध अस्वी	कार कर	ने के लि	ाए विभिन	न प्रावधा	नों का 3	भाश्रय लि	या गया	
	7			आरत	टीआई अधि	नियम, 2	005 की	प्रासंगिक	धाराएं		П		
				धार	Т 8 (1)						धा	राएं	"ile
(a)	(b)	(C)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(9)	(11)	(24)	अन्य
वसूल वि	केए गए	प्रभारों व	ी राशि ((रूपयों	में)	¢							
पंजीकर	ण शुल्क	राशि			अतिरिक्त	शुल्क ए	वं कोई 3	मन्य प्रभा	र दं	ड राशि			
2380					866								

अनुकुल प्रकटीकरण वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि।












Issai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2012-2013

> एस.पी.एस.ए. एवं कं. चार्टटिड एकाउंटेंट एफआरएनः 019888एन



वितीय सामग्री

बैलेंस शीट आय एवं व्यय लेखा उपर्युक्त वित्तीय वक्तव्य की अनुसूची प्राप्ति एवं भुगतान का वक्तव्य लेखा की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31-03-2013 को बैलेंस शीट

(राशि रु. में)

			,
	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संचित / पूंजी निधि और देनदारियां	1	30,70,03,716	8,71,11,775
संचित / पूंजी निधि	2	-	-
आरक्षित और अधिरक्षण	3	2,34,01,497	2,47,50,497
चिहिनत और दान निधि	4	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	6	_	_
विलम्बित ऋण दायित्व	7	7,35,61,921	5,29,64,694
वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान		40,39,67,134	16,48,26,966
q	ુલ		
संपत्ति	8	2,34,01,497	2,47,50,497
अचल संपत्ति	9	-	-
निवेष-चिहिनत / दान निधि से			_
निवेष—अन्य	10	20.05.65.637	14,00,76,469
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	38,05,65,637	11,00,70,11
विविध व्यय		-	
(जो लिखा नहीं गया या समायोजित नहीं किया गया)		,	10.05.06
(जा लिखा नहीं गया या रामानाजर रहे रहे रहे र	कुल	40,39,67,134	16,48,26,966
	26		
महत्वपूर्ण लेखा नितियां	27		
आकरिमक दायित्व और लेखा पर नोट्स			

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अध्यक्ष निदेशक (कोडक्स एवं एफए) उप निदेशक (वित्त)

सहायक लेखा अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली तिथिः

38

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण —03—2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सेवाओं से आय	12	24,88,80,249	2,80,02,647
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान / सब्सिडी	13	40,47,06,328	35,78,27,895
शुल्क / अंशदान	4	1	
निवेश से आय (निवेश पर, विहिनत दान/फंड में हस्तान्तरित निधि से आय)	15	I	1
राजस्व, प्रकाशन आदि से आय	16	ı	S J
अर्जित व्याज	17	58 74 901	31 72 140
अन्य आय	8	1000/11/00	7,7,1,0
परिष्कृत सामान के स्टाक में बढ़ोतरी / कमी और जारी कार्य	19	5,07,0	1,10,113
		111 10 00 77	
30 (5)		11 /11 5/00/00	30,31,12,733
प्रतिष्ठापन व्यय	20	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	
प्रसासनिक व्यय आदि	2 10	10,20,01,323	10,96,96,439
मरमात एवं रख्व-रखात हाम	- (014,70,07,10	460,10,01,17
	7.7	1,32,20,835	1,93,04,922
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	70,00,000	000'00'09
अवमूल्यन	24	1	
ब्याज	25	j	1
कृल (बी)		44,01,39,776	34.67.83.055
व्यय के ऊपर आय से अधिक शेष (ए-बी)		21 98 91 941	4 23 29 740
विशेष रिजर्व का स्थानान्तरण			0 10101
सामान्य रिजर्व से को स्थानान्तरण		1	1 1
संचित पूंजी निधि में डाला गया शेष अधिक कमी		21 98 91 941	4 23 29 740
महत्वपूर्ण लेखा नितियां	26		01,01,01,
आकस्मिक दायित्व और लेखा पर नोट्स	27	25	
कार्यकारी अधिकारी/ निदेशक(कोडक्स एवं एफए) उप निदेशक (वित्त)	सहायक लेखा अधिकारी		
अध्यक्ष स्थानः नई दिल्ली			
तिथि:			

Issai



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31–03–2013 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनने वाला भाग

बर्तमान वर्ष अचल संपत्ति निधि 2,47,50,497	मुछला वर्ष
.64	A Print Person
.64	3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1	
ī	
I	1
	•
33,56,702	1,42,56,916
	1
1	ľ
1	
1	1
i	,
ı	1
1,45,20,205	
33,56,702	2,87,77,121
2,81,07,199	2,87,77,121
Ľ.	Ē
	ı
	1
1	ſ
47,05,702	40,26,624
47,05,702	40,26,624
Ī	1
I.	E
1	I
24	J
ı	<u>I</u>
t)	L
1	
47,05,702	40,26,624
2,34,01,497	2,47,50,497
2,	47,05,702 47,05,702

41





(राशि रु. में)

§.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 4– सुरक्षित ऋण और उधार		
अनुसूचा 4— सुराक्षरा ऋग जार उ	-	-
1. केन्द्र सरकार	_	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्त संस्थान	ř ř	-
(ए) अवधि ऋण		_
(बी) अर्जित ब्याज और उधार		
4. बैंक		
(ए) अवधि जमा	*	
– अर्जित ब्याज और ऋण		
बी) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	~	
– अर्जित ब्याज और उधार		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेन्चर और बोन्ड		=
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
कुल		



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31–03–2013 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनने वाला भाग

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार		н
1. केन्द्र सरकार	-	
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	- "	
3. वित्त संस्थान	-	
4. बैंक		
(ए) अवधि जमा	-	
(बी) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	s= _{.h}	-
6. डिबेन्चर और बोन्ड	-	=
7. सावधि जमा	(-	- 1
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	l=:	- ve
कुल		-

अनुसूची 6 – विलंबित ऋण दायित्व	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए) पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों का गिरवी द्वारा स्वीकृति	-	=
बी) अन्य	=	-
कुल		-





	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7– वर्तमान दायित्व और प्रावधान		
ए) वर्तमान दायित्व		
., 1. स्वीकृति	-1	-
2. विविध लेनदार	1 = 7 = 0 0 = 2	2,33,26,288
(ए) सामान / सेवाओं के लिए (अनुसूची 7.1 के अनुसार)	1,57,59,973	1,15,18,981
(बी) अन्य (अनुसूची 7.2 के अनुसार)	1,44,07,947	7,21,000
3. धरोहर राशि जमा	7,20,000	7,21,000
4. उपार्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं—	9	_
(ए) सुरक्षित ऋण/उधार	_	
(बी) असुरक्षित ऋण / उधार	-	
5. सांविधिक दायित्व—		13,00,350
(ए) अतिदेय	14.06.641	1,08,711
(बी) अन्य	14,06,641	1,00,711
6. अन्य वर्तमान दायित्व—	F 01 217	4,26,676
(ए) वेतन से कटौती	5,91,217 8,17,524	
(बी) पुराना चेक	91,56,460	* *
(सी) प्राप्त सुरक्षा जमा	91,30,400	-
7. साल के अंत में अनुदान का खर्च नहीं हुआ शेष	2 07 02 150	1,42,15,189
(ए) साल के अंत में नहीं खर्च हो पाया अनुदान	3,07,02,159	
कुल (ए)	7,35,61,921	3,23,01,031
बी) प्रावधान		
1. कर के लिए		-
2. ग्रैच्युटी		
3. अवकाश / पेंशन		_
4. जमा छुट्टी नकद भुगतान		_
5. व्यापार वारंटी / दावा	,	
 अन्य (निर्दिष्ट करें) 		-
कुल (बी)	7,35,61,92	1 5,29,64,694
कुल (ए + बी)	7,00,01,92	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31–03–2013 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनने वाला भाग

<u> </u>		(राशि रु. में)
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7.1 — सामान सेवाओं के लिए विविध लेनदार		
नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट	79,05,134	1,06,37,192
निदेशक, सीसीडीयू, पीएचईडी, पश्चिम बंगाल सरकार	43,89,000	30,39,000
सतत् विकास केंद्र	15,48,044	-
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय	6,64,000	2 =
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इंजीनियरिंग विभाग, चेन्नई	3,92,845	3,92,845
सत गुरु प्रबंधन कनसल्टेंट प्रा. लि.	3,59,010	17,55,160
फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी सपोर्ट एंड डेवलपमेंट	2,85,000	=
विविध लैंडस्केप एवं कन्सल्टेंट प्रा. लिं.	1,16,350	1,16,350
ट्रैक इन्फोविजन प्रा. लि.	58,000	5,08,000
स्वास्तिक कंपनी	23,435	23,435
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल	17,500	, -
विद्युत इंजीनियरिंग	1,655	1,655
प्रसार भारती	-	45,07,253
अमरचंद मंगलदास	-	5,39,471
बालमेर लॉरी कं लि.	-	5,00,000
नियो पोस्ट भारत	-	3,44,940
करम टैक्सी सर्विसेज	-	2,86,875
नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फेडेरेसन	-	1,89,840
सेन्ट्रल पीडब्ल्युडी	-	1,69,812
इम्प्रेशन डिस्ट्रिब्यूटिंग कं	-	1,03,000
रिको इंडिया लि.	-	74,510
कंटीनेन्टल कैटरर्स एवं कन्फेक्शनर्स		58,515
सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी प्रा. लिं.	ac	15,500
तन्तु ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल	-	29,431
आईएसएस हाईकेयर प्रा. लिं.	-	22,699
इंटीग्रेटेड स्ट्रैट्जिक प्रोजेक्ट	-	10,805
कुल	1,57,59,973	2,33,26,288



	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7.2 — सामान सेवाओं के लिए विविध लेनदार		
	-	32,73,934
व्यवसायिक व्यय देय	82,80,134	28,31,371
अनुबंधित स्टाफ को देय वेतन	-	25,96,274
वेतन व्यय देय		12,64,861
कार्यालय रखरखाव व्यय देय	7,39,830	7,39,830
सम्मेलन व्यय देय	-	3,32,765
मोटर टैक्सी किराया शुल्क देय	2,00,000	2,29,128
पोस्टेज एवं टेलीग्राम व्यय देय	-	90,000
लेखा शुल्क देय	_	88,760
बिजली व्यय देय	-	35,049
टेलीफोन व्यय देय	20,569	20,569
ब्याज व्यय देय	20,011	10,500
जल व्यय देय		5,940
किराया दर एवं कर देय	51,67,414	
प्रशिक्षण व्यय देय	31,07,11	
सुरक्षा व्यय देय	1,44,07,94	7 1,15,18,98



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31—03—2013 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनने वाला भाग

					अनुसूची	अनुसूची 8-अचल संपत्ति	ग्पति							(राशि रू. में)
R				कि	कुल संपत्तियां				19	अवमूल्यन			शुद्ध	शुद्ध संपत्ति
Ŧ		विभागों	वर्ष की	Additions du	Additions during the year	साल के	वर्ष के अंत	साल के	साल के दौरान	साल के	साल के	साल के	वर्तमान	पिछले साल
		का दर	शुरुआत में	30.09.2012	30.09.2012	दौरान	में लागत/		आरंभिक शेष	दौरान	दौरान	अंत तक	साल के	के अंत तक
			लागत मूल्यांकन	तक योग	तक योग	कटौती	मूल्यांकन	जैसा है	শ	योग पर	कटौती पर	कुल	अंत तक	
Þ	जमीन-						0	8						
	अ) मुआफी जमीन	%0		-	3									
	ब) पट्टे पर	%0												
4	भवन													
	अ) मुआफी जमीन पर	%0				-								
	ब) पट्टे की जमीन पर	%0												
H	संयत्र, मशीनरी एवं उपकरण													
	प्रयोगशाला उपकरण	15%	31,49,717	2,26,737	9,34,622		43,11,076	3,53,751	4,19,395	1,04,107		8,77,253	34,33,823	27,95,966
	पानी की पाइप	15%	12,35,000	1	1		12,35,000	2,63,981	1,45,653	I.		4,09,634	8,25,366	9,71,019
ক্তি	वाहन-एम्बेसडर कार	15%	5,63,772	35	Ţ		5,63,772	3,07,184	38,488	1.		3,45,672	2,18,100	2,56,588
५ 0%	फर्नीचर एवं फिक्सर	10%	33,79,290	1,16,927	2,09,760		37,05,977	6,30,869	2,74,842	22,181		9,27,892	27,78,085	27,48,421
क्रिक	कार्यालय उपकरण								Ĭ.				F.	
	1) इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस मशीन	15%	80,608	E	e s		809'08	25,404	8,281	1		33,685	46,923	55,204
	2) फोटोकॉपी मशीन	15%	18,60,110	ı	1,29,755	74,510	19,15,355	5,72,831	1,84,304	9,732	15,926	7,50,941	11,64,414	12,87,279
	3) रेफ़िजरेटर	15%	1,80,860	(3)(C)	31,725		2,12,585	40,437	21,063	2,379		63,880	1,48,705	1,40,423
	4) स्कैनिंग मशीन	15%	1,56,750				1,56,750	51,992	15,714	1		902'29	89,044	1,04,758
	5) वैक्युम क्लीनर	15%	062'2	81	2		062'2	3,006	718	1		3,724	4,066	4,784
	6) वीजीए स्वीचर एवं स्पलिटर	15%	50,840			,	50,840	13,748	5,564	1		19,312	31,528	37,092
	7) बीटल ट्वीन फोन	15%	10,931	1	•		10,931	3,865	1,060	,		4,925	900'9	7,066
	8) मोबाईल फोन	15%	1,84,662	1	T		1,84,662	48,785	20,382	1		991169	1,15,496	1,35,877
	9) तार रहित फोन	15%	8,476	1	1		8,476	4,068	199	E		4,730	3,746	4,408
	10) फैक्स मशीन	15%	2,29,930	100	1		2,29,930	76,140	23,069	t		99,208	1,30,722	1,53,790
	11) गीजर ए सी	15%	16,042	12	i)		16,042	7,700	1,251	1:		8,952	2,090	8,342
	12) माइक्रोवेव	15%	13,350	100	1		13,350	5,989	1,104	I i		2,093	6,257	7,361
	13) ऑयल फील्ड रेडियेटर	15%	25,365	1	4	- N	25,365	10,982	2,158	:1:		13,139	12,226	14,383
	14) वोल्टेज स्टैबलाइजर	15%	25,950	1	ji.		25,950	10,917	2,255	:1:		13,172	12,778	15,033
	15) वाटर दिस्पेंसर	15%	20,500	1	3		20,500	6,558	2,091	а		8,650	11,850	13,942



10,79,288	14,31,504	17,977		1 89 127	i		8,813	57,889	49,390	71.528	L	1,17,045	61,4/4	2,71,208	6,822	1,44,786		1,845	3,845	T)		9,35,804	4,86,782	8,63,842	1.14,486		2,16,833	1	2,56,661		,		-1	_	\rightarrow	-	1,45,20,205		
9,17,395 10,	12,16,778 14,	L			6,51,739		7,491	49.206	53.595	207.02	96//09	99,488	52,253	2,30,528	2,799	77,623		7,585	3,268	1,80,826	1	15.80,117	4 13.765	0 10 330	0,10,333	616/16	94 829	10.250	1	1	1		-	. 65,28,777	65,28,777	3 2,34,01,497	8 2,47,50,497		
7,97,714			14,214		2,10,554 6,		070 2	0,000	33,044	23,595	38,202	62,512	25,469	1.14,412	2,878	29.814		5,088	4.354			01 050	63,01,930	3,31,030	12,13,468	73,993	L	9,41,585	2,18,550	1,46,850	8,744	19,20,249	1,81,51,608			1,81,51,608	1,34,67,488		
7.9	13.5	2,01			2,7		+	+	1				40	100	+	101	(4,000		+	+	+	1	3,99,600									15,500	4,45,561			4.45.561	+		
+	IE.		ı.		39,769	4	1	1	1	2,049	-	1		+	+	+	1	1	1,062	1	14,662	-	14,75,169	•	6,817	,		12,144	1	12,443		E 12 673				_	-	3 9,09,676	
89,465	1,61,893	2,14,726	7697	4,03,	369 36			1,322	8,683	7,408	002.01	10,729	1/25/1	9,221	40,681	1,023	13,698	+	277	577	1	,	5,31,242	73,017	1.29,576	17173	2000	1,30,100	15,375	38.499	1 700	76/1	2,22,926	29,36,078			29,36,078	32,55,013	
		L	1	11,518		1,42,416		5.537	25,161	1000	14,13/	27,473	44,955	16,248	73,731	1,855	30,651		3,750	3,777			46 95.139	2 50 010	210,007	10,11,01	26,820	7 99 341	2 03 174	2,03,17	95,909	6,952	12,00,151	1,34,60,568	1	1	1,34,60,568	94,40,864	
812 4,55,379	109 6,35,821	11 37 371	=	29,495	1	8,61,793 1,4.	_	010			77,190	000'66	1,62,000	77,722	44,940	8 677	1 07.437		12,673	7.622	1 95 488	1001			1		1,71,306		10,36,414	2,28,800	4,35,520	18,900	22,97,187	3,50,38,994	65,28,777	65,28,777	4,15,67,771	2 82 17 989	3,04,111
10,51,812	17 15.109	21/1	25,68,875	29		.9'8		1	1				-	1	60	1		000,000	1	+		RE-		4,50,000	1			1	1				15,500	6.08.010	22 16 106	22 16.106		4	
-	•	ī	1	-		5.30,250			1	1	\ \ \	+	1	+	+	+	1	,	+	1	1	1,95,488	1	4,85,017	3.	068'06			,	2	1	1	7 52 875	000 1700	33,01,302			33,61,367	200 17 00 .
	i,	1		+	i.	5.30			t	1		13,663	-	3	1	1	,	1		7,078		ř.		22.16.106		+	1		20,240	1	0 000	82,950	1	1,35,735	28,19,436	1		28,19,436	
	10,51,812	100	17,13,109	25,68,875	29,495	1	3,31,543		14.350	000't		63,527	000'66	1,62,000	77,722	3,44,940	8,677	1 75.437		5,595	7,622					7,44,801	19,40,917	1,71,306	174 24 04	10,16,174	2,28,800	3,52,570	18,900	14,23,077	2,94,66,186	87,44,883	87,44,883	3,82,11,069	1
	-	+	-		_	4			+	15%	15%	15%	15%		-	-	1	2 2	15%	15%	7 L	200	15%	1	%09	15%	15%	15%	-	%09	ж 60%	15%	15%	100%		冲	-	+	
	15%	16) आहियो कोन्फ्रेंस सिस्टम	17) एलसीडी टीवी 15%	15%	18/व्याज्या यहार एवं 15%		२०) सीमेन हाई पाथ 15%	1150 डिजिटल) एवं	1	21) स्पीकर	न कैमरा	lt.	P	1	क्षे प्राजकटर	1	मशीन	+	सेकूलर एवं डीप	फ़िजर	30) फोन	31) टाटा स्काई	32) एयर कंडीशनर	कम्प्यूटर पेरिफेरल	1) कम्प्यूटर	्र) यपीएस	3) प्रिंटर एवं स्कैनर	4) सीस्को 2821 सिक्युरिटी	बंडल	5) कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	्र जाहके मांपटवेयर सिस्टम	b) लाइम्स्र साम्रह्मा विकरण	7) Acqiqqi 04%	-	एच लाइब्ररा बुक्त	कुल (ए)	NILK DIG	कुल (बा)	草一



अनुसूची 9 – निश्चित/दान फंड से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूति में		190ला प्र
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूति		
3. अंश		
4. डिबेंचर एवं बोन्ड		-
5. सहायक एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट करें)	_	× _
कुल	-	

अनुसूची 10 — निवेश — अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूति में	-	110011 44
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूति	-	- MA
3. अंश	_	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड		
5. सहायक एवं संयुक्त उद्यम	_	_
अन्य (स्पष्ट करें)		-
कुल		



(राशि रु. में)

अनुसूची 11 वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए. वर्तमान संपत्तियाः		-
1 सूची (अ) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-
9		-
(ब) फुटकर उपकरण		
(स) विक्रय स्टॉक	-	-
परिष्कृत वस्तुएं	-	-
कार्य प्रगति पर है	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
कच्चा माल	7.	
2 विविध देनदार		-
(अ) छह माह से अधिक अवधि पर बकाया ऋण	-	, -
(ब) अन्य	-	10,000
3 शेष रोकड़ (चैक / ड्रॉफ्ट और अग्रदेय सहित)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 बैंक शेष		
(ए) सूचीगत बैंक के साथः		_
– चालू खाते पर		_
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि शामिल)	1,09,19,263	53,13,810
– लैब्स बचत खाते पर	1	5,36,99,013
– बचत खाते पर	31,99,05,920	3,30,33,010
(बी) गैर-सूचीगत बैंक के साथ		_
– चालू खाते पर	_	
– जमा खाते पर	-	
– बचत खाते पर	-	
5 पोस्ट-ऑफिस बचत खाता	-	F 00 22 022
कुल राशि	33,08,25,182	5,90,22,823



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31–03–2013 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनने वाला भाग

		(राशि रू में)
अनुसूची 11 वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि (जारी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बी. ऋण, अग्रिम राशि एवं अन्य संपत्तियां	-	
1. ऋण		
(ए) स्टाफ		
(बी) अन्य इकाइयां इस इकाई के समान अन्य गतिविधियों / उद्देश्यों में शामिल	1	
(सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	_
2. नकद में वसूल होने वाली अग्रिम राशि एवं अन्य राशि या प्राप्त की जाने वाली कोई राशि		
(ए) पूंजीगत खाते पर	_	
(बी) पूर्व भुगतान	_	_
(सी) अन्य	· .	_
– स्टाफ को अग्रिम राशि	11,76,953	25,28,422
– ठेकेदारों एवं अन्य लोगों को अग्रिम राशि (अनुसूची–11(बी)(1) के अनुसार)	22 22	
– प्रतिभूति जमा	1,19,70,685	10 10 10 50
3. उपार्जित आय		
(ए) चिन्हित / वृत्ति निधि पर निवेश		_
(बी) निवेश पर – अन्य	_	
(सी) ऋण एवं अग्रिम राशि पर	_	
(डी) अन्य	2	¥ ***
– बचत खाते पर		, <u>.</u>
4. प्राप्य दावे	-	_
कुल (बी)	4,97,40,455	8,10,53,646
कुल (ए + बी)	38,05,65,637	14,00,76,469



नुसूची 11(बी) 1 ठेकेदारों एवं अन्य के लिए अग्रिम रांशि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	14,134.00	14,134
बी.पी प्राइवेट लि.	97,600.00	-
शासनिक अधिकारी, एफ.डी.ए नागपुर	5,000.00	5,000
खिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ	10,099.00	-
ल्पकार्ड नेटवर्क ट्रेवल एंड कान्फ्रेंस मैनेजमेंट क.	16,50,000.00	ļ -
सोकैम	10,000.00	
मिकृत अधिकारी, चेन्नई	10,000.00	10,000
मधिकृत अधिकारी, जे.एन.पी.टी नहावा शेवा		10,000
अधिकृत अधिकारी, समुद्री बंदरगाह, चेन्नई	10,000.00	1,200
वेग फुल	1,200.00	
ब्रेटिश काउंसिल	-	16,500
खाद्य सुरक्षा कमीशन, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई	17,76,800.00	
खाद्य सुरक्षा कमीश्नर, जम्मू एंव कश्मीर	3,58,400.00	*
कानफेडरेशन आफ इंडियन इन्स्टीटयूट	18,50,000.00	
भारतीय उपभोक्ता संघ, चेन्नई	58,148.00	
	1,59,68,527.00	1,59,68,52
महानियंत्रक औषधियां	90,000.00	
डी जी अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रशन भोपाल	4,14,900.00	
दक्ष शिक्षा और कल्याण सोसाईटी	2,34,008.00	
दीन दयाल उपाध्याय	2,49,000.00	
उप खाद्य सुरक्षा कमीश्नर		
सी.एफ.टी.आर.आई,मैसूर	1,04,000.00	
निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा और नियामक, हिमाचल प्रदेश	44,56,977.00	
विज्ञापन एंव दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	1,002.00	W
उप निदेशक, एसपीपा, अहमदाबाद		
ऊर्जा एंव संसाधन संस्थान	1,25,000.00	
फिक्की	9,43,250.00	
फाउंडेशन समिति सर्मथन और विकास कोलकाता	5,17,500.00)



कुल	3,65,92,817	6,89,51,899
उपनिर्देशक मुंबई	90,000.00	n
उपनिर्देशक कोलकाता	62,336.00	9
उपनिर्देशक गुवाहटी	10,000.00	-
उपनिर्देशक (एफ एंड वी पी) एन.बी.सी.सी	44,394.00	-
उपनिर्देशक चेन्नई	1,10,000.00	-
पश्चिमी बंगाल राज्य स्वास्थ्य एंव परिवार	86,400.00	
विकास बैट्रीज	14,999.00	14,999
यू ए एच एफ डब्लयू खाद्य सुरक्षा और मानक देहरादून	1,61,600.00	-
यू.पी प्रबंधन अकादमी	1,19,400.00	-
टोटल लाईब्रेरी सालूशन इंडिया प्रा.लि	-	3,67,110
राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी (आई डी एम एल) जयपुर	4,56,400.00	-
एस एस बिल्डकान प्रा.लि. गाजियाबाद	2,00,000.00	-
प्रिंसिपल, किरोड़ीमल कालेज	2,00,000.00	2,00,000
पी. मूर्ति	2,92,187.00	-
राष्ट्रीय जैविकी संस्थान	-	65,000
राष्ट्रीय पोषण संस्थान	47,43,444.00	19,26,582
पर्यावरण प्रबंधन गुणवत्ता संस्थान	50,000.00	
आन्ध्र प्रदेश संस्थान	96,800.00	7.000
भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर	4,37,698.00	
भारतीय व्यापार प्रचार संगठन	2,00,000.00	
होटल पेसिफिक, सुभाष रोड	86,400.00	
एच.एस.सी.सी इंडिया लि.	16,414.00	
गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी	1,08,800.00	
महासचिव, दिल्ली टेलिग्राफ अकादमी	50,000.00	



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

(राशि रू में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 – विक्रय/सेवाओं से प्राप्त आय		
1) विक्रय से आय		_
अ) निर्मित माल से आय	_	_
ब) कच्चे माल से आय		_
स) स्क्रैप से प्राप्त आय		
2) सेवाओं से प्राप्त आय	20,20,29,374	2,77,04,989
अ) लाइसेंस रहित	52,25,875	2,97,658
ब) नमूना जांच शुल्क	4,16,25,000	
स) उत्पाद अनुमोदन	24,88,80,249	2,80,02,647
कुल		

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 13 – अनुदान/ सब्सिडी		
(पुनरावृत्त प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी) 1) केंद्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	42,45,50,000	38,63,00,000
2) राज्य सरकार	_	-
3) सरकारी एजेंसियां	_	-
4) संस्थान / कल्याण निकाय	_	
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	_	
6) अन्य	1,42,15,189	
जोडः वर्ष के आरंभ में अविगत शेष	(3,07,02,159)	(1,42,15,189)
घटाः वर्ष के अंत में अनुदान का अविगत शेष	(33,56,702)	(1,42,56,916)
घटाः वर्ष भर पूंजीकृत अनुदान	=	;
	40,47,06,328	35,78,27,895
कुल		



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

(राशि रू में)

3	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 14 — शुल्क / अंशदान		
1) प्रवेश शुल्क	:-	
2) वार्षिक शुल्क / सदस्यता	-	=
3) सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	= 2
4) परामर्श शुल्क	-	= 2
5) अन्य	-	-
कुल	-	

		(राशिक म)
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 15—निवेश से प्राप्त आय		1
1) ब्याज		
अ) सरकारी प्रतिभूतियों पर	i	-
ब) अन्य बोन्ड / ऋणपत्रों पर	-	:=:
2) अन्य	ii ii	
– निवेष पर ब्याज	-	-
कुल	-	_
चिहिन्त / वृत्तिदान निधि में हस्तांतरित किया गया		-



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

(राशि रू में)

अनुसूची 16 — अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) अधिषुल्क से प्राप्त आय	-	-
2) प्रकाशन से प्राप्त आय	-	8
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	
	-	-
कुल	-	

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 17 – उपार्जित ब्याज		
1) अवधि जमा पर		X
ए) अनुसूचित बैंकों के साथ		-
बी) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
सी) संस्थाओं के साथ	-	-
डी) अन्य	-	-
2) डाकघर बचत खातों पर	4	
ए) अनुसूचित बैंकों के साथ	58,74,901	31,72,140
बी) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
सी) डाकघर बचत खाता	-	_
घ) अन्य	-	-
3) ऋण पर		
ए) कर्मचारी / स्टाफ	-	<u>s</u>
बी) अन्य	-	-
कुल	58,74,901	31,72,140



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ	90,11,1,44	14छला प्र
ए) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	_
बी) अनुदान में से, गृहित या लागत मुक्त परिसंपत्तियां	-	-
2) विविध आय		
– पुराने समाचार पत्रों की बिक्री		14,100
– निविदा पत्रों की बिक्री	1,00,750	250
– आरटीआई शुल्क	4,199	1,775
– अन्य	4,65,290	93,988
— पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	5,70,239	1,10,113

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 19 — तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी तथा प्रगति में कार्य		
ए) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	_
– कार्य प्रगति पर	-	-
बी) घटाः प्रारंभिक स्टॉक		-
– तैयार माल	-	
– कार्य प्रगति पर	-	_
शुद्ध वृद्धि / कमी (ए – बी)	-3	



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

(राशि रू में)

वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
9,85,81,887	10,56,49,768
15,47,304	29,99,626
1,000	-
	-
27,31,334	12,47,045
10,28,61,525	10,98,96,439
	9,85,81,887 15,47,304 1,000 27,31,334



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

(राजि क में

		(राशि रू में
अनुसूची 21 — प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) श्रम एवं संसाधन व्यय		1,78,81,631.00
2) विद्युत एवं ऊर्जा	1,04,40,629.00	45,93,015.00
3) जल शुल्क	2,82,992.00	4,96,146.00
4) किराया, दर एवं कर	5,34,76,193.00	4,91,09,632.00
5) डाक शुल्क एवं संचार प्रभार	(40,509.00)	
6) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	42,57,190.00	0. 0
7) यात्रा एवं वाहन व्यय	2,54,86,916.00	
8) सेमिनार एवं वर्कशॉप पर व्यय	20,00,236.00	
9) सदस्यता व्यय	30,074.00	S 50.
10) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	95,040.00	
11) पेशेवर प्रभार	8,85,83,584.00	(A) 250
12) खाद्य आयात निकासी प्रक्रिया के संचालन पर व्यय	_	3,43,46,003.00
13) आईईसी एवं प्रचार व्यय	8,69,92,838.00	
14) ऑफिस खर्च	2,49,29,766.00	
15) प्रशिक्षण प्रभार	79,45,635.00	38,76,192.00
16) प्रकाशन प्रभार	4,54,680.00	11,78,252.00
17) टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय	11,35,589.00	8,22,655.00
18) मनोरंजन खर्च	50,112.00	-
19) गेस्ट हाउस	(34,374.00)	: -
20) नमूना प्रभार	3,500.00	_
21) सुरक्षा प्रभार	13,17,778.00	_
22) अन्य प्रशासकीय व्यय		
– इंटरनेट प्रभार	51,156.00	
– कंप्यूटर व्यय	37,556.00	73,484.00
– सदस्यता शुल्क	2,01,700.00	61,790.00
– अंकरूपण प्रभार	_	1,103.00
– उपभोगीय स्टोर		1,562.00
- जेनरेटर व्यय	33,695.00	1,502.00
– अन्य	56,98,298.00]
13) पूर्व अवधि व्यय	36,27,142.00	27,56,997.00
कुल	31,70,57,416	21,15,81,694

अनुसूची 22 — मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय		
1) कार्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव	1,29,81,853	1,89,01,405
2) एसी संयंत्र, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	13,726	3,19,255
3) वाहनों की मरम्मत, परिचालन एवं रखरखाव	2,25,256	84,262
4) अन्य	-	-
कुल	1,32,20,835	1,93,04,922



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची बनने वाला भाग

	(शाश रू म)
वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	d
70,00,000	60,00,000
= * -	-
70,00,000	60,00,000
	70,00,000

V = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 24 — अवमूल्यन	N.	
नियत परिसंपत्तियों पर	47,05,702	40,26,624
कुल	47,05,702	40,26,624
घटाएंः नियत परिसंपत्ति निधि के लिए हस्तांतरण	47,05,702	40,26,624
कुल	-	-

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 25 — लाभ		
1) नियत ऋण पर		9
2) अन्य ऋण पर	-	-
3) अन्य — सीपीएफ पर लाभ		-
कुल	-	-



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 01.04.2012 से 31.03.2013 अवधि के लिए आय और व्यय का विवरण

표'	den.			-			
		वतमान वर्ष	पिछला वर्ष	8. 田	पावती	वर्तमान वर्ष	Har H
-	आरंभिक शेष			-	व्यय		विकास विकास
	क) नकद	10,000	10,000		क) संस्थापन लाग	20000001	\perp
	ख) बैंक शेष				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,00,09,036	10,45,42,70
	1) बचत बैंक खाता	5,90,12,823	2 55 99 749		(जनुसूबा 20 क सगत)		
	2) चाल जमा खाना		C+1,00,00,14		ख) प्रशासकीय व्यय	32,33,22,393	19,13,16,170
	2) TIS GIVE	1	E		(अनुसूची 21 के संगत)		
	3) जमा खाता	1	T		ग) मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	1 44 85 696	200 70 77 1
	۵				(Tring of the state of the sta		067'10'11'
7	प्राप्त अनुदान				(जाउत्तया दाद क संगत)		
	क्र) भाउन सरकता ने						
	ליי אוני לאלאוג א			7	प्रदत्त अनुदान		
	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	42,45,50,000	38,63,00,000		अनदान सहायता	20.00.000	00000
	स्वास्थ्य विभाग (पूंजीगत अनुदान)	ì	ī			000,000,0	90,00,000
				1			
65	# T.			2	निवेश एवं जमा		
	ानि से प्राप्त निवश पर आय				क) उद्दिष्ट / दान अनदान से अलग	ī	
	क) चिहिन्त / वृत्ति निधि	1	1	-			1
	ख) स्वामात्वि निधि (अन्य निवेष)	ı	1		ज) त्यंच में हैं ते अलग (निवंश – अन्य)	1	1
				1			
-	Control of the Contro			4	स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय एवं		
1	प्राप्त लाभ				पंजीगत कार्य प्रगति		
	— बैंक जमा पर (बचत)	58,74,901	31,72,140	, 10	A William Print Control of the Contr		
	– बैंक जमा पर (एफडीआर)	,	31	7 1	े त्याचा चारसचारायी का खराद	33,36,702	55,12,033
-	क्षा अधिम मिल्र विकास				ख) पूजागत काय प्रगात पर व्यय	Ĭ	87,44,883
	אוני פווא פווא פווא	t	1				
		-		rc p	कर्मचारियों को अग्रिम		8 21 949
			5				1:1:10



rU.	लाइसेंसघारी द्वारा प्राप्त आय						5 10 20 460
Ī	– लाइसेंस शत्क	20,20,29,374	2,77,04,989	9	आपूर्तिकर्ताओं / अन्य को आग्रेम	ť.	3,10,40,100
1	यसम्बद्धाः अ	52,25,875	2,97,658				
	निमान जाना द्वारा	4,16,25,000	1	IIA	टीडीएस जमाः	=	
1	- उत्पादन अनुनादन	1	1		- ठेके पर	9,23,845	13,17,188
٥	निवेश का नकदाकरण				- किशाए पर	25,49,536	47,20,661
					1 (2) 14	30,57,339	13,80,177
_	प्राप्त टीडीएस				, r	27 78 321	32.44.815
	– ठेकेदारों पर	8,92,993	13,64,407		– वेतन	170'01'17	0.07
	— किराए पर	36,63,630	47,17,030				
	– पेशेवरों पर	19,72,151	13,71,979	= \	ठेकेदार की ईएमडी / प्रतिभूति जमा	ī	1
-	- वेतम पर	27,77,847	32,56,716				0000
1;				XI	वेतन पर कटौती	1	170,66
8	समायोजित अग्रिम राशि		1				
	कर्मचारी	13,51,469					
	अपतिकर्ता / अन्य	3,23,59,082		×	व्यर्थ चेक	5,29,975	
6	कोई भी अन्य पावतीः						
	– आरटीआई शुल्क	4,199	1,775				
	– समाचार पत्रों की बिक्री	1	14,100	₹	अंतिम शेष		000 01
	— निवदा प्रपत्रों की बिक्री	1,00,750	250		क) नकद राशि	1	200,01
	— विविध आय	4,65,290	93,988		ख) बैंक शेष		000
	– पर्व अवधि आय	1	, ť		ग) बचत बैंक खाता	33,08,25,182	5,90,12,823
	– टीडीएस	1	1		घ) चालू जमा	I	
					ड) जमा खाता	1	
10	ठेकेदारों की ईएमडी / सुरक्षा जमा राशि	67,58,100	11,38,858				
11	1	1,64,541	1				
X	पूराना चेक	t	4,06,548		a a	10000001	75 54 50 187
	ণ ক	78,88,38,025	45,54,50,187			76,66,36,04,3	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
H	भै अधिकारी /	निदेशक(कोडक्स एवं एफए)	उप निदेशक (वित्त)	वित्त)	सहायक लेखा अधिकारी		

125

स्थान: तिथि:



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31-03-2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय खातों की अनुसूची का हिस्सा बनाने वाला भाग

अनुसूची 26- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

तैयार होते हैं। लेखा की संभूति प्रणाली पर जब तक अन्यथा न कहा जाए।

2. वार्षिक आय मान्यता

जब कारणों के रूप में लाइसेंस फीस और नमूना परीक्षण फीस मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। बचत बैंक खातों पर ब्याज रसीदी आधार पर मूल्यांकित है।

3. निवेश

निवेशों को लंबी अवधि के, निवेशों में लागत पर वर्गीकृत किए जाते है, गिरावट के लिए प्रावधान, अन्य की तूलना में अस्थायी हैं, इस प्रकार का निवेश लागत पर आगे ले जाया 8. सरकारी अनुदान जाता है। निवेश बतौर "चालू" श्रेणी में वर्गीकृत निवेश को न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर आगे लें जाया जाता हैं। इस प्रकार के निवेशों के मूल्यों की कमी के लिए प्रावधान निर्माण के लिए प्रत्येक निवेश अलग ईकाई माना जाता है और न कि वैश्विक आधार पर। लागत, जिसमें व्यय का अधिग्रहण, जैसे टूट-फूट, टिकटों का स्थानांतरण सम्मिलित

4. स्थायी संपत्ति

स्थायी संपत्ति लागत का अधिग्रहण कम संचित मूल्यहास कहलाता है, जिसमें समावेश है आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुशांगिक एवं प्रत्यक्ष खर्च, जो अधिग्रहण से संबंधित हैं। योजनाओं के संबंध में संबंधित है, निर्माण, संबंधित पूर्व कार्यकारी व्यय (विशिष्ट पूर्व योजना के लिए 8.3 राजस्व व्यय मिलने के लिए (व्यय के आधार पर) लोन पर ब्याज सहित) पूंजीकृत संपत्ति के मृल्य का हिस्सा बनाना।

स्थायी संपत्ति गैर मौद्रिक अनुदान के मार्ग से प्राप्त होती है, अन्य की अपेक्षा संचित निधि की ओर, पूंजी संचय के लिए 8.4 अनुपयोगी अनुदान आगे भेजे जाते है और तुलन पत्र तदनरूपी ऋण द्वारा कहे गए मूल्यों पर लाभ है।

5. मूल्यहास

मूल्यहास आयकर कानून के अनुसार उपलब्ध है और 9.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का वर्चस्व का विनिमय दर लिखी गई मूल्य पद्धति पर आधारित है तथा उसमें विशिष्ट मूल्यों के तौर पर है। संकलनों के संबंध में / वर्ष के दौरान

निश्चित संपत्ति में कटौतियां, मूल्यहास तदनुसार माना जाता है।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर प्राधिकरण की निश्चित संपत्ति वर्ष के लिए मूल्यहास अनुदान आधारित लेखांकन के साथ अनुरूप निश्चित संपत्ति अनुदान के नाम लिखा गया।

6. सूचियों का मूल्यांकन

स्टेशनरी की खरीद पर व्यय, खपत, प्रकाशन और अन्य भंडार राजस्व व्यय के तौर पर जिम्मेवार है।

7. अन्य व्यय

अस्थगित राजस्व व्यय उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए लिखा जाता है, जिसमें यह व्यय हुआ।

- सरकारी अनुदान वसूली के आधार पर हिसाब करते हैं, फिर भी 31 मार्च से पूर्व प्राप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जहां जारी करने की स्वीकृति होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है। अन्दान का हिसाब वास्तविक आधार पर होता है और समान राशि वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।
- 8.2 सरकारी अनुदानों की पूंजी प्रकृति वास्तविक आधार पर पहचानी जाती है और संचय अनुदान के तौर पर निर्धारित / बंदोबस्ती अनुदान के अंतर्गत हिसाब के आधार पर फंड दर्शाया जाता है।
- सरकारी अनुदान बढ़ी हुई उपयोगिता के लिए, वर्ष की आय के तौर पर व्यवहारित किए गए, जिसका उन्हें अहसास है।
- में देयता के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

9. विदेशी मुद्रा का लेन-देन

पर हिसाब लेन-देन की तिथि पर विद्यमान है।



संपत्ति के मूल्य पर समायोजित हो गए हैं, यदि विदेशी नीतियां संक्षिप्त में निम्न के अंतर्गत दी गई हैं-मुद्रा स्थायी संपत्ति के देयताएं से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व के लिए प्रतिबद्धता है।

अनुसूची 27 आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयताएं

- आकस्मिक देयताएं
- 1.1 ऋण के रूप में स्वीकार न करने पर प्राधिकरण के विरूद्ध दावा - रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)
- 1.2 इनसे संबंधित
 - प्राधिकरण द्वारा / की ओर से बैंक गारंटी देना -रू. शुन्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)
 - संस्था के की ओर से बैंक द्वारा ऋण पत्र खोलना
 विदेशी मुद्रा लेन-देन क्त. शून्य (पूर्व वर्ष क्त. शून्य)
 - बैंक के साथ रियायती बिल-रू. शून्य (पूर्व वर्ष क्त. शून्य)

1.3 इनके संबंध में विवादग्रस्त मांगेः

- आय कर—रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)
- बिक्री कर-रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)
- नगरपालिका कर-रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर क्रियान्वन हेतु पक्षों द्वारा दावों के संबंध में, परंतु प्रविष्टियों द्वारा विवाद हुआ (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं:

जाने है और शून्य के लिए उपलब्ध नहीं है (पूर्व वर्ष रू. ब्याज अदायगी शुन्य)

ख. खातों पर टिप्पणियां

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एक पंजीकृत प्राधिकरण है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है और भारत सरकार

9.2 मौजूदा संपत्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान द्वारा पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त है, इसलिए इसकी उत्तरदेयताएं प्रदर्शित विनिमय दर पर बदल गयी है, लेखांकन नीतियां अधिकांशतः जीएफआर एवं आर एवं पी क्योंकि वर्ष के अंत में और परिणामी लाभ / हानि स्थायी नियमों पर आधारित है। प्राधिकरण के लेखांकन सिद्धांत और

1. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के विचार में, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम में व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में प्राप्ति का बैलेंसशीट में दर्शायी गई कुल राशि का कम से कम समान महत्व मिलता है। वर्ष के दौरान अग्रिम में मुख्यतः बाहरी दलों / कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम खातों में बढ़ौतरी हुई है।

कराधान

प्राधिकरण की आय आयकर कानून की धारा 11 से 15 की दिष्ट में आय कर से छूट विचारणीय हो सकती है। यहां खातों में आय कर के लिए कोई प्रावधान नही है।

2.1 सी.आई.एफ के आधार पर आयात की गणना का मूल्य पूर्ण हो चूकी वस्तुओं की खरीद – शून्य – शून्य कच्चा माल और तत्व (परागमन सहित) – शून्य पूंजी वस्तुऐं भंडार, अतिरिक्त और उपयोग में आने वाली - शून्य

2.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

– शून्य क) यात्रा (विदेश यात्रा पर होने वाला व्यय दौरा करने वाले अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है और जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय मुद्रा में की जाती है। सारी विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर ली जाती है और अधिकृत बैंक द्वारा वापिस बदल दी जाती है।)

पूंजी खातों पर अनुमानित मूल्यों के अनुबंध क्रियान्वित किए ख) प्रेशण और वित्तीय संस्थानों / बैंको में विदेशी मुद्रा की

ग) अन्य व्यय	शून्य
बिक्री पर लाभांश	शून्य
कानूनी और व्यवसायिक व्यय	शून्य
अन्य व्यय	शून्य



वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 15,000 यू एस डालरों का भुगतान 5. स्थायी संपत्ति निधि एंव भवन निधि डब्ल्यूएचओ-एफएओ ट्रस्ट फंड को भारत के योग्दान के रूप में किया।

2.3 आय एफओबी के आधार पर निर्यात का मुल्य सेवाओं का मूल्य

3. हमारी प्राधिकरण की योग्य सीएजी द्वारा दी गई वर्णित रूपरेखा पर आधरित वित्तीय कथनों का प्रदर्शन

4. धन के स्त्रोत

प्राधिकरण के बजट में फंड की रसीदों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव कल्याण मंत्रालय से शुद्ध अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

अनुदानों के अतिरिक्त विविध रसीदें जैसे कि लाईसेंस फीस, बचत खाते पर ब्याज आदि आतंरिक रूप से उत्पन्न होने वालों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अनुदान सहायता में अधिग्रहित पूंजीगत संपत्तियों को स्थायी संपत्तियों कार्पस निधि के अतंर्गत वर्ष के लिये प्राप्त अनुदान सहायता को कम करने के साथ पूंजीगत किया जाता है। और तदनुसार स्थायी संपत्तियों पर हास को संबंधित विधि आधारित लेखा और मिलन प्रणाली के अनुसार लगाया गया

- 6. आंकड़े निकटतम रूपये के समरूपी रहे है।
- 7. प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित एजीसीआर द्वारा वर्णित रूपरेखा के साथ पंक्तियों में जहां भी आवश्यकता समझी गई पूर्व वर्ष में आंकड़े पुर्नसामूहिक / पुर्नव्यवस्थित और पूर्नवर्णित किए गए।
- 8. तिथि 31-03-2013 तक बैलेंस शीट के बाहरी भाग के फार्म में और आय तथा व्यय खाते उस तिथि पर वर्ष के अंत में अनुसूची 1 से 27 विद्यमान है।







कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय) Office of the Director General of Audit (Central Expenditure) इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002 Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-50/2013-14/ दिनांकः

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार, रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, क्रुट्ट नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2012-13 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

गैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो रादगों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अग्रेंजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

अनुलग्नकः यथोपरि

Qu. Rojeler (s.0).1804 —__>d—_ निदेशक (ए.एम.जी.- 11)

A.G.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002 e-mail : dgace@cag.gov.in पत्र संख्यः ए.एम.जी. ॥/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-50/2013-14/937दिनांकः

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

िप्रसिर्भ वि निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्यः ए.एम.जी. ॥/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.एस.ए.आई. /7-50/2013-14/

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री अनिरूद्ध मेहता, प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Ph.: 91-11-23454100 Fax: 91-11-23702271



डा. ए. आर. शर्मा

अनुलग्नक-I

खाद्य प्रधिकरण के सदस्य अध्यक्ष श्री के चन्द्रामोली सदस्य सचिव श्री एस. एन. मोहंती धारा 5(1) (क) के तहत पदेन सदस्य श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय श्री मनोज परिदा, संयुक्त सचिव, उपभोगता मामलों का मंत्रालय श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय श्री अरूण कुमार पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डा. जी. नारायण राजू, संयुक्त सचिव एंव विधि वकील, कानून एंव न्याय मंत्रालय श्री एम. पी. सिंह, अतिरिक्त विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई) पदेन सदस्य सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, अखिल भारतीय खाद्य प्रंसस्करण संघ सुश्री इंद्राणी कर, उप-महानिदेशक, सी.आई.आई. सुश्री वंसुधरा प्रमोद देवोधर, मुम्बई ग्राहक पंचायत श्री बिजोन मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक विशेषज्ञ और भूतपूर्व अध्यक्ष, ग्राहक समन्वयन परिषद डा. एस. गिरिजा, निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी संस्थान श्री प्रवीन प्रकाश, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश श्री सी.आर. राणा, आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा श्री संजय कुमार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पटना श्री तपे बागरा, खाद्य सुरक्षा कमीश्नर, अरूणाचंल प्रदेश श्री एस के पॉल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर डा. (श्रीमती) टी. ए. कादरभाई, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पूणे श्री बाला सुब्रामणियम, महासचिव, भारतीय झींगा कृषक महासंघ, बैंगलोर श्री अबूलकलाम



अनुलग्नक-॥

केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य

1. श्री एस. एन. मोहंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण

खाद्य उद्योगः

- 2. श्री अर्नब कुमार हाजरा केयर / ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110011
- श्री प्रदीप चोर्डिया केयर/ऑफ चोर्डिया फुड प्रोडक्ट, 48 / ए, प्रावती इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अधिनाथ सोसायटी के सामने, पुणे, सतारा रोड, पुणे-411009

कृषिः

- डा. जे. टोनपानगयोगडंग वालिंग गांव-सनग्रस्तस्, जिला-मोकोकच्ंग नागालैंड
- श्री अरूण बालामत्ती 815, 7वां क्रॉस, बनशंकरी, थर्ड फेज, थर्ड ब्लॉक, थर्ड स्टेज बंगलीर-560085

उपभोक्ताः

- श्री आर. देसीकेन केयर / ऑफ - कसंर्ट एंड कंजूमर एसोसिएट्स ऑफ इंडिया 2/228, चीनन दिकुप्पम रोड, वेट्टुवनकेनी, चेन्नई
- 7. श्रीमती केया घोष केयर/ऑफ-कंजूर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसायटी 3 सुरेन टैगारे रोड, गरीहट, कोलकाता-700019

रीसर्च बॉडी एंड फुड लेबोरेट्रीजः

- डा. एस.पी. वसीरेड्डी अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक वीआईएमटीए लेब्स लिमिटेड 142, आईडीए, फेज-2, चेयरपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
- प्रो. गोपाल नाइक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बंगलीर



खाद्य सुरक्षा आयुक्तः

- 10. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
- 11. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु
- 12. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुडेचेरी
- 13. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राजस्थान
- 14. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
- 15. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
- 16. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लक्ष्द्वीप
- 17. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
- 18. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
- 19. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
- 20. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दमन एवं दीयू
- 21. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, चंडीगढ़
- 22. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा
- 23. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर
- 24. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखंड
- 25. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा
- 26. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़
- 27. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दादर एंड नागर हवेली
- 28. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
- 29. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश
- 30. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब



- 31. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- 32. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
- 33. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उड़ीसा
- 34. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह
- 35. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम
- 36. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मेघालय
- 37. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बिहार
- 38. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड
- 39. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अरूणाचल प्रदेश
- 40. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर
- 41. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मिजोरम
- 42. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नागालैंड
- 43. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, त्रिपुरा
- 44. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सिक्किम



वैज्ञानिक समिति का सदस्य

- प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, सलाहकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
- 2. डा. पी. जी. चेनगाप्पा, कुलपति, जीकेवीके, बैंगलौर
- डा. अशोक ए. पटेल,
 प्रधान वैज्ञानिक एवं एक्ट. प्रमुख, डेयरी प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
- डॉ. एम.एस. मिथ्यान्था,
 पीएचडी (कृषि रसायन शास्त्र), स्वतंत्र परामर्शदाता, कीटनाशक अवशेष तथा संदूषक विशेषज्ञ, बंगलौर।
- 5. डा. के सी बंसल, समन्वयक, पराजीन–विकास पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क, राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- उडा. जगदीश एस. पाई, पीएचडी खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञ फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रोटीन खाद्य एवं पोषणात्मक विकास संघ, मुंबई
- 7. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यूटिक्ल्स, आहार उत्पाद एवं अन्य समान उत्पाद
- 8. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, नमूना तथा विश्लेषण विधि
- 9. अध्यक्ष, खाद्य, स्वाद, प्रसंस्करण साधन और भोजन के साथ संपर्क में सामग्री
- 10. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, खाद्य श्रृंखला में संदूषित पदार्थ
- 11. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, जैविक खतरे
- 12. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, कीटनाशक तथा प्रतिजैविक अवशेष
- 13. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, लेबलिंग और दावा / विज्ञापन
- 14. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद्य पदार्थ
- 15. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल, मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद



वैज्ञानिकों का पैनल

पैनल 1 – फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यिटिक्ल्स, आहार एवं अन्य समान उत्पाद के लिए

- 1. डॉ. वी. प्रकाश, विशिष्ट वैज्ञानिक सीएसआईआर—भारत, निदेशक, खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र, जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, निदेशक, अनुसंधान विकास और नवाचार, जेएसएस प्रबंधन अध्ययन केंद्र, जेएसएस तकनीकी संस्थान कैम्पस, मैसूर
- 2. डॉ. डी बी अन्नथा नारायण, बैंगलोर
- 3. सुश्री अनुजा अग्रवाल बाल चिकित्सा आहार विशेषज्ञ विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
- 4. डॉ. बी. सी घोष, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर
- डॉ. के. माधवन नायर वैज्ञानिक 'ई' सूक्ष्म पोषक अनुसंधान समूह, जैवभौतिकी विभाग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद
- श्री कुमार भाटिया सेवानिवृत, मुख्य सलाहकार (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग), कृषि और सहकारिता मंत्रालय
- 7. डॉ. पी. डी. द्विवेदी प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
- डॉ. पार्थ रॉय सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
- डॉ. ए. जी. अप्पू राव सीएसआईआर वैज्ञानिक एमेरिटस, मैसूर विश्वविद्यालय
- डॉ. एस वेंकट राव
 पूर्व क्षेत्र समन्वयक तथा प्रमुख, पोषण विभाग एवं खाद्य सुरक्षा, सीएफटीआरआई, मैसूर
- 11. डॉ. संध्या कुलश्रेष्ठ सलाहकार, पीपीक्यूएवंएस निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग
- 12. डॉ. मनोरमा कनूरी प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण), आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर, हैदराबाद
- 13. डॉ. पी. गोस्वामी वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, नॉर्थ ईस्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट, असम
- डॉ. सुमन कपूर
 डीन, अनुसंधान तथा सलाह, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, हैदराबाद
- 15. डॉ. वीरेंद्र कुमार बटिश एमेरिटस साइंटिस्ट, आण्विक जीविवज्ञान यूनिट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल



पैनल 2 - नमूनाकरण और विश्लेषण पद्धति के लिए

- 1. डॉ. सुशील कुमार सक्सेना, निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), वाणिज्य और उद्योग, एनडीवाईएमसीए, तृतीय तल, 1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली
- 2. डॉ. लिलता रामकृष्ण गोवड़ा, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सीएसआईआर, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर 570020
- 3. डॉ. एम. एन. मंजुनाथ, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, सीएफटीआरआई, मैसूर
- 4. डॉ. हरि निवास मिश्रा प्रोफेसर, कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर—721302
- 5. डॉ. सतविंदर सिंह मारवाहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, एससीओः 7 और 8, फेस–V, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब–160059
- 6. डॉ. मिहिर कुमार कुंडू, सलाहकार, पूर्व खाद्य तेल आयुक्त, डी 776, एफएफ, सीआर पार्क, नई दिल्ली—110019
- 7. सुश्री शोभा हेगड़े, स्वतंत्र परामर्शदाता, पैनलबद्ध प्रत्यायन निर्धारक, मुंबई (सेवानिवृत्त बीआईएस), फ्लैट नंबर 43, बी विंग, मीरा भवन, सेक्टर 3, सृष्टि आवासीय परिसर, मीरा रोड, ठाणे—401107
- 8. डॉ. राजन शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल
- 9. डॉ. प्रेम कुमार जयसवाल, पूर्व निदेशक (प्रयोगशाला), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला बी 197, सेक्टर 41 विभाग, जी.बी. नगर, नोएडा 201303
- डॉ. मंजीत अग्रवाल,
 उप निदेशक, औद्योगिक अनुसंधान श्रीराम इंस्टीट्यूट, 19, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली–110007
- 11. श्री के.एस. प्रेम वल्ली वैज्ञानिक 'जी', रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, 3, सत्य मार्ग, सिद्धार्थ नगर, मैसूर
- 12. डॉ. सुरेश वालिया, प्रमुख वैज्ञानिक, कृषि रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एलबीएस भवन, नई दिल्ली 110 012
- डॉ. ए.ए. पटेल
 प्रमुख, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल
- 14. श्री. वी.डी. सत्तीगेरी
 पूर्व निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, 7, सीएफटीआरआई लेआउट,
 5 वीं मुख्य, 1 क्रॉस, बोगड़ी 2 चरण, मैसूर 570020



15. प्रोफेसर पी. शेट्टी प्रमुख, खाद्य प्रौद्योगिकी, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी।

पैनल 3 – खाद्य, स्वाद, प्रसंस्करण साधन और भोजन के साथ संपर्क में सामग्री के लिए

- डॉ अमरिंदर सिंह बावा,
 निदेशक, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल), डीआरडीओ, मैसूर
- 2. डॉ मुकुल दास, उप निदेशक (वैज्ञानिक 'एफ'), विष विज्ञान अनुसंधान के भारतीय संस्थान, एमजी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं 80, लखनऊ
- 3. डॉ के एन गुरू दत्त, प्रमुख खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कमरा 161, 4 क्रॉस, सीएफटीआरआई ईएचबीसीएस लेआउट, भोगड़ी द्वितीय, स्टेज—570 026, मैसूर
- 4. डॉ एच.पी.एस. सचदेव, वरिष्ठ सलाहकार (बाल रोग और नैदानिक महामारी विज्ञान), सीता राम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, ई–6/12 वसंत विहार, नई दिल्ली
- डॉ आर.बी.एन. प्रसाद,
 वैज्ञानिक 'जी', भारतीय संस्थान ऑफ रासायनिक प्रौद्योगिकी, तरणका, हैदराबाद
- 6. डॉ सतीश कुलकर्णी, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, होसुर रोड, अदूगोड़ी, बंगलौर
- 7. डॉ वी. सुदर्शन राव, वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय पोषण संस्थान, बी 406, फेस—2, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद
- प्रो. सुभाष चंद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, हौज खास, नई दिल्ली
- 9. डॉ. सुनीता सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी का प्रभाग, कमरा नं. 334, एनआरएल बिल्डिंग—तीसरा तल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली
- प्रोफेसर (डॉ.) सत्यनारायण मोहंती,
 भूतपूर्व डीन, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 1148, विष्णु नगर, टंकपनी रोड, भुवनेश्वर
- 11. डॉ. ए वजरेशवरी, वैज्ञानिक 'एफ' और प्रमुख, लिपिड जैव रसायन प्रभाग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जमाई उस्मानिया तरणका
- 12. डॉ. रवींद्र जयवंत जेंडा, प्रोफेसर एवं प्रमुख अन्वेषक, पशु चिकित्सा लोक स्वास्थ्य विभाग, बंबई पशु चिकित्सा कॉलेज परेल, मुंबई



- 13. प्रो. एफ.ए. मसूदी, प्रोफेसर (खाद्य प्रौद्योगिकी / गृह विज्ञान), कश्मीर श्रीनगर विश्वविद्यालय, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कश्मीर हजरतबल श्रीनगर विश्वविद्यालय
- 14. डॉ. ए जे वर्मा, वैज्ञानिक एच एंड प्रमुख, पोलिमर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
- 15. डॉ. संजय राजपूत, सहायक निदेशक, प्रभारी, एसएआरसी, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, 19, यूनिवर्सिटी रोड दिल्ली

पैनल 4 - खाद्य श्रृंखला में संदूषित पदार्थ के लिए

- 1. डॉ. जी विजयलक्ष्मी, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
- 2. डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर), मतस्यपुरी, कोचिन, केरल
- 3. डॉ. लता, प्रमुख वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- 4. डॉ. विनोद कुमार जोशी, प्रोफेसर और प्रमुख (कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी) डॉ. वाई.एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश
- 5. डॉ. बनवारी लाल, पीएचडी (सूक्ष्म जीव विज्ञान), निदेशक, पर्यावरण और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
- 6. डॉ. सैलेन घोष, वैज्ञानिक अधिकारी जी., सेवानिवृत्त (भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र), 805, पाइन वुड, रहेजा विलो, कांदिवली (ई), मुंबई
- ठॉ. एस.कलबे रजा,
 निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टैक्नोलॉजी (आईपीएफटी), सेक्टर 20, उद्योग विहार, एम्बिएंस मॉल के सामने, एनएच 8, गुड़गांव
- डॉ. एससी जैन,
 निदेशक और विरेष्ठ अनुसंधान समन्वयक, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टैक्नोलॉजी, आई—1 ब्लॉक, चतुर्थ तल, एमिटी यूनिवर्सिटी कैम्पस, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- 9. डॉ. वासुदेव सिंह, वैज्ञानिक एवं प्रमुख, अनाज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीएफटीआरआई, मैसूर
- 10. डॉ. जेपीएस गिल, निदेशक, लोक स्वास्थ्य और जूनोसेस स्कूल, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना



- 11. डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सीएफटीआरआई, मैसूर
- 12. श्री. नरपिंदर सिंह, प्रोफेसर (खाद्य प्रौद्योगिकी) और समन्वयक (यूजीसी—सैप), खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
- प्रोफेसर एस. एस. लेले,
 खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, माटुंगा, मुंबई
- डॉ. एसडी वारियर, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक 'ई' बीएआरसी, मुंबई
- डॉ. एम.एस. ठाकुर,
 मुख्य वैज्ञानिक, किण्वन प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीएफटीआरआई, मैसूर

पैनल 5 - जैविक खतरों के लिए

- डॉ. पी के नाग,
 पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (आईसीएमआर), बी–83 सन ब्रीज, टॉवर, गुरुकुल, अहमदाबाद
- डॉ. के अलगुसुंदरम,
 निदेशक, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी), पुदुक्कोट्टई रोड, तंजावुर–613005 तमिलनाडु
- डॉ. नरेश कुमार,
 प्रमुख वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, मकान नंबर 988 सेक्टर 6, अर्बन एस्टेट करनाल, हिरयाणा
- डॉ. भूपेंद्र सिंह,
 प्रमुख वैज्ञानिक, परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- 5. डॉ. ए लक्ष्मैयाह, विरष्ठ उप निदेशक (वैज्ञानिक 'एफ'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, 17–112 भारती अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 201 एसबीएच कालोनी उप्पल आर आर जिला, हैदराबाद
- 6. डॉ. सुसीलेन्द्र देसाई, प्रमुख वैज्ञानिक, सेंटर रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइलैंड एग्रीकल्चर, संतोष नगर सईदाबाद पीओ हैदराबाद
- 7. डॉ. डी नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक 'एफ' तथा विभाग प्रमुख, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सीएफटीआरआई लेआउट भोगाड़ी 2 चरण मैसूर
- 8. डॉ. रिव शंकर सीएन, प्रमुख वैज्ञानिक और विभागाध्यक्ष, मत्स्य प्रसंस्करण प्रभाग, केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, सीआईएफटी जंक्शन मत्स्यपुरी, पी. ओ कोचिन, केरल



- 9. डॉ. किरण नारायण भिलेगाओंकार, प्रमुख वैज्ञानिक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य प्रभाग, इज्जतनगर, बरेली
- डॉ. सुनील कुमार वर्मा,
 विरष्ट वैज्ञानिक, कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हब्शीगुड़ा, उप्पल रोड, 500 007, आंध्र प्रदेश हैदराबाद
- 11. डॉ. (श्रीमती) अजित दुआ, वरिष्ठ वैज्ञानिक, तकनीकी प्रमुख एवं गुणवत्ता प्रबंधक, पंजाब जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, कृषि एवं खाद्य परीक्षण फाइसिलिटीस एससीओ: 7 और 8, फेस–V, पंजाब
- 12. डॉ. कलपगम पोलसा, निदेशक प्रभारी, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य एवं औषधि विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जमाई उस्मानिया पोस्ट तरणका, हैदराबाद
- 13. डॉ. टीवी शंकर, प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक, गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंधन प्रभाग, केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन
- 14. डॉ. वाई.डी. गौड़, प्रोफेसर, श्रेष्ठता एवं कार्यपालक, निदेशक, भगवान परशुराम प्रौद्योगिकी संस्थान, सहायक प्रोफेसर (सूक्ष्म जीव विज्ञान), आईएआरआई नई दिल्ली, डी3 / 3565 वसंत कुंज, नई दिल्ली
- 15. डॉ. आलोक झा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एएच एवं डेयरी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संस्थान, वाराणसी

पैनल 6 – कीटनाशक तथा प्रतिजैविक अवशेषों के लिए

- डॉ. देवव्रत कानूनगो,
 पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, क्षेत्र, हाऊस नं. 294 सेक्टर
 21 डी, फरीदाबाद
- डॉ. पटुरकर आशीष मोतीराम,
 प्रोफेसर और विश्वविद्यालय प्रमुख, बांम्बे पशु चिकित्सा कॉलेज, हाइवे पार्क ई/5, बी विंग 206, ठाकुर जटिल, कंदिवली (ई)
- डॉ. बी सुरेंद्र नाथ,
 प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, होसुर रोड, अडुगोड़ी, बंगलौर
- 4. डॉ. जय राज बिहारी, वैज्ञानिक एफ, भारतीयविष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), लखनऊ
- 5. डॉ. के.के. शर्मा, नेटवर्क समन्वयक, परियोजना समन्वय प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना कीटनाशक अवशेष, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली कमरा न. 203, द्वितीय तल, एलबीएस भवन, आईएआरआई, पूसा परिसर, नई दिल्ली



- 6. डॉ. एस. के. हांडा, पूर्व-डब्ल्यूएचओ सलाहकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली
- 7. डॉ. गुरूदयाल सिंह टोटेजा, वैज्ञानिक एफ और प्रमुख (पोषण), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- 8. डॉ. डी योगेश्वरा राव, सलाहकार, भारतीय सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, 313ए, विज्ञान भवन एनेक्स, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
- 9. डॉ. जोन्नालगद्दा पदमजा, वैज्ञानिक डी, खाद्य एवं औषधि विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आईसीएमआर, हैदराबाद
- 10. डॉ. ए. के. दीक्षित, ससम्मान सेवामुक्त प्रोफेसर/पूर्व प्रमुख, प्रोफेसर एवं प्रमुख वैज्ञानिक, कृषि रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा, नई दिल्ली
- 11. प्रोफेसर बी. सिशधर राव, प्रोफेसर, जैव रसायन विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- डॉ. सुनील कुमार खरे,
 प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौज खास, नई दिल्ली
- डॉ. एस कल्पना,
 औषध विज्ञान और विष विज्ञान प्रभाग, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली
- 14. डॉ. अनु अप्पेह के.ए., प्रधान वैज्ञनिक, खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
- 15. डॉ. आर. के. सोनी, प्रोफेसर, सामाजिक और निवारक चिकित्सा विभाग, दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कोठी न. 3741 विभाग, सेक्टर 32ए, चंडीगढ़ रोड, लूधियाना, पंजाब

पैनल 7 - लेबलिंग और दावा/विज्ञापन के लिए

- डॉ. बी शशिकरन,
 पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद
- डॉ. अनुपा सिद्धू,
 निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली
- डॉ. पुल्लाभतला श्रीनिवास,
 वैज्ञानिक—जी (मुख्य वैज्ञानिक), सीएफटीआरआई, मैसूर प्रमुख, बागान उत्पाद, मसाले और स्वाद प्रौद्योगिकी विभाग,
 मैसूर



- 4. डॉ. आरआरबी सिंह, डीन (डेयरी प्रौद्योगिकी), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदेव पथ, पटना
- 5. डॉ. एस.के. खन्ना, पूर्व एमेरिटस साइंटिस्ट, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, 40/8, गोखले विहार मार्ग, लखनऊ
- 6. डॉ. जोसेफ आई लुइस, स्वतंत्र सलाहकार, सी–602, वास्तु पार्क, मलाड वेस्ट, मुंबई
- डॉ. जमुना प्रकाश,
 खाद्य विज्ञान और पोषण विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय
- श्री उदय कुमार सक्सेना,
 प्रशिक्षक और सिस्टम सलाहकार (स्वतंत्र क्षमता), जी–904, मेपल हाइटस, सी–ब्लाक सुशांतलोक–1,गुडगांव
- 9. श्री प्रमोद बी देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, संत दयनेश्वर मार्ग, कूपर अस्पताल के पीछे, विले पार्ले (पश्चिमी), मुंबई
- 10. डॉ. आर. के. जैन, वैज्ञानिक एफ और विभाग प्रमुख, रसायन रिकवरी, जैव प्रोद्योगिकी और लिगनिन गौण उत्पाद प्रभाग, केंद्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान, (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ,डीआईपीपी, भारत सरकार), पी.ओ बोक्स न. 174, स्टार पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर
- 11. डॉ. एन सी साहा, निदेशक, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, ई—2, एमआईडीसी मार्ग, अंधेरी (ई), मुम्बई
- 12. डॉ. जी शुभलक्षमी, पूर्व निदेशक, पोस्ट ग्रेजुएट, गृह विज्ञान विभाग, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई
- 13. डॉ प्रमोद कुमार ओमरे, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, जी.बी.पी.यू.ए एंड टी, पंतनगर
- डॉ. वाई के गुप्ता,
 प्रमुख, विषविज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली
- 15. सुश्री मोनिका रावत, फिक्की, फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001

पैनल 8-आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद्य पदार्थों के लिए

डॉ. एस.आर. राव,
 विश्व सलाहकार, जैव प्रोद्यौगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली



- 2. डॉ. रमेश वी भटट, (पूर्व उप निदेशक, एनआईएन), एम—11 क्रटिया नगर, हब्शीगुडा, हैदराबाद
- डॉ. एम पदमावती,
 सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी–89, खड़गपुर
- 4. प्रो. पी बालासुब्रामण्यन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट बायोटैक्नोलॉजी, संयंत्र आण्विक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिक केंद्र, तिमलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, लॉली रोड, कोयंबटूर
- 5. डॉ. ए.बी. डोंगरे, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, नागपुर
- डॉ. आर पी सिंह,
 प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
- डॉ. नन्दिकशोर नमिदयोराव,
 प्रोफे. एवं प्रमुख, पशु चिकित्सा सार्वजिनक स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा कॉलेज, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र—440 006
- डॉ. प्रदीप सिंह नेगी,
 प्रधान वैज्ञानिक, सीएफटीआरआई, मैसूर 570020
-). डा. के. सत्यनारायण, वैज्ञानिक जी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, रामालिंगस्वामी भवन अंसारी नगर, नई दिल्ली—110029
- प्रो कल्पना जोशी,
 श्रीराज, नटराज सोसायटी, करवे नगर, पुणे 411052
- डॉ. डी. वी गोखले,
 राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, डॉ. होमी भाभा रोड, पुणे
- डा. जी ए रिवशंकर,
 उपाध्यक्ष आर एंड डी, जीवन विज्ञान, और प्रोफेसर जैव प्रौद्योगिकी (वीटीयू) डॉ. सी डी सागर जीवन विज्ञान केंद्र,
 दयानंद सागर संस्थान, कुमार स्वामी लेआउट, बंगलौर 560078
- 13. डॉ. के एस प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी—पशु पोषण प्रभाग, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, अडुगोडी, बंगलूर 560030
- 14. प्रो रेखा एस के सिंघल, खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नथालाल पारिख मार्ग, माटुंगा, मुंबई 400019
- डा. विद्या गुप्ता,
 मुख्य वैज्ञानिक और अध्यक्ष, जैवरासायिक विज्ञान प्रभाग, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पाषाण रोड, पुणे



पैनल 9-मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के लिए

- 1. डॉ. एस अय्यप्पन, महानिदेशक (आईसीएआर) और सचिव (डीएआरई) कृषि भवन, नई दिल्ली
- प्रो डॉ. ए रामाचंद्रन, रिजस्ट्रार, कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचिन
- डॉ. वजीर एस लाकड़ा,
 निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (प.), मुंबई
- 4. प्रो एस रामाचंद्रन, (पूर्व निदेशक) निदेशक, महासागर प्रबंधन संस्थान, कूड़ल भवन, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई
- 5. डॉ. एन भास्कर मांस, मछली और पोल्ट्री प्रौद्योगिकी, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर
- 6. डॉ. जयासेकरण, जी, प्रोफेसर, मछली गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंधन का प्रमुख विभाग, फिशरिज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, तमिलनाडु फिशरिज यूनिवर्सिटी (टीएनएफयू), थूथूकुडी
- 7. डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, सीआईएफटी जंक्शन, विलिंगडन द्वीप, मत्सयापुरी पीओ, कोचिन
- 8. डॉ. पी. जयाशंकर, निदेशक, सेंटरल इंस्टिट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वकल्चर, कोसलयंगा, भुवनेश्वर
- 9. डॉ. ए पी शर्मा, निदेशक, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मोनीरामपुर (पोस्ट), बैरकपुर, कोलकाता
- डॉ. जी. सयदा राव,
 निदेशक, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं 1603, एर्नाकुलम उत्तर पीओ, कोच्चि
- 11. डा. ए. जी पोनियाह, निदेशक, केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर), 75 संतहोम हाई रोड, आरए पुरम, चेन्नई
- 12. डॉ. एस डैम रॉय, निदेशक, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर), पोस्ट बॉक्स न.181, पोर्ट ब्लेयर
- 13. डॉ. जे.के. जेना, निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर), केनल रिंग रोड, पी. ओ. दिलकुशा, लखनऊ
- प्रो मुख्तार अहमद,
 प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
- 15. श्री पी मोहन सुंदरम, निदेशक, एमपीईडीए, एमपीईडीए हाउस, पनमपिले एवेन्यू पी.बी. नं 4272, कोचिन




भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तीसरा-चौथा तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 वेबसाईट : www.fssai.gov.in टोल फ्री हेल्पलाइन नं. 1800112100







ANNUAL REPORT 2 0 1 2 - 1 3

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India







Annual Report 2012-13

CONTENTS

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Overview	
2.	Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006	3
3.	Food Safety and Standards Regulations, 2011	5
4.	Mandate and Structure- Authority, Central Advisory Committee, Scientific Committee, Scientific Panels	6
5.	Administration and Human Resources	15
6.	Enforcement	16
7.	Food Safety Surveillance Activites	
8.	Quality Assurance & Product Approval	
9.	Standards Divisions	22
10.	Codex Matters	25
11.	International Cooperation	29
12.	Safety of Imported Food	30
13.	Training & Capacity Building	31
14.	Information, Education & Communication (IEC)	33
15.	E- Governance and Library	34
16.	RTI Matter	35
17.	Financial Statement	37





OVERVIEW

In the year 2012-13, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) further promoted the cause of availability of safe and wholesome food to the consumers. The Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 was operationalized with the notification of the Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Regulations w.e.f 5th August 2011. However, there were certain amendments that were carried out during 2012-13 viz., Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2012, the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Second Amendment) Regulations 2012, the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Second Amendment) Regulations 2012, and Food Safety and Standards Rules (Amendment), 2013.

The Central licenses to Food Business Operators (FBOs) are issued online through the Food Licensing and Registration System (FLRS) by the five regional offices of the Food Authority located at Chennai, Delhi, Guwahati, Kolkata, and Mumbai and two sub-regional offices at Chandigarh and Lucknow. In 2012-13, the Authority has granted 9892 central licenses and the State/UT Governments have issued 3, 59,446 licenses and 11, 95,302 registrations. The Authority in association with ASSOCHAM, CII, FICCI, and PHD Chambers of Commerce and Industries has successfully organised Licensing Melas throughout the country for awareness/licensing of FBOs. A surveillance study of fruits and vegetables was undertaken in February 2013 at Azadpur market and certain local markets in Delhi. Extensive training programmes have been undertaken for the Designated Officers, the Food Safety Officers and the Adjudicating Officers to sensitize them about the Food Safety and Standards Act (FSS Act), 2006 and the Rules and Regulations made thereunder.

In addition to the existing eight Scientific Panels, a new Scientific Panel for Fish and Fishery Products has been constituted during the year. Task Force Groups for Development of Standards for Milk and Milk Products, Meat and Meat Products, and Expert group for Fruits and Vegetables were also constituted to bring in subject specific rigour. The Scientific Panels and the Scientific Committee deliberated extensively on various areas of Food Safety. The Panel for Biological Hazards has finalized Microbial Standards for Milk & Milk Products and prepared drafts of Microbial Standards of Meat & Meat Products, Fruits & Vegetables, Fish & Fishery Products, and Guidelines of Drinking Water. The Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other Similar Products has finalised Draft Regulation on Nutraceuticals, Nutritionals, and Functional Foods etc.

Enforcement of the FSS Act is not possible without a network of accredited food testing laboratories. For this purpose, guidelines for recognition of food testing laboratories have been prepared. Till date sixty-five National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratories have been notified by FSSAI for analysis of food. The parameters for testing of certain categories of food items were also finalised during the year.

With increasing globalisation, there is a need for greater International Cooperation to ensure that safe and quality food reaches the consumers all over the world. The Food Authority as the National Codex Contact Point (NCCP) has actively participated in various Codex Committees during the year 2012-13. India had also proposed new work proposals in various Codex Committees – Standards for Okra & Potato in Codex Committee of Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV), Development of Code



of Hygienic Practices for the Street-Vended Foods in Asia in CC Asia and Code of Hygienic Practice for the Storage of Cereals in Codex Committee on Food Hygiene (CCFH). The Authority also serves as enquiry point for Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues and thus regularly participates in bilateral cooperation with countries in food safety, standards, and capacity building of food testing laboratories, for instance, a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed with Netherlands this year.

The Food Authority has appointed Authorized Officers at sea, air and land ports of entry at Delhi, Mumbai, Chennai & Kolkata to regulate safety of food imports in the country. The percentage of number of samples drawn at different ports has seen an increase during 2012-13.

The safety and quality of food is imperative to meet the country's aim of Universal Health Coverage and Food Security for all. A comprehensive, consolidated Food Safety and Standards Act aligned with the global practices was the first step to achieve this aim. The Food Safety and Standards Authority of India is making continuous efforts for the effective implementation of the FSS Act throughout the country with the active participation of the State/UT Governments.





Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006

- The work on formation of a single Act to consolidate the laws relating to food was going on since long and the Central Government had declared its intention in the budget speech of 2002. This work was entrusted to the Ministry of Food processing Industries who piloted the Food Safety and Standards Bill, 2005 which was finally enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 by the Parliament and after receiving assent of the President on 23rd • August, 2006, the same was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 1 on dated 24th August, 2006. The Act was prepared after active consultations with various stakeholders and after a series of discussions/deliberations in Inter-Ministerial Group and Standing Parliamentary Committee meetings and its clearance from the Group of Ministries.
- The passing of this legislation has led to the creation of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in September 2008. There is a shift from multi-level to a single line of control with focus on selfcompliance rather than regulatory regime. It also introduced uniform licensing/ registration regime across Centre and the States. One of the major roles of FSSAI is the setting of Science based food standards by harmonising with the Codex Standards, wherever possible. The setting of food standards would be undertaken through the Scientific Panels and Scientific Committee of the FSSAI and the final approval by the Authority itself.
- The Food Safety and Standards Act, 2006 envisages regulating: manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for consumers connected therewith. If a Food

- Business Operator (FBO) is holding existing license/ registration under any of the Food Law/Order which has been repealed on the commencement of this Act, the concerned FBO(s) can get the existing license or registration converted into registration or license in the Food Safety and Standards Act without any hassles by paying the required registration/licence fees.
- Registration of Petty FBOs: Petty retailer, hawker, itinerant vendor or a temporary stall holder or small scale or cottage or such other industries relating to food business or tiny Food Business Operator are exempted from obtaining licence under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses), Regulation 2011 Act. But for food safety, registration is mandatory as the petty FBOs are also expected to ensure sanitary and hygienic requirements. Such petty food business operators are whose annual turnover is not exceeding Rs. 12 lakh and/ or whose:
 - a) production capacity of food (other than milk and milk products and meat and meat products) does not exceed 100 kg/litre per day or
 - b) production or procurement or collection of milk is up to 500 litres of milk per day or
 - c) slaughtering capacity is 2 large animals or 10 small animals or 50 poultry birds per day or less
- For registration of petty FBOs the charges for registration have been kept at Rs. 100/- per annum only and the registration procedure has also been simplified.
 - Improvement notice: To encourage selfcompliance by the FBO, Section 32 of the FSS Act also has the provision of issuing

2



improvement notice to the FBO by the Designated Officer. However, if the FBO fails to comply with the improvement notice, the license can be suspended / cancelled.

- **Powers of Food Safety Officer and penalty** for misuse: The Food Safety Officer (FSO) has been empowered under sub-section 6 of Section 38 of the Act for initiating action or launching prosecution when any adulterant is found in the possession of a manufacturer or distributor/ dealer of food or in any of the premises occupied by the FBO where he is unable to account for such possession to the satisfaction of the FSO for seizure of the account books or other documents etc. but this power is to be exercised by FSO with the approval of the Competent Authority. However, if the FSO misuses his power, he is also liable for penalty under section 39 of the Act which may extend to Rs. 1 Lakh.
- Powers of a Civil Court for the Adjudicating
 Officers: Section 68 of Food Safety and
 Standards Act deal with the procedure of

adjudication. The Adjudicating Officer (AO) has been given powers of a Civil Court under Sub-section 3 of Section 68.

- Power to the purchaser/consumer to get the food sample analysed: Section 40 of the Act enables the purchaser of any article of food to get the same analysed from the Food Analyst after giving a notice/information to the FBO at the time of purchase of his intention to have such food articles analysed and by paying a fee of Rs. 1000/as analytical charges to the Food Analyst/ Laboratory prescribed under Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011. This provision has been kept to empower the purchaser/ consumers ultimately for whom the food products are being manufactured or being sold.
- Penalty for misbranded food: The penalty for misbranded food is provided under the Section 52 of the Act which may extend to Rs. 3 Lakhs.






Food Safety and Standards Regulations, 2011

- In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub section (2) of section 92 read with section 31 of Food Safety and Standards Act, 2006, FSSAI notified the following Rules and regulations in the Gazette of India on 1st August, 2011 and came into force from 5th August, 2011:
 - The Food Safety and Standards Rules
 - Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food businesses) Regulations, 2011
 - Food Safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011
 - Food safety and standards (Food product Standards and Food Additives) Regulations, 2011
 - Food safety and standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011
 - Food safety and standards (Contaminates,

- Toxins and Residues) Regulations, 2011
- Food Safety and Standards (Laboratory and sampling analysis) Regulations, 2011
- II. Simultaneously, the enactments and orders mentioned in the Second Schedule of the Act have been repealed w.e.f. 5.8.2011.
- III. Food Safety and Standards Act has been made operational from 5.8.2011. The food regulatory framework has now moved from limited prevention of food adulteration regime to safe and wholesome food regime.
- IV. Review of existing Food Standards and harmonization with Codex and other international best practices have been initiated and the Scientific framework put in place by the setting of the Scientific Panels and the Scientific Committee as the risk assessment bodies.






Mandate and Structure of FSSAI

The Food Safety and Standards Authority of India was set up in 2008 as envisaged in the Food Safety and Standards Act, 2006. It is the regulatory body for all matters relating to food safety and food standards and represents a shift from multi level, multi departmental control to a single line of command.

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is the Administrative Ministry of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The Chairperson and Chief Executive

Officer of FSSAI are appointed by the Central Government. The Head office of the Authority is located in New Delhi at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002.

Shri K. Chandramouli joined as the Chairperson of FSSAI on 27th January, 2012. Shri S.N. Mohanty was the Chief Executive Officer, FSSAI from 7th May, 2012 to 31st December 2012. Shri Dilip Samantaray is presently the Chief Executive Officer.





Composition of Food Safety And Standards Authority of India

The Food Authority shall consist of a Chairperson (d) three eminent food technologists or scientists; and the following twenty - two members out of which one - third shall be women, namely:-

- (a) seven Members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to be appointed by the Central Government, to respectively represent the Ministry or Departments of the Central Government dealing with-
 - Agriculture,
 - Commerce,
 - Consumer Affairs,
 - Food Processing,
 - Health,
 - (vi) Legislative Affairs,
 - (vii) Small Scale Industries,

Who shall be Members ex officio;

- two representatives from food industry of which one shall be from small scale industries;
- representatives from consumer organizations;

- (e) five members to be appointed by rotation every three years, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories;
- two persons to represent farmers' organisations;
- (g) one person to represent retailers' organisations.

The Chief Executive Officer who is the legal representative of the Food Authority and also the member secretary of the Food Authority.

During the year 2012-13, Authority meetings were held on following dates:

Name of the Meeting	Month
9th Authority meeting	06th June, 2013
10th Authority meeting	20th September, 2012
11th Authority meeting	30th November, 2012

The list of the present members of the Food Authority is at Annexure - I



Duties and Functions of Food Authority

- (1) It shall be the duty of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of (3) The Food Authority shall also food so as to ensure safe and wholesome food.
- (2) Without prejudice to the provisions of subsection (1), the Food Authority may by regulations specify –
 - (a) the standards and guidelines in relation to articles of food and specifying an appropriate system for enforcing various standards notified under this Act;
 - (b) the limits for use of food additives, crop contaminants, pesticide residues, residues of veterinary drugs, heavy metals, processing aids, myco - toxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food;
 - the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management systems for food businesses;
 - (d) the procedure and the enforcement of quality control in relation to any article of food imported into India;
 - the procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories:
 - the method of sampling, analysis and exchange of information among enforcement authorities;
 - (g) conduct survey of enforcement and administration of this Act in the country;
 - (h) food labelling standards including claims on health, nutrition, special dietary uses and food category systems for foods; and
 - the manner in which and the procedure subject to which risk analysis, risk assessment, risk communication and risk

management shall be undertaken.

- - (a) provide scientific advice and technical support to the Central Government and the State Governments in matter of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition;
 - (b) search, collect, collate, analyse and summarise relevant scientific and technical data particularly relating to
 - food consumption and the exposure of individuals to risks related to the consumption food;
 - prevalence of (ii) incidence and biological risk;
 - (iii) contaminants in food;
 - (iv) residues of various contaminants;
 - (v) identification of emerging risks; and
 - (vi) introduction of rapid alert system;
 - promote, co-ordinate and issue guidelines for the development of risk assessment methodologies and monitor and conduct and forward messages on the health and nutritional risks of food to the Central Government, State Governments and Commissioners of Food Safety;
 - provide scientific and technical advice and assistance to the Central Government and the State Governments in implementation of crisis management procedures with regard to food safety and to draw up a general plan for crisis management and work in close co-operation with the crisis unit set up by the Central Government in this regard;
 - establish a system of network of

organizations with the aim to facilitate a scientific co-operation framework by the co-ordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, the exchange of expertise and best practices in the fields within the Food Authority's responsibility;

- provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Government for improving co-operation with international organizations;
- take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means;
- provide, whether within or outside (5) their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food businesses operators or employees or otherwise;
- undertake any other task assigned to it by the Central Government to carry out the objects of this Act;
- contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phyto-sanitary standards;
- contribute, where relevant and appropriate to the development of agreement on recognition of the equivalence of specific food related measures;
- promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations;
- between consistency (m) promote international technical standards and domestic food standards while ensuring that the level of protection adopted in the country is not reduced; and
- promote general awareness as to food

safety and food standards,

- The Food Authority shall make it public without undue delay-
 - (a) the opinions of the Scientific Committee and the Scientific Panel immediately after adoption;
 - (b) the annual declarations of interest made by members of Food Authority, the Chief Executive Officer, members of the advisory Committee and members of the Scientific Committee and Scientific Panel, as well as the declarations of interest if any, made in relation to items on the agendas of meetings;
 - (c) the results of its scientific studies; and
 - (d) the annual report of its activities;
- The Food Authority may from time to time give such directions, on matters relating to food safety and standards, to the Commissioner of Food Safety, who shall be bound by such directions while exercising his powers under this Act:
- The Food Authority shall not disclose or cause to be disclosed to third parties confidential information that it receives for which confidential treatment has been requested and has been accepted, except for information which must be made public if circumstances so require, in order to protect public health.

The building blocks of FSSAI functioning are as given below

Building blocks

Science based Food Quality & Safety Standards

Effective Food Safety Regulation & Integrated Food Quality Testing & Risk based Surveillance

Support Services & Communication



Central Advisory Committee (CAC)

- The Central Advisory Committee shall consist of two members each to represent the interests of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories iv. and all Commissioners of Food Safety, and the Chairpersons of the Scientific Committee shall be ex officio member.
- ii. The representatives of the concerned Ministries or Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Biotechnology, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Environment and Forests, Food Processing Industries, Health, Panchayati Raj, Small Scale Industries and Food and Public Distribution or government institutes or organizations and government recognised farmers' shall be invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee.
- iii. The Chief Executive Officer shall be ex Advisory Committee is at Annexure II

- officio Chairperson of the Central Advisory Committee.
- iv. Central Advisory Committee ensures close cooperation between the Food Authority and the Enforcement Agencies and Organizations operating in the field of food.

The primary mandate of the committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge.

During the year 2012-13, CAC meetings were held on following dates:

Name of the Meeting	Month
7th CAC Meeting	27th April, 2012
8th CAC Meeting	17th July, 2012

The list of the present members of the Central Advisory Committee is at Annexure – II

7th CAC Meeting, 27th April, 2012











8th CAC Meeting, 17th July, 2012

11










10







Food additives, flavourings, processing aids and materials in contract with food

> Pesticides and antibiotics residues

Genetically modified organisms and foods

Functional foods, nutraceuticals dietetic products and other similar products

Biological hazards

Contaminants in the food chain

Labelling claims/ advertisements

Method of sampling and analysis

Fish and fisheries products

Scientific Committee

The Scientific Committee provides scientific the case of subjects which do not fall within the opinion to the Food Authority and has the powers, competence of any of the Scientific Panel, the where necessary, of organizing public hearings. Scientific Committee shall set up working groups The Scientific Committee shall be responsible and in such cases, it shall draw on the expertise for the general co-ordination necessary to ensure of those working groups when groups establishing consistency of the scientific opinion and in particular with regards to the adoption of working procedures and harmonization of working methods The Scientific Committee consists of the of the Scientific Panels. The Scientific Committee Chairpersons of the Scientific Panels and six shall provide opinions on multi - sectoral issues independent scientific experts not belonging or falling within the competence of more than one affiliated any of the Scientific Panels. scientific panel, and on issues which do not fall within the competence of any of the scientific The list of the present members of the Scientific panel. Wherever necessary, and particularly, in Committee of FSSAI is at Annexure - III

scientific opinions.



12



Scientific Panels

The Food Authority has established subject specific 4. Panel for Contaminants in the Food Chain; Scientific Panels, which consist of independent scientific experts to act as the risk assessment 5. Panel for Biological Hazards; bodies and give their considered scientific opinion. The following nine (9) Scientific Panels have been 6. Panel for Pesticides and Antibiotic Residues; constituted-

- 1. Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and Other Similar Products;
- Panel for Method of Sampling and Analysis;
- Panel for Food Additives, Flavorings, Processing Aids and Material in Contact with

- 7. Panel for Labelling and Claims / Advertisement
- 8. Panel for Genetically Modified Organisms and Foods.
- 9. Panel for Fish and Fisheries Products

The List of present Members of the above nine (9) Scientific Panels is at Annexure - IV.



Administration And Human Resources

ESTABLISHMENT & ADMINISTRATION

The Chairperson of the Food Authority is the head of the entire Authority whereas the Chief Executive Officer is the administrative head. The regular recruitment process for the posts sanctioned will commence after the Recruitment and Appointment Regulations are finalized. Presently, the Food Authority is managing its affairs with the staff on deputation, on deemed deputation, on contract and who have opted to remain in FSSAI.

STAFF TRANSFERRED FROM **VARIOUS** MINISTRIES / DEPARTMENTS

Various staff members transferred from Ministries who have hitherto handled works pertaining to various Acts/ Orders listed under Second Schedule of the Food Safety and Standards Act, 2006 are working in the Authority under section 90 of the FSS Act, 2006. The staff members who were transferred to FSSAI under Section 90 are either being absorbed or being repatriated in a phased manner.

Subsequent to the transfer of Staff, FSSAI is operating from the following locations across the country:

- 1. Delhi
- 2. Mumbai
- 3. Chennai
- 4. Kolkata
- 5. Guwahati
- 6. Lucknow
- 7. Chandigarh
- 8. Sonauli
- 9. Raxaul
- 10. Ghaziabad

New offices are proposed to be opened in Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Patna, Bhubaneswar for enforcement / licensing related work and at various ports of entries, viz., Cochin, Tuticorin, Kandla, Pipavav, Kakinada, Vizag etc. for work related to clearance of imported food. FSSAI will start functioning from Cochin by third quarter of 2013-14.



Enforcement

Regulation of Food Safety in States:

All the States/UTs in India operationalized FSS Act, 2006 on 5th August, 2011. States/ UTs have appointed Food Safety Commissioners, notified Designated Officers, Adjudicating Officers and Food Safety Officers for respective areas within the State. During the year 3,59,446 numbers of licenses and 11,95,302 numbers of registrations have been issued by State Governments under the new Act (till March, 2013). States have also taken samples of food products and initiated both civil and criminal actions against Food Business Operators (FBOs) who were found deviating from the Act and its provisions.

monitoring Co-ordination and implementation of FSS Act with States/UTs, Authority in the year 2012-2013 has:

- Conducted CAC Meetings
- Issued Advisories from time to time clarifying provisions of the Regulations
- Pursued with the State/UT governments to set up Steering Committee and Tribunal
- Compiling and updating data of Commissioner Food Safety, Designated Officer, Adjudicating system. The framework for the on-line


Officer, Food Safety Officer and Food Analyst in States/UTs on a continuous basis

- Upgraded and improved the Central on-line Food Licensing and Registration System
- Regular reports are being solicited from States on the various enforcement activities being undertaken by them
- Some States have started issuing online license and registration to eligible Food Business Operators

Conceptualization and Implementation of ITenabled Food Licensing/Registration System:

The project of conceptualization, Implementation and rollout of IT-enabled Food Licensing/ Registration System (FLRS) for use of Food Business Operators, Food Safety Officers and Designated Officers across all Regional offices of FSSAI and the States by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was assigned to the National Institute of Smart Government (NISG). The focus of FSSAI has been on ensuring transparency and good governance by encouraging E-Governance, therefore, the on-line licensing and registration

licensing and registration system is as given below:





help of NISG has rolled out successfully the online licensing/registration system in 6 States (Maharashtra, Gujarat, Goa, Andhra Pradesh, The licensing and registration of the Food Business Chandigarh & Haryana) during the year and has issued 8692 Central Licenses, 2730 online State

Apart from Central Licensing, FSSAI with the Licenses and 8571 State Registrations in the year 2012-13.

I. Licensing and Registration

Operators follows a three tier structure as given

Licensing & Registration of FBOs

Central Licensing Authority

Designated Officer appointed by the Chief **Executive Officer of the** Food Authority of India in his capacity of Food Safety Commissioner

State Licensing Authority

Designated Officer appointed under Section 36(1) of the Act by the Food Safety Commissioner of a State or UT for the purpose of licensing and monitoring

Registering Authority

Food Safety Officer or any official in Panchayat Municipal Corporation or any other local body in an area, notified as such by the State Food Safety Commissioner for the purpose of registration

(A) Central Licenses being issued by Regional Offices of FSSAI

As envisaged in the Food Safety and Standards Act, 2006, Central Licensing of Food Business Operators is in progress. Central licensing at FSSAI is being done through 5 Regional Offices located at Chennai, Delhi, Guwahati, Kolkata and Mumbai; and 2 sub-regional offices located at Chandigarh and Lucknow. Central licensing is completely online and the Food Licensing and Registration system (FLRS) is being maintained by National Institute for Smart Government, Hyderabad. FSSAI has issued 9892 Central licenses to FBOs up to 31.03.2013, which includes both new licenses as well as converted licenses. The Regional and subregional office wise details are given below:

Details of Central Licenses issued as on 31.03.2013				
S. No.	Regional / sub regional Office	New	Conversion	Total no. of licenses issued
1.	CHANDIGARH	361	213	574
2.	CHENNAI	1287	969	2256
3.	DELHI	1540	559	2099
4.	GUWAHATI	131	310	441
5.	KOLKATA	687	463	1150
6.	LUCKNOW	301	413	714
7.	MUMBAI	1341	1317	2658
	TOTAL	5648	4244	9892



Government Central under (B) Licenses **Organizations**

FSSAI has notified 17 Designated Officers and 26 Food Safety Officers under Indian Railways. All the Unit Run Canteens and Canteen Store Depot (CSD) under Ministry of Defense are being granted Central Licenses.

(C) Licensing and Registration in States/UTs:

All States Government have notified Food Safety Commissioners, district wise Designated Officers, Adjudicating Officers and Food Safety Officers for respective areas within the State. During the year 3,59,446 numbers of licenses and 11,95,302 numbers of registrations have been issued by State Governments under the new Act (till March, 2013). National Institute for Smart Government, Hyderabad has been engaged to assist the State Dos and FSOs to issue online license and registration under this Act. States like Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Maharashtra, Himachal Pradesh and Uttarakhand have started issuing online license and registration to eligible Food Business Operators.

REPORT ON LICENSING/ REGISTRATION IN STATES/UTS FOR THE YEAR 2012-13

S. No.	Name of State	No. of Licenses Issued	No. of Registrations Issued
1	Andaman & Nicobar Island	331	3394
2	Andhra Pradesh	20288	40195
2 3	Arunachal Pradesh	938	3495
4	Assam	2752	1072
5	Bihar	5828	11886
6	Chandigarh	1871	2
7	Chhattisgarh	1797	1041
8	Dadara & Nagar Haveli	200	106
9	Daman & Diu	174	1280
10	Delhi	Ni	Y The second
11	Goa	1471	8482
12	Gujarat	27871	74231
13	Haryana	2662	6275
14	Himachal Pradesh	20233	59474

	Total	3,59,446	11,95,302
35	West Bengal	4976	17621
34	Uttar Pradesh	22861	98638
33	Uttarakhand	2924	22017
32	Tripura	348	612
31	Tamil Nadu	29121	203869
30	Sikkim	360	1959
29	Rajasthan	23316	71277
28	Punjab	6601	47079
27	Puducherry	329	801
26	Orissa	Nil	
25	Nagaland	Nil	
24	Mizoram	228	115
23	Meghalaya	517	475
22	Manipur	304	2205
21	Maharashtra	125042	249830
20	Madhya Pradesh	13004	52256
19	Lakshadweep	Nil	
18	Kerala	24186	139094
17	Karnataka	13923	29034
16	Jharkhand	1416	3051
15	Jammu & Kashmir	3584	44436

Food Safety Management System

As per Section 16(2)(c) of the FSS Act, the Food Safety and Standards Authority of India is required to provide a mechanism for accreditation of certification bodies for Food Safety Management Systems and Section 44 of FSS Act provides for Recognition of organisation or agency for food safety audit and checking compliance with Food Safety Management System required under the Act or the rules and regulation made thereunder.

The Food Authority believes that food safety is critical for consumer's health and, thus, has taken several voluntary initiatives in the past couple years to upgrade capacity of FBOs, promote excellence and supplement its regulatory regime. A very crucial step that needs to be implemented for the safety of food is the Food Safety Management System (FSMS) at every critical stage of the food chain. The implementation of FSMS programme will provide a framework for complementing the requirements at international level of food safety and manage supply chain on a pan India basis.



A strategy for implementation of FSMS programme and clutter free manner. It gives a direction & has been prepared in which Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Hygienic Practices (GHP) are to be implemented in compliance with List of Advisories issued from Enforcement Schedule IV of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011. In this regard, there is need for capacity building of different stakeholders and also to promote the FSMS 2. Issue of Licence fee for the Licensing in Indian programme throughout the country.

A Memorandum of Understanding (MOU) is proposed to be signed with QCI to establish a mechanism for cooperation between FSSAI and QCI for undertaking voluntary initiatives in the field of food safety and quality to supplement FSSAI's regulatory regime.

II. Food Categorization System

Indian food categorization system has been developed for better clarity to all the stakeholders including enforcement agencies. It provides predictability, certainty and direction through cataloguing the various food products in categories in a hierarchical manner. It also enables easy Navigation by providing information in a clustered

space for future regulatory developments.


Division from 01-04-2012 to 31-03-2013

- 1. Advisory and Affidavit on FSMS Plan/ Certificates
- Railways
- Advisory on sale of Contaminated Pickles, in
- Advisory on misbranding and misleading claims
- Statuary Advisory dated 04.07.2012
- Issue of Licensing of Milk & Milk Product
- 7. Advisory on Indian Food Code
- Statutory Advisory- Extension of time period
- 9. Clarification of Statutory Advisory issued on 04.07.2012
- 10. Advisory on Licensing/Registration Alcoholic Drinks
- 11. Statutory Advisory on Extension of time period

Food Safety Surveillance Activities

a surveillance study of fruits and vegetables in microbiological parameters were carried out by February, 2013 in Azadpur fruit and vegetable NABL Accredited laboratories.

The Surveillance division of FSSAI had conducted market. Analytical tests for physical, chemical and









Quality Assurance & Product Approval

As per Sec 43 (1) the Food Authority may notify food laboratories and research institutions accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or any other accreditation agency for the purpose of carrying out analysis of samples by Food analysts under this act. Till date 65 laboratories have been notified by FSSAI for a period of 1 year.

A manual regarding "Guidelines for Recognition of Food Testing Laboratories" was prepared. The document lays down the guidelines for general as well as the technical criteria for recognition, terms and conditions of recognition, withdrawal/ cancellation of recognition and financial aspects of the Laboratory Recognition.

Achievements during the year 2012-2013

- Standards for caffeinated beverages have been framed and the same has been draft notified for public comments.
- b) Standards for Olive Oil have been notified
- Framework on Food Safety Management System (FSMS)- Framework has been finalized
- Reorganization/Authorization mechanism and procedure for Food testing laboratoriesmechanism and procedure for

Reorganization/Authorization of NABL (National Accreditation Board for Laboratories accreditation) accredited laboratories has been formulated. Accordingly food authority has authorised 65 food testing laboratories having NABL accreditation and authorization of more laboratories are in progress.

- Strategy paper on up gradation of the 72 public state food laboratory, establishment of one laboratory at each twenty districts has been developed.
- Lab parameters for food Products for analysis have been finalized.
- Fifteen manuals of method of analysis of Food have been finalized.
- Quick tests for analyzing the adulterants for the purpose of house hold and small industries have been developed and uploaded in the FSSAI's website.
- Review of the existing standards and harmonization with Codex and other international best practices has been initiated.

Product Approval

232 No Objection Certificates (NOC's) have been issued



Standards Division

As per Sec 16 (2) of FSS Act, the Food Authority may by regulations specify the standards and guidelines in relation to articles of food. As per section 13 (3) & (4) of FSS act, FSSAI has the mandate to establish and re-constitute the Scientific Committee and Scientific Panels.Following activities were undertaken during 2012 - 2013:

- Scientific Committee was reconstituted.
- The following eight Scientific Panels were h) reconstituted.
 - Panel for Functional Foods, Nutraceuticals; Dietetic Products and Other Similar Products;
 - Panel for Method of Sampling & Analysis;
 - Panel for Food Additives, Flavourings, Processing Aids & Materials in contact with Food;
 - Panel for Contaminants in the Food chain;
 - Panel for Biological Hazards;
 - Panel for Pesticides & Antibiotic Residues;
 - Panel for Genetically Modified Organisms and Foods;
 - Panel for Labelling and Claims/ Advertisements.
- c) A new Panel for Fish & Fisheries Panel was constituted.
- Streamlined the procedure of Scientific Committee and Scientific Panels-Calendar of meetings of the Scientific Committee and all the Scientific Panels has been prepared.
- Task Force Group for Development of (II) Panel for method of sampling and analysis Standards on Milk and Milk Products and Task Force Group for Development of Standards on Meat and Meat Products have been constituted.
- Milk and milk products: 16 Standards for Milk & Milk Products were finalized including a new Standard for Flavoured Milk. 'Fermented

milk', 'Flavoured fermented milk' and 'Drinks based on fermented milk' are new categories included under 'Standards for Fermented Milk Products'. Finalized drafts are ready for the consideration of Scientific Committee.

- Research areas have been identified. Draft paper has been prepared for initiation of R&D, studies and survey activities in FSSAI.
- Identification of Centre of excellence-Institutes of ICAR, CSIR and ICMR have been identified for referral laboratories and in process of MOU.
- Meetings conducted by the Scientific Panels during 2012-13
- Panel for functional foods, Nutraceuticals, dietetic products and other similar products

Number of the Panel Meeting	Month
8th Panel Meeting	22nd August 2012
9th Panel Meeting	30th November, 2012
10th Panel Meeting	29th January, 2013

- The Draft Regulation on Nutraceuticals, Nutritionals, Functional Foods, Noval Foods and Health Food supplements was received and finalized.
- The Panel accepted & finalized the recommendation of CCFS for use of Plant Stenol esters in various food items.
- Proforma for the submission of application by the applicants was finalized.

Number of the Panel Meeting	Month
4th Panel Meeting	12th June, 2012
5th Panel Meeting	18th July, 2012
6th Panel Meeting	21st November, 2012
7th Panel Meeting	11th December, 2012



15 manuals of methods of food testing were commodities were fixed. finalised.

(iii) Panel for food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food

Number of the Panel Meeting	Month
5th Panel Meeting	25th July, 2012
6th Panel Meeting	4th January, 2013
7th Panel Meeting	11th March, 2013

(iv) Panel for contaminants in the food chain

Number of the Panel Meeting	Month
4th Panel Meeting	22nd June, 2012

(v) Panel for biological hazards

Number of the Panel Meeting	Month
4th meeting	15 February 2012
5th Panel Meeting	26 October 2012
6th Panel Meeting	5 December 2012
7th Panel Meeting	9 April, 2013

- Microbiological Standards for Milk & Milk Products is finalized.
- Microbiological Standards for Meat & Meat Products is in final stage of consideration of Panel.
- Microbiological Standards for Fish & Fishery products is in final stage of consideration of panel.

(vi) Panel for pesticides and antibiotic residues

Number of the Panel Meeting	Month
10th Panel Meeting	4th April, 2012
11th Panel Meeting	24th May, 2012
12th Panel Meeting	1st August, 2012
13th Panel Meeting	13th December, 2012
14th Panel Meeting	21st March, 2013
MRLs of 12 pesticio	des on different food

(vii) Panel for labelling and claims/Advertisements

Number of the Panel Meeting	Month
8th Panel Meeting	11th May, 2012
9th Panel Meeting	9th August, 2012
10th Panel Meeting	18th December, 2012

The Panel finalized a draft regulation on Labelling & claims. The same was put on the FSSAI website inviting comments before its approval from Scientific Committee & Authority and the same are under consideration of Panel.

(viii) Panel for genetically modified organisms and foods

Number of the Panel Meeting	Month
4th Panel Meeting	10th January, 2013

III. Tracking relevant research and Identification of research areas and allotment of research proposals in institutions-

Organizations/laboratories/Universities (102) were requested to send information/research work done in the prepared formats having nine parameters and follow up was done. So far, 29 responses have been received, some with information on new products and some with nil information. We are following up with the organizations.

Identification of Pool of Expert Group Members-Milk & Milk Products, Meat & Meat Products, Fruits & Vegetables, Spices, Cereal & Cereal products based on their expertise.

Some National issues with respect to horizontal standards of FSSR have been identified are as follows:

- Non-permitted colours in fruits and vegetables,
- Heavy metals and pesticides in fruits and vegetables,
- Antibiotics residues in milk, honey and fish,
- Adulteration of sunset yellow in saffron,



- Arsenic in rice and water,
- Mercury, cadmium and lead in fish,
- Presence of fluorides in water and
- Aflatoxins in ground nuts and cereals.

carry out R&D studies & surveys.

IV. Identification of Centres of excellence-

- thrust areas have been identified which may be recognised as referral laboratory, Centre of Excellence etc. FSSAI would utilise infrastructure, instrumentation, analytical capability, skilled scientific professionals of the Institutes towards food safety.
- 1. CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore
- 2. CSIR-Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP), Lucknow
- CSIR-Central Salt & Marine Chemicals Research Institute (CSMCRI), Bhavnagar
- CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur
- CSIR -Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
- CSIR-National Botanical Research Institute (NBRI), Lucknow
- 7. CSIR-National Chemical Laboratory (NCL), Pune
- CSIR- Indian Institute of Integrative Medicine (IIIM), Jammu
- CSIR- National Institute for Interdisciplinary Science & Technology, Thiruvananthapuram
- 10. CSIR-Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road, Tarnaka, Hyderabad
- 11. CSIR-North East Institute of Science and Technology, Jorhat
- 12. National Institute of Occupational Health (NIOH) Meghani Nagar, Ahmedabad-380016.
- 13. National Institute of Nutrition, Hyderabad
- 14. National Dairy Research Institute (NDRI) ICAR, Karnal
- 15. Indian Veterinary Research Institute Izatnagar, Bareilly

- 16. Indian Institute of Vegetable Research, Jakhani, Varanasi
- 17. Indian Institute of Spices Research, Marikunnu P.O., Kozhikode
- Above issues may be initiated as pilot project to 18. Indian Institute of Horticultural Research, Hessaraghatta lake post, Bangalore
 - 19. National Research Centre on Meat, Chengicherla, P.O. Box No. 19, Boduppal, Hyderabad
- 24 Research Institutes of CSIR/ICAR/ICMR in 20. Central Avian Research Institute (CARI), Izzatnagar Bareilly
 - 21. Central Inland Fisheries Research Institute, Monirampur (Post), Barrackpore, Kolkata, West Bengal
 - 22. Defence Food Research Laboratory, Ministry of Defence, Siddarth Nagar, Mysore
 - 23. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
 - 24. Central Marine Fisheries Research Institute, Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O., Kochi.

Harmonisation of Standards with Codex

Section 16(3)(m) of the Food Safety and Standards Act, 2006 states that the Food Authority shall promote consistency of the domestic food standards with international technical standards. Therefore, it is considered appropriate to review India's standards and harmonise them with those of the Codex and other international best practices to the extent necessary, taking into account our needs.

In light of this, the Food Authority developed a strategy for harmonisation of the standards. Following this, nominations were invited from experts across the country. The last date for receiving the nominations was 31st March, 2013. About 450 nominations were received and after scrutiny based on a set of criteria, 67 e-working groups (EWGs) were formed and assigned the task of framing the draft standards. Another 9 EWGs were formed to develop Codes of Practice for hygienic production of food products. Efforts will be made to notify India's standards duly harmonised with Codex by the end of 2014.



National Codex Contact Point (NCCP)

The Nodal Point of each country that coordinates There are 21 active Codex Committees under with Codex Alimentarius Commission (CAC) is the National Codex Contact point (NCCP). Earlier, the NCCP of India was located at Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), New Delhi. With the establishment of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in 2008, the National Codex Contact Point of India (NCCP) is now located at FSSAI. The NCCP shall perform the following core functions:

- (i) Act as a link between the Codex Secretariat, National Codex Committee and Shadow Committee:
- (ii) Coordinate all relevant Codex activities within India;
- (iii) Receive all Codex final texts (standards, codes of practice, guidelines and other advisory texts) and working documents of Codex Sessions and ensure that these are circulated to those concerned:
- (iv) Send comments on Codex documents or proposals to the CAC or its subsidiary bodies and /or the Codex Secretariat within the time frame:
- (v) Work in close cooperation with the National Codex Committee and its Shadow Committees;
- (vi) Act as a channel for the exchange of information and coordination of activities with other Codex Members;
- (vii) Receive invitations to Codex Sessions and inform the relevant Chairpersons and the Codex Secretariat of the names of participants representing India;
- (viii) Maintain a library of Codex standards, Code of Practice, Guidelines and any other documents and publications on or related to Codex; and
- (ix) Promote Codex Activities throughout India
- (x) Build capacity in country to effectively take up Codex work.

CAC working on various subject groups. Each Committee meets once in a year or once in 18/24 Months depending upon its nature. For each Codex Committee, a parallel Shadow Committee has been constituted in India that works for that particular Codex Committee for wider consultation and participation from various stakeholders. The various stakeholders for each committee are representatives from different ministries like Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Commerce, Women and Child Development, Ministry of Agriculture, Ministry of Food processing Industries, representatives from research institutions, representatives from Consumer organisations, Industry Associations like Confederation of Indian Industry (CII), All India Food Processors Association (AIFPA), Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) etc and experts/scientists from concerned areas.

A. Codex Activities 2012- 2013

During the year 2012-2013, Indian Delegations participated in the following Codex Committees meetings:

S. No	Year	CODEX COMMITTEE
1.	23-28 April, 2012	CODEX COMMITTEE ON PESTICIDE RESIDUES- 44th SESSION
J2.	15-18 May, 2012	CODEX COMMITTEE ON FOOD LABELLING-40th Session
3.	2-7 July15	CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION-35th Session
4.	3-7 September, 2012	CODEX COMMITTEE ON FRESH FRUITS AND VEGETABLES- 17th Session



5.	19-22 September, 2012	FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR NORTH AMERICA AND THE SOUTH WEST PACIFIC- 12th Session
6.	25-28 September, 2012	FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR EUROPE- 28th Session
7.	1-5 October, 2012	CODEX COMMITTEE ON FISH AND FISHERY PRODUCTS-32nd Session
8.	15-19 October, 2012	CODEX COMMITTEE ON PROCESSED FRUITS AND VEGETABLES- 26th Session
9.	5 – 9 November, 2012	FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR ASIA-18th Session
10	12-16 November, 2012	CODEX COMMITTEE ON FOOD HYGIENE-44th Session
11	1. 19-23 November, 2012	FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN- 18th SESSION

		t e e
	December, 1012	CODEX COMMITTEE ON NUTRITION AND FOODS FOR SPECIAL DIETARY USES- 36th Session
13. J	21 – 25 anuary, 2013	FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR THE NEAR EAST-7th Session
14.	29 January- 1 February, 2013	FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR AFRICA- 20th Session
	18-22 February, 2013	CODEX COMMITTEE ON FOOD IMPORT AND EXPORT INSPECTION AND CERTIFICATION SYSTEMS-20th Session
16.	25 February– 1 March, 2013	CODEX COMMITTEE ON FATS AND OILS- 23rd Session
17.	4-8 March, 2013	CODEX COMMITTEE ON METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING- 34th Session
18.	18 – 22 March, 2013	CODEX COMMITTEE ON FOOD ADDITIVES- 45th Session



Indian Delegation at the 45th Session of Codex Committee on Food Additives (CCFA), March 2013





Indian Delegation for the 23rd Session of Codex Committee on Fats and Oils (CCFO), February, 2013



Indian Delegation for the 7th Session of Codex Committee of Contamination in Food Chain (CCCF), 8th April to 12th April, 2013

- B. India had also proposed setting up of a new Codex Committee on "Spices& aromatic herbs" in CAC meeting held in July, 2012. The Proposal was also discussed in various regional Committee meetings that were attended by representatives from the Spices Board.
- C. The Food Authority proposed following New Work Proposals that were approved by the Codex Alimentarius Commission:-
 - 1. Standards for Okra & Potato ware was

- considered in the 17th Session of the Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables.
- 2. "Development of Code of Hygienic Practices for the Street-Vended Foods" was considered in the 18th Session of the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia
- 3. "Code of Hygienic Practice for the Storage of Cereals" was considered in the 44th Session of the Codex Committee



on Food Hygiene and will be considered as part of the "Low Moisture Food".

D. India participated in following Electronic Working Groups-2012-13

- CCFA: Alignment of the food additive provisions of the commodity standards and relevant provisions of the GSFA.
- CCFA: on the General Standards for Food Additives (GSFA).
- CCFA:development of criteria for the entry of substances into the database for processing aids.
- CCFL: EWG on use of Ethylene in ripening of organically produced fruits.
- CCCF:to develop a Code of practice for the Prevention & Reduction of Arsenic Contamination in Rice.
- CCRVDF:to prepare a discussion paper on Guidelines on the establishment of MRLs or other limits in Honey.
- CCRVDF:revise the draft report on performance criteria for multi-residue analytical methods.
- CCRVDF:develop a generic validation protocol for these methods.
- CCFH:Code of Hygienic Practice for spices and dried aromatic herbs-co-chair with USA.
- **CCNFSDU:** Review the Codex Standard for follow up formula.
- CCPFV:Conversion of the Regional Standard for Ginseng Products.
- CCASIA: Draft Strategic Plan for CCASIA 2015-2020.
- CCGP: Criteria for guidance documents.
- CCPFV:Standard for certain canned fruits.

- CCPFV: Standard for certain quick frozen vegetables.
- CCFFP: Code of Practice for Processing of Fish Sauce.
- CCFH: Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites.

E. India participated in following Physical Working Groups-2012

- CCFICS: Proposed Draft Principles and Guidelines for National Food Control Systems.
- CCFH: Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for foods.
- CCFA:General Standard for Food Additives

INFOSAN Activities

The National Codex Contact Point of India is also the nodal contact point of INFOSAN. The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) is a joint initiative between WHO and the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. This a global network includes of 177 member states. Each has a designated INFOSAN emergency contact point for communication between national food safety authorities and the INFOSAN secretariat regarding urgent events. India became the member of INFOSAN in February, 2011. The network aims

- Promote the rapid exchange of information during food safety related events
- Share information on important food safety related issues of global interest
- Promote partnership and collaboration between countries
- Help countries strengthen their capacity to manage food safety risks



INTERNATIONAL COOPERATION

In line with the FSS Act, the Food Authority is required to provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving co-operation with international organisations. FSSAI is also the enquiry point for SPS (Sanitary and Phytosanitary) issues and, thus, regularly participates in various bilaterial meetings for co-operation in the area of food standards, food safety and capacity building of labs.

As a part of this activity, FSSAI has been a part of two agreements:

(i) FSSAI has signed a MoU with the Food and Consumer Product Safety Authority of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation of The Kingdom of the Netherlands on "Cooperation in the field of Food Safety" signed 30th November, 2012. Based on this agreement, a Workshop-cum-Training

Programme on Food Safety was organised in CFTRI, Mysore in July, 2013 in which various Designated Officers/Food Safety Officers from different states participated.

i) FSSAI is also a part of India-EU Project on Capacity Initiative for Trade and Development (CITD). This agreement was signed by the Govt. of India on 30th November, 2011. The aim of the project as mentioned in the document is to "modernize and enhance the capacity of India's trade related regulatory institutions and enforcement system in order to meet International standards and requirements". This project has started in May 2013 and will end in September, 2017. With regard to FSSAI, capacity building initiatives will be taken for laboratory analysts, FSMS implementing/certification agencies and organic certification of livestock products.



Safety of Imported Food

Increasing globalization, rising incomes, & aspirations, growth of organized retail, changing lifestyles & food habits and increasing demand for assorted food articles from domestic consumers, there is an increasing trend of food import by India. In view of this, further control measures are needed to regulate food imports into the country.

As per section 25 of the Food Safety & Standard Act, 2006, all imports of articles of food to be subject to the provision of the Act. It provides that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder. Further, as per section 47 (5) of the FSS Act, 2006, in case of imported articles of food, the Authorised Officer of the Food Authority shall take its sample and for analysis who shall send the report within a period of five days to the Authorised Officer.

Accordingly, under this Act, FSSAI has a clear mandate of ensuring safety of food items imported into the country. In view of this, FSSAI has already successfully operationalized the Imported food clearance process in a phased manner since August- September 2010 through appointment of Authorized officer in terms of section 47 (5) of the FSS Act, 2006 in 10 ports of entry at Delhi, Mumbai, Chennai & Kolkata Ports (including sea, air and land). Further FSSAI is in the process of operationalizing the additional ports of entry.

Implementation of Integrated IT-enabled **Imported Food Clearance System**

Implementation of project operationalization of Integrated IT-enabled Imported Food Clearance System (FICS) by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was assigned to the National Institute of Smart Governance (NISG). FSSAI with the help of NISG has rolled out successfully the online system across the ports and Inland Container Depots at Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi. In the year 2012-13, a total of 59,226 samples of imported send to the Food Analyst of notified laboratory food were drawn and analysed. The number of non-conforming consignments was 407.

Training and Capacity Building

Under section 16(3) (h) of the FSS Act, the Authority is expected to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as a food business operator or employees or otherwise.

Training of Food Safety Regulators:

These trainings were conducted by FSSAI, in States/UTs, with the support of State authorities in terms of the space, manpower and faculties. FSSAI has conducted the following training programs:

- Orientation Trainings Programme for Designated Officers (3 days duration),
- Adjudicating Officers (1 day duration) and
- Food Safety Officers (5 days duration)
- I. Status of Trainings programmes conducted during the year:

(a) Adjudicating Officers-

Date	Place	State	
21st February	Chennai	Tamil Nadu	
2012	2		
12th April, 2012	Bhopal	Madhya Pradesh	
16th April, 2012	Mohali	Chandigarh	
2nd May, 2012	Lucknow	Uttar Pradesh	
15th May, 2012	Hyderabad	Andhra Pradesh	
28th May, 2012	Srinagar	Jammu &	
9	***	Kashmir	
11th June, 2012	Patna	Bihar	
20th June, 2012	Jaipur	Rajasthan	
27th June, 2012	Kolkata	West Bengal	
11th July, 2012	Shimla	Himachal	
		Pradesh	
2nd Aug, 2012	Dehradun	Uttarakhand	
16th Aug, 2012	Panchkula	Haryana	
7th Aug, 2012	Bhubaneswar	Odisha	
27th Aug, 2012	Nagpur	Maharashtra	

27th Sept, 2012	Bangalore	Karnataka
24th Sept, 2012	Raipur	Chhattisgarh

(b) Designated Officers-

Date	Place	State
12th to 14th April, 2012	Bhopal	Madhya Pradesh
16th to 18th April, 2012	Mohali	Punjab and Chandigarh
23rd to 25th April, 2012	Trivandrum	Kerala
2nd to 4th May, 2012	Lucknow	Uttar Pradesh
9th to 11th May, 2012	Ranchi	Jharkhand
15th to 17th May, 2012	Hyderabad	Andhra Pradesh
17th to 19th May, 2012	Ahmedabad	Gujarat
28th to 30th May, 2012	Srinagar	Jammu & Kashmir
20th to 22nd June, 2012	Jaipur	Rajasthan
27th to 29th June, 2012	Kolkata	West Bengal and Bihar
5th to 7th July, 2012	Bangalore	Karnataka
11th to 13th July, 2012	Shimla	Himachal Pradesh
2nd to 4th Aug, 2012	Dehradun	Uttarakhand
7th to 9th Aug, 2012	Bhubaneswar	Odisha
16th to 18th Aug, 2012	Panchkula	Haryana
24thto 26th Sept, 2012	Raipur	Chhattisgarh
27th to 29th Aug, 2012	Nagpur	Maharashtra



(c) Food Safety Officers-

Date	Pla	ce	S	tat	e	4
16th to 20th	Hv	derabad	A	٩nc	lhra	3
November,	,		F	rae	desh ·	4
2012	2202 0					
10th to 14th	Ba	ngalore	1	Kar	nataka	F
December,	"		1			í
2012						
5th to 9th	M	aharashtra	1	Ma	harashtra	;
February, 2013	141	arran sa		F		2
(batch 1) 11th to			-it	-		
15th February,						1
2013 (batch 2)						
18th to 22nd						
February,						1
2013(batch 3)						4
February to	(Chennai		Ta	amil Nadu	-
March 2013 (7						
batches)				1		
24th to 28nd	1	aipur		R	ajasthan	1
Account and a second of the se	ľ	aipa.		1		
December,						
2012	-	Dehradun		Ti	Jttarakhand	
21st to 25th		Demaga				
December,						
2012	-	Lucknow		1	Uttar Pradesh	
11th to 15th	,	Lucknow				
February, 201	3	Coo		1	Goa, Dadra	
18th to 22nd	2	Goa			and Nagar	
February, 201	3				Haveli and	
					Daman and	
				- 1	Diu	
		Candhina	70	r	Gujarat	
16th to 20th	12	Gandhinag	5ª	LI	Cajarac	
February, 20			_	_	Jammu &	
4-8 March, 2	013	Srinagar			Kashmir	
			_		Mizoram	_
18-21		Aizwal			WIIZOIAIII	
March,2013			_	_		

Campaign Mela/Awareness II. Licensing launched by FSSAI

FSSAI has launched successfully Licensing Mela cum Awareness Campaign through-out the country. The first awareness Mela of this campaign was organised by the following associations:

1. ASSOCHAM

CII

State

FICCI

32

PHD Chambers of Commerce and Industries

FSSAI has been organising these Melas in association with ASSOCHAM, FICCI and CII. Food Safety Commissioners of different states are involved actively in these Melas, giving their support in terms of fixing venues and providing staff, Food Safety Officers and Designated Officers. The activities of these Melas are as under:

- 1. To create awareness about the licensing procedures and formalities.
- 2. To help Food Business Operators finalise the documentary requirements of licensing.
- 3. On the spot Central and State licensing, as applicable.

These Melas have been successfully organised in the following places:

Name of the State	Districts in which Mela was organised and dates of the events
Uttar Pradesh	Lucknow (20-21 December, 2012)
Tamilnadu	Coimbatore, 23 December, 2012
West Bengal	Darjeeling, 13 December, 2012
West Bengal	Siliguri 14 December, 2012
Orissa	Balasore, 21 December, 2012
Jharkhand	Ranchi, 22 December, 2012
Rajasthan	Jaipur, 28 December, 2012
Rajasthan	Bikaner, 30 December, 2012
Gujarat	Surat,19 December, 2012
Maharashtra	Pune, 21 December, 2012
Maharashtra	Nagpur, 27 December, 2012



Information, Education & Communication (IEC)

Information, Education and Communication (IEC) on FM Gold and other channels of All India Radio. combines strategies and approaches that enable the organisations, communities and stakeholders to play key roles in achieving and sustaining their defined goals. IEC is the back bone of any organisation to channelize the promotional activities. It is the most crucial component, requires continuous and constant efforts targeted at various stakeholders. It empowers people to make decisions and modify behaviours.

IEC activities are developed based upon needs assessments, to enhance the visibility, educate about the Act, Rules & Regulations and to generate awareness. Using various channels of communication we disseminate valuable information to address different target groups.

A lot of activities have been organised to make stakeholders aware about the essential elements of the Act, Rules & Regulations involving print and electronic media. Advertisements on licensing, labelling, are being released in multilingual mode across the country. Pamphlets, Brochures on the procedure of licensing, registration, labelling, imported foods and on food safety were developed and distributed. Radio jingles were broadcasted

Animated video spots were made out of the radio jingles and played in Safal outlets in New Delhi. FSSAI branding was done in association with IRCTC.

Participated in events like AAHAR, IITF, etc. to spread awareness through posters display, leaflets distribution and involving experts from FSSAI to clarify the queries raised by the Food Business Operators. Participated in Kumbh mela by organising training programmes, lectures and street play. FSSAI involved NGOs to generate awareness in the field of food safety with a broad spectrum of activities.

A dedicated website www.fssai.gov.in , blog and Social networking are in place to update the current happenings in the Authority. FSSAI's Youtube channel has original videos to test adulteration in food stuff at households.

The IEC materials that are being developed in the Authority are shared with the State /UT Governments. States/UTs need to prepare plans to have similar awareness campaigns in respective regional languages at district levels.



E-Governance and Library

E-Governance: All works of the Authority are now on electronic modes. Digitization of old records related to FPO and PFA, hosting of FSSAI website on NIC Data Centre and servers maintained at NIC centre. FSSAI Data Recovery Centre at NIC premises has been allotted. Security audit and e-office training has been provided by NIC team.

Software support for "Food Import Clearance System" (FICS) has been installed. Food Licensing Registration System (FLRS) software has been developed and provided to all States. This system is being used for issuance of Central Licences by FSSAI and some of the States are also using for issue of license.

All FSSAI offices at Ports including sea ports and laboratories are 100% IT enabled with modern computers and printing/reprographic devices. Once fully operational and trained, all employees will have access to e-office.

Food Safety Commissioner reporting system has been designed in-house.

Library Services-FSSAI Library and Resource Centre was set up in the year 2008 which acts as a Resource Centre for Food Safety and allied areas. The Library has a good collection of Books, Journals, Magazines, Reports and statutory material relating to Food Safety. The Library uses "Total IT Solutions" software for library automation purposes. Besides, books and other library materials, library also subscribe to "Manupatra Online legal database" for access to legislations, case laws and notifications relevant to the activities of the Authority.

The library is providing literature search services, reference service, internet based library and information services, inter-library loan service, current awareness service and photocopying service. Compilations on "rules and regulation" and "advisories issued" have been done as part of the library service for the benefit and use of the officers of the authority.



RTI Matters

Following statement depicts facts in respect of RTI requests received in Food Safety and Standards Authority of India:

	Balance as	Received during the year (including cases transferred to other Public Authority	transferred to	requests/appeals	
Requests	0	433	58	0	
First Appeals	-	14	-	11	16

No. of CPIOs designated	No. of Appellate Authority designated
25	14

		No. o	f times	variou	s provisi	ions we	re invo	ked wh	ile rej	ecting re	quests		
				R	elevant S	Sections	s of RTI	Act, 20	005				
				Section	on 8 (1)					1	Sec	tions	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(9)	(11)	(24)	Other
Amou	nt of ch	arges C	ollecte	d (in R	s.)								
Regist	ration F	ee Amo	ount	- 1	Addition charges	al Fee &	& Any c	other		Penalties	Amoui	nt	

Last date of uploading the pro-active disclosures on the website.

866

2380

35










FINANCIAL STATEMENTS SSAT

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

FOR THE

FINANCIAL YEAR 2012-2013

S P S A & Co. Chartered Accounts FRN:- 019888N





CONTENTS

BALANCE SHEET

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENT

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA BALANCE SHEET AS ON 31-03-2013

(Amount in Rs.)

			(Allibuit III Ks.)
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
	1	30,70,03,716	8,71,11,775
Corpus/Capital Fund	2	-	-
Reserves And Surplus	3	2,34,01,497	2,47,50,497
Earmarked/Endowment Funds	4	2/3 1/3 1/4 1	-
Secured Loans And Borrowings			
Unsecured Loans And Borrowings	5		
Deferred Credit Liabilities	6		F 20 64 604
Current Liabilities & Provisions	7	7,35,61,921	5,29,64,694
TOTA	L	40,39,67,134	16,48,26,966
ASSETS			
Fixed Assets	8	2,34,01,497	2,47,50,497
Investments-From Earmarked/Endowment Funds	9	-	
Investments-Others	10	-	
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	38,05,65,637	14,00,76,469
		-	-
Miscellaneous Expenditure			
(to the extent not written off or adjusted)	AL .	40,39,67,134	16,48,26,966
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

CHIEF EXECUTIVE OFFICER/ DIRECTOR (CODEX & FA) DY. DIRECTOR (FINANCE) ASST. ACCOUNTS OFFICER CHAIRPERSON

PLACE: NEW DELHI DATE:



INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2013 FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Services	12	24,88,80,249	2,80,02,647
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India	13	40,47,06,328	35,78,27,895
Fees/Subscriptions	41	J.	j
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. funds transferred to funds)	15	ı	1
Income from Royalty, Publication etc.	16	,	1
Interest Earned	17	58,74,901	31,72,140
Other Income	18	5,70,239	1,10,113
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19	1	ľ
TOTAL(A)		66,00,31,717	38,91,12,795
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	10,28,61,525	10,98,96,439
Administrative Expenses etc.	21	31,70,57,416	21,15,81,694
Repair & Maintenance Expenses	22	1,32,20,835	1,93,04,922
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	70,00,000	000'00'09
Depreciation	24	T.	ı
Interest	25	ľ	ľ
TOTAL(B)		44,01,39,776	34,67,83,055
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		21,98,91,941	4,23,29,740
Transfer to Special Reserve		į	.1.
Transfer to/from General Reserve	ħ	Î	ī
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		21,98,91,941	4,23,29,740
Significant Accounting Policies	26	# T/S	
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/ DIRECTOR (CODEX & FA) DY. DIRECTOR (FINANCE)	NANCE	ASST. ACCOUNTS OFFICER	FFICER



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

	Current Vear	Previous Year
CONTAINED OF THE CONTAI		010000
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND.	8,71,11,775	5,93,02,240
Balance as at the beginning of the year		
Dalance as as as a second Comits/Canital Fund		
Add: Contributions towards corporations in the		
Add/(Deduct):Balance of net income/(expenditure)transience incin and	21 98 91.941	4,23,29,740
Second Expenditure Account	1	(1.45.20.205)
Income and experience of the section		1 7 7 1 1
Less: amount transferred to Fixed Asset Fulld	30,70,03,716	8,71,11,17,8
BALANCE AS AT THE YEAR – END	i di n	
	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:		
1. Capital Reserve:	1	ı
As per last Account	1	
	1	
1 2000 Deductions during the Year		
	*	
2. Revalution Reserve:		
As per last Account	1	
Addition during the year	1	
Less:Deductions during the year		
3. Special Reserves:	.1:	
As per last Account	1	
Addition during the year		1
Less:Deductions during the year		
4. General Reserve:		
As per last Account		ī
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
TOTAL		•

40

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	Fixed Asset Fund	Fixed Asset Fund
a) Opening balance of the funds	2,47,50,497	13
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	'	
ii. Income from Investments made on account of funds		1
iii. Other additions (specify nature)		
a) Capital Expenditure – Plan	33,56,702	1,42,56,916
b) Capital Expenditure - Non Plan		
c) Gifted Capital	'	
e) Staff Subscription to GPF		1
f) Interest credited in GPF Account	'	,
g) Refund of Advance	'	
iv. Accumulated Reserve		1
v. Transfer from Corpus Fund	1,45,20,205	
Total (b)	33,56,702	2,87,77,121
TOTAL (a+b)	2,81,07,199	2,87,77,121
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	1	31
- Fixed Assets	3	J
- Others	ı	E
- Disposal of unserviceable material	ı	E
- Depreciation during the year	47,05,702	40,26,624
Total	47,05,702	40,26,624
ii. Revenue Expenditure		æ
- Salaries, Wages and allowances etc.	į	ı
- Rent	1	1
- Other Administrative expenses		'
- Advance to staff		
- Final Payment to Staff and Artists	1	1
- Transferred to Unclaimed Balances		1
- Final Withdrawls by staff	1	1
TOTAL (c)	47,05,702	40,26,624
NET BALANCE AS AT THE YEAR-FND (a + h-c)	2,34,01,497	2,47,50,497





FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS		
1.Central Government		
2. State Government(Specify)		
3. Fiancial Institutions		- u
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		-
4. Banks		
a) Term Loans		-
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		-
-Interest accrued and due	7	
5. Other Institutions and Agencies	ll ll	
6. Debentures and Bonds		H
7. Others (specify)		-
TOTAL		-



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans(specify)	*	=
5. OtherInstitutions and Agencies	₩,	- .
6. Debentures and Bonds		= x
7. Fixed Deposits	, H	-
8. Others (Specify)	E	
TOTAL		-:

SCHEDULE 6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	j u
b) Others	_	
TOTAL	-	



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES	1	
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services (as per Schedule-7.1)	1,57,59,973	2,33,26,288
b) Others (as per Schedule-7.2)	1,44,07,947	1,15,18,981
3. Earnest Money Deposits	7,20,000	7,21,000
4. Interest accrued but not due on:	* 4	
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	2	-
5.Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	13,00,350
b) Others	14,06,641	1,08,711
6. Other current Liabilities:	_	-
a) Deductions from Salaries	5,91,217	4,26,676
b) Stale Cheques	8,17,524	13,47,499
c) Security Deposits received	91,56,460	-
7. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	3,07,02,159	1,42,15,189
TOTAL (A)	7,35,61,921	5,29,64,694
a e		*
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	,-
3.Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	
5. Trade Warranties/Claims	-	
6. Others (Specify)	-	
TOTAL (B)	-	
TOTAL (A + B)	7,35,61,921	5,29,64,694



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/ SERVICES		revious real
National Institute of Smart Govt.		× ×
Director, CCDU, PHED, Govt of West Bengal	79,05,134	1,06,37,192
CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	43,89,000	30,39,000
INDIRA GANDHI OPEN UNIVERSITY.	15,48,044	
Chennai Port Trust Engineering Deptt, Chennai	6,64,000	-
Sat Guru Management Consultants Pvt Ltd	3,92,845	3,92,845
FOUNDATION FOR COMMUNITY SURPORT AND	3,59,010	17,55,160
FOUNDATION FOR COMMUNITY SUPPORT AND DEVELOPMENT,	2,85,000	** ~ _
Vividh Landscape & Consultants Pvt Ltd.	1,16,350	1,16,350
Track Infovision Pvt Ltd	58,000	5,08,000
Swastik Company	23,435	23,435
NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGICALS	17,500	23,433
Vidutt Engineering.	1,655	1,655
Prasar Bharti	-,033	45,07,253
Amarchand Mangaldas		52 3350 48
Balmer Lawrie Co Ltd	7	5,39,471
Neo Post India		5,00,000
Karam Taxi Services		3,44,940
National Cooperative Consumer Federation	1	2,86,875
Central PWD		1,89,840
Impression Distributing Co.		1,69,812
Ricoh India Ltd.	-	1,03,000
Continental Caterers & Confectioners	-	74,510
Central News Agency Pvt Ltd	-	58,515
Tanu Transport & Travel	-	15,500
ISS Hicare Pvt Ltd	-	29,431
Integrated Strategic Project	, -	22,699
TOTAL	4 57 50 000	10,805
2	1,57,59,973	2,33,26,288



(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS	ŧ.	0
Professional Expenses Payable	-	32,73,934
Salary to Contractual Staff Payable	82,80,134	28,31,371
Salary Expenses Payable	-	25,96,274
Office Maintenance Expenses Payable	-	12,64,861
Conference Expenses Payable	7,39,830	7,39,830
Motor Taxi Hire Charges Payable		3,32,765
Postage & Telegramme Expenses Payable	2,00,000	2,29,128
Audit Fees Payable	-	90,000
Electricity Expenses Payable	-	88,760
Telephone Expenses Payable	-	35,049
Interest Expenses Payable	20,569	20,569
		10,500
Water Expenses Payable	-	5,940
Rent Rate & Taxes Payable	51,67,414	-
Training Exp Payable		
Security Exp Payable TOTAL	1,44,07,947	1,15,18,981



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

GROSS BLOCK
Cost/valuation Additions during the year Deductions Cost As at the On opening As at Addition upto Addition upto Peginning of the year at the year end
31,49,717 2,26,737 9,34,622 43,11,076 3,53,751
12,35,000 12,35,000 2,63,981
5,63,772 - 5,63,772 3,07,184
33,79,290 1,16,927 2,09,760 37,05,977 6,30,869
80,608 80,608 25,404
18,60,110 - 1,29,755 74,510 19,15,355 5,72,831
1,80,860 - 31,725 2,12,585 40,437
1,56,750 1,56,750 51,992
7,790 3,006
50,840 - 50,840 13,748
10,931 10,931 3,865
1,84,662 - 1,84,662 48,785
8,476 8,476
2,29,930 2,29,930 76,140
16,042 - 16,042 7,700
13,350 13,350 5,989
25,365 - 25,365 10,982
25,950 25,950 10,917
20,500 20,500 6,558

47

. Э н н





(Amount in Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	~	
3. Shares	~	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	<u>.</u>
TOTAL	-	-

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	:-
2. Other approved Securities	-	o (-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	.40
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	_	e 3
TOTAL	-	



(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:	~	
1. Inventories		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	· =	-
c) Stock-in-trade		
Finished Goods	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
Work-in-progress		-
Raw Materials		
2. Sundry Debtors	a) u =	
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		73
b) Others		
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	:=	10,000
4. Bank Balances:		0
a) With Scheduled Banks:		
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts (includes margin money)	-	
-On Labs Saving Accounts	1,09,19,263	53,13,810
-On Saving Accounts	31,99,05,920	5,36,99,013
b) With non-scheduled Banks:		
-On Current Accounts	-	•
-On Deposit Accounts	-	
-On Saving Accounts		C 114
5. Post Office-Savings Accounts	200 200 200 200 200	
TOTAL(A)	33,08,25,182	5,90,22,823



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2013

(Amount in Rs.)

		(Amount in Rs.)
SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		_ 11
1. Loans		-
a) Staff		-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other(specify)	-	_
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) On Capital Account	-	_
b) Prepayments	_	
c) Others	_	_
- Advance to Staff	11,76,953	25,28,422
- Advance to Contractors and others (as per Schedule-11(B)(1))	3,65,92,817	6,89,51,899
- Security Deposits	1,19,70,685	95,73,325
3. Income Accrued		3
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	-	
b) On Investments - Others	-	-
c) On Loans & Advances	-	-
d) Others		
-On Saving Accounts	1 = 20 20	-
5. Claims Receivable	-1	=
TOTAL(B)	4,97,40,455	8,10,53,646
TOTAL(A + B)	38,05,65,637	14,00,76,469

5





(Amount in Rs.)

CHEDULE 11(B)(1) Advance to Contractors and others	Current Year	Previous Year
ABP Pvt Ltd.	14,134.00	14,134
ADMINISTRATIVE OFFICER, FDA NAGPUR	97,600.00	
All India Food Processing Association	5,000.00	5,000
ALPCORD NETWORK TRAVEL AND CONFERENCE MANAGEMENT CO	10,099.00	
ASSOCHEM	16,50,000.00	
AUTHORISED OFFICER CHENNAI	10,000.00	
Authorised Officer JNPT Nhava Sheva.	10,000.00	
Authorised Officer Sea Port Chennai.	10,000.00	105
Bag Full	1,200.00	
British Council		16,500
COMMISSION OF FOOD SAFETY INDIAN OVERSEAS BANK, CHE	17,76,800.0	0
COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, J&K	3,58,400.0	0
CONFEDERATION OF INDIAN INSTT	18,50,000.0	0
CONSUMER ASSOCIATION OF INDIA CHENNAI	58,148.0	
Controller General Drug	1,59,68,527.0	1,59,68,52
D.G.ACADEMY OF ADMINISTRATION BHOPAL	90,000.0	00
DAKSH EDUCATION & WELFARE SOCIETY	4,14,900.0	00
DEEN DYAL UPADHYAY	2,34,008.0	00
DEPUTY FOOD SAFETY COMMISSIONER	2,49,000.	00
DIRECTOR CFTRI MYSORE		-
DIRECTOR HEALTH SAFETY & REGULATION, H.P.	1,04,000.	00
Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP)	44,56,977.	00 4,96,98,7
DY DIRECTOR SPIPA, AHEMDABAD	1,002.	.00
ENERGU & RESOURCE INSTITUTE	1,25,000	.00
FICCI	9,43,250	.00

2,00,000.00 2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00 14,999.00 86,400.00 1,10,000.00 44,394.00 10,000.00 62,336.00 90,000.00	2,00,000 - 3,67,110 - 14,999 - - - -
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00 14,999.00 86,400.00 1,10,000.00 44,394.00 10,000.00	3,67,110
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00 14,999.00 86,400.00 1,10,000.00 44,394.00	3,67,110
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00 14,999.00 86,400.00 1,10,000.00	3,67,110
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00 14,999.00 86,400.00	3,67,110
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00 14,999.00	3,67,110
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00 1,61,600.00	3,67,110
2,00,000.00 4,56,400.00 - 1,19,400.00	
2,00,000.00 4,56,400.00	
2,00,000.00	
2,00,000.00	
	2,00,000
2,00,000.00	2,00,000
2,92,187.00	<u>(</u>
-	65,000
47,43,444.00	19,26,582
50,000.00	-
96,800.00	-
4,37,698.00	4,37,698
2,00,000.00	2,00,000
86,400.00	-
16,414.00	16,414
1,08,800.00	-
50,000.00	-
5,17,500.00	-
	50,000.00 1,08,800.00 16,414.00 86,400.00 2,00,000.00 4,37,698.00 96,800.00



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES		
1) Income from Sales		a
a) Sale of Finished Goods	~	-
b) Sale of Raw Material	E	-
c) Sale of Scraps	- · · · · · · ·	
2) Income from Services		2 77 04 000
a) Licence Fee	20,20,29,374	
b) Sample Testing Fee	52,25,875	2,97,658
c) Product Approval	4,16,25,000	-
TOTAL	24,88,80,249	2,80,02,647

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES		
(Recurring Grants & Subsidies Received) 1) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	42,45,50,000	38,63,00,000
2) State Government	-	=
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies 5) International Organisations	-	_
6) Others : Add: Unspent balance at the beginging of the year	1,42,15,189	-
Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(3,07,02,159)	(1,42,15,189)
Less: Grants Capitalised during the year	(33,56,702)	(1,42,56,916)
TOTAL	40,47,06,328	35,78,27,895



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount in Rs.)

		(Amount in
	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS		
1) Entrance Fees	d 5.	5 F=
2) Annual Fees/Subscriptions	-	950
3) Seminar/Program Fees	-	_
4) Consultancy Fees	-	
5) Others	-	~
TOTAL	-	_

(Amount Rs.)

		(will omit 143
* 1	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS		100
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Others:		
-Interest from investments	_	
TOTAL	_	=
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		-



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME F	ROM ROYALTY, PUBLICATIONS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 Income from Royalty		_	_
2 Income from Publication			
3 Others (Specify)	· *	-	
	Wat.	_	
TOTAL			

X X	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED		
1 On Term Deposits		×
a) With Scheduled Banks	-	-
b) With Non-Scheduled Banks	-	
c) With Institutions	-	
d) Others		-
2 On Savings Accounts:		21 72 140
a) With Scheduled Banks	58,74,901	31,72,140
b) With Non-Scheduled Banks		-
c) Post Office Saving Accounts		-
d) Others		-
3 On Loans:		A
a) Employees/Staff		-
b) Others		21 72 140
TOTAL	58,74,90	1 31,72,140



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	s
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	_	-
2 Miscellaneous Income		
-Sale of old Newspapers		14,100
-Sale of Tender Form	1,00,750	250
-RTI Fees	4,199	1,775
-Others	4,65,290	93,988
-Prior Period Income	-	-
TOTAL	5,70,239	1,10,113

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	1	-
a) Closing Stock		
- Finished Goods	-	
- Work in Progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	-	_



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount in Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES		
a) Salaries and Wages	9,85,81,887	10,56,49,768
b) Allowances and Bonus	15,47,304	29,99,626
c) Staff Welfare Expenses	1,000	-
d) Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits		
e) Others:		
-Reimbursement of Medical Claims	27,31,334	12,47,045
TOTAL	10,28,61,525	10,98,96,439



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2013

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 21 ADMINISTRATIVE EXPENSES		(Amount in Rs.)
SCHEDULE 21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Labour and processing expenses	-	1,78,81,631.00
b) Electricity and Power	1,04,40,629.00	45,93,015.00
c) Water charges	2,82,992.00	4,96,146.00
d) Rent, Rates and Taxes	5,34,76,193.00	4,91,09,632.00
e) Postage and Communication Charges	(40,509.00)	12,68,549.00
f) Printing & Stationery	42,57,190.00	46,33,094.00
g) Travelling and Conveyance Expenses	2,54,86,916.00	1,43,35,083.00
h) Expenses on Seminar/Workshops	20,00,236.00	49,85,227.00
i) Subscription Expenses	30,074.00	1,25,170.00
j) Auditors Remuneration	95,040.00	2,16,320.00
k) Professional Charges	8,85,83,584.00	1,73,36,995.00
l) Expenses on operationalisation of food Import Clearance		3,43,46,003.00
Process	ħ.	
m) IEC & Publicity Expenses	8,69,92,838.00	4,75,63,411.00
n) Office Expenses	2,49,29,766.00	59,19,383.00
o) Training Charges	79,45,635.00	38,76,192.00
p) Publication expenses	4,54,680.00	11,78,252.00
q) Telephone & Mobile Expenses	11,35,589.00	8,22,655.00
r) ENTERTAINMENT EXP	50,112.00	_
s) GUEST HOUSE.	(34,374.00)	
t) SAMPLE CHARGES	3,500.00	_
u) SECURITY CHARGES	13,17,778.00	_
v) Other Administrative Expenses		
-Bank Charges	51,156.00	
-Internet Charges	37,556.00	73,484.00
-Computer Expenses	2,01,700.00	61,790.00
-Membership Fees	_	1,103.00
-Digitisation charges	_	1,562.00
-Generator Expenses	33,695.00	.,002.00
-Others	56,98,298.00	_
w) Prior Period Expenditure	36,27,142.00	27,56,997.00
TOTAL	31,70,57,416	21,15,81,694

SCHEDULE 22 -Repair & Maintenance Expenses	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Repair & Maintenance	- The state of the	I KLVIOOS ILAK
i) Repair and Maintenance of Office	1,29,81,853	1,89,01,405
ii) Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	13,726	3,19,255
iii) Repair, Running and Maintenance of Vehicles iv) Others	2,25,256	84,262
TOTAL	1,32,20,835	1,93,04,922

58

59



FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
a) Grants Given to Institutions/Organisation	70,00,000	60,00,000
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	
TOTAL	70,00,000	60,00,000

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 24 – DEPRECIATION		
On Fixed Assets	47,05,702	40,26,624
TOTAL	47,05,702	40,26,624
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	47,05,702	40,26,624
TOTAL	-	-

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 25 - INTEREST PAID		
a) On Fixed Loans	-	er v
b) On Other Loans	-	
c) Others- Interest on CPF	-	
TOTAL	-	



(Amount in Rs.)

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2012 TO 31.03.2013

-							
9.70	S. KECEIPIS	CURRENT	PREVIOUS	s.No.	PAYMENTS	CURRENT	PREVIOUS
	Opening Balance				Expenses	N. C.	IFAN
	a) Cash in hand	10,000	10.000		a) Fetablishment Evnousor	700 00 00	
	b) Bank Balances				a) Establishingh Expenses	10,00,09,036	10,45,42,705
					(Corresponding to Schedule 20)		
	I) Saving Bank Accounts	5,90,12,823	2,55,99,749		b) Administrative Expenses	32,33,22,393	19,13,16,170
	ii) Current Deposits	Î	1		(Corresponding to Schedule 21)		
	iii) Deposit Account	t	1		c) Repair & Maintenance Expenses	1,44,85,696	1 77 77 1
					(Corresponding to Schedule 22)		007/10/11/1
=	Grants Received						
	a) From Government of India			=	Grants Given		
	- Ministry of Health & Family Welfare	42,45,50,000	38,63,00,000		Grant in Aid	70,00,000	000'00'09
	- Department of Health (Capital Grant)	J	1				
				=	Investments and deposits made		
≡	Income on Investments from				a) Out of Earmarked/Endowment	,	a
					funds		
	a) Earmarked/Endow. Funds	1	3		b) Out of Own Funds (Investments - Others)	1	1
	b) Own funds (Oth. Investments)	1	3				
				≥	Expenditure on Fixed Assets &	3	
≥	Interest Received				Capital Work in Progress		
	On Bank Deposits (Saving)	58,74,901	31,72,140		a) Purchase of Fixed Assets	33.56.702	55 12 033
	On Bank Deposits (FDR)	Ē.	1		b) Expenditure on Capital Work in Progress	1	87,44,883
	Loans, Advances etc.	Ė	į	. 18			
				>	Advance to Employees	1	8 21 949



Licence Fees	>	Income received from Licencee's						5 10 20 460
Find that the sting fees 52,25,875 2,97,658 Product Approval 4,16,25,000 - 1,6,2,200 - 1,6,2	8	- Licence Fees	20,20,29,374	2,77,04,989	 	Advances to Suppliers/Others	1	3,10,40,100
Product Approval		- Sample Testing Fees	52,25,875	2,97,658				
Tracect Approvers		Droduct Approval	4,16,25,000	t	III	TDS Deposit:		
Tust Received:	5	Transfer of Investment	1	1		-on Contractors	9,23,845	13,17,188
TDS Received: 8,92,993 13,64,407 -on Professional 30,57,339 -on Contractors 8,92,993 13,64,407 -on Salary 27,78,321 -on Rent 36,63,630 47,17,030 NIII Contractor's EMD/ Security 27,78,321 -on Rent 19,72,151 13,71,979 VIII Contractor's EMD/ Security - -on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deductions from salary - -on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deductions from salary - -on Salary 13,51,469 X Stale Cheques 5,29,975 -chployees 3,23,59,082 X Stale Cheques 5,29,975 -chployees 13,51,469 1,775 X Stale Cheques 5,29,975 -chployees 3,23,59,082 X Stale Cheques 5,29,975 -chployees 1,00,750 250 3 Cash in hand - -chick form 4,65,290 93,988 b) Bank Balances 5,29,975 -chick form -chick form -chick form -chick form -chick form -chic	5	Encashment of investment				-on Rent	25,49,536	47,20,661
TDS Received: 8,92,993 13,64,407 -on Salary 27,78,321 -on Contractors 36,63,630 47,17,030 -on Rent 19,72,151 13,71,979 VIII Contractor's EMD/ Security -on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deposits -on Salary -on Salary -on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deductions from salary -on Sal						-on Professional	30,57,339	13,80,177
on Contractors 8,92,993 13,64,407 -on salarly -on salarly on Rent 36,63,630 47,17,030 VIII Contractor's EMD/ Security - on Professional 19,72,151 13,71,979 VIII Contractor's EMD/ Security - on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deductions from salary - Advances Adjusted 13,51,469 - - X Stale Cheques 5,29,975 -Employees - 4,199 1,775 X Stale Cheques 5,29,975 -Suppliers/Chters 3,23,59,082 X Stale Cheques 5,29,975 -Aupopliers/Chters 4,199 1,775 X Caba in hand - RTI fees - 14,100 XI Cobing Balances - Sale of Tender Form 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - Misc. Income 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - Misc. Income - - i) Gash in hand -	=	TDS Received:					27.78.321	32,44,815
on Rent 36,63,630 47,17,030 VIII Contractor's EMD/ Security on Professional 19,72,151 13,71,979 VIII Contractor's EMD/ Security on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deductions from salary - Advances Adjusted 13,51,469 - - - - Employees 13,51,469 - - - - Aby pliers/Chthers 3,23,59,082 X Stale Cheques 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 X Stale Cheques 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 X Closing Balances 5,29,975 Sale of Newspaper 1,00,750 250 9,988 b) Bank Balances - Avisc. Income 4,65,290 9,988 b) Bank Balances - Avisc. Income 4,65,290 9,988 b) Bank Balances - TDS Refund - 11,38,838 b) Bank Balances - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 <td></td> <td>-on Contractors</td> <td>8,92,993</td> <td>13,64,407</td> <td></td> <td>-on Salary</td> <td>1000</td> <td></td>		-on Contractors	8,92,993	13,64,407		-on Salary	1000	
on Professional 19,72,151 13,71,979 VIII Contractor's EMD/ Security Possis on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deposits Perposits Advances Adjusted 13,51,469 X Stale Cheques 5,29,975 Employees 13,51,469 X Stale Cheques 5,29,975 Suppliers/Others 3,23,59,082 X Stale Cheques 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 X Closing Balances 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 X Closing Balances 5,29,975 Sale of Newspaper 1,00,750 250 3,Cash in hand - - Sale of Tender Form 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - Misc. Income 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - Prior Period Income 1,00,750 250 1) Current Deposits - TDS Refund 1,138,858 ii) Current Deposits - Deposits 1,64,541 - <td></td> <td>-on Rent</td> <td>36,63,630</td> <td>47,17,030</td> <td></td> <td>.8</td> <td></td> <td></td>		-on Rent	36,63,630	47,17,030		.8		
on Salary 27,77,847 32,56,716 IX Deductions from salary ** Advances Adjusted 13,51,469 ** ** Deductions from salary ** -Employees 13,51,469 ** X Stale Cheques 5,29,975 -Employees 3,23,59,082 X Stale Cheques 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 X Stale Cheques 5,29,975 RIT fees 1,00,750 250 3,08,28,182 3,08,28,182 1,08,88,38,025 Sale of Tender Form 1,00,750 250 93,988 b) Bank Balances - Misc. Income 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - Misc. Income - 1,58,888 b) Bank Balances - Misc. Income - 1,58,78 contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 contractor's EMD/ Security contractor's EMD/ Sec		-on Professional		13,71,979	III/	Contractor's EMD/ Security Deposits	1	
Advances Adjusted IX Deductions from salary - Employees 13,51,469 x Stale Cheques 5,29,975 Suppliers/Others 3,23,59,082 x Stale Cheques 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 x Closing Balances 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 x Closing Balances 5,29,975 RIT fees 3,23,59,082 x1 Closing Balances - - Sale of Newspaper 1,00,750 250 a) Cash in hand - - Sale of Tender Form 4,65,290 93,988 b) Bank Balances 33,08,25,182 Misc. Income - ii) Current Deposits - iii) Current Deposits TDS Refund - - iii) Deposit Account - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 iii) Deposit Account - Deductions from salary 1,64,541 - 4,06,548 - Stale Cheques 78,88,38,025 45,54,50,187	3	Salary and		32,56,716		ill the second s		
Advances Adjusted -	15				×	Deductions from salary	1	770'66
Employees 13,51,469 x Stale Cheques 5,29,975 -Suppliers/Others 3,23,59,082 x Stale Cheques 5,29,975 Any other receipts: 4,199 1,775 x Closing Balances	E			i.				
Any other receipts: 3,23,59,082 X Stale Cheques 3,29,979 Any other receipts: 4,199 1,775 A Closing Balances 5,29,979 RTI fees 8ale of Newspaper 1,00,750 250 a) Cash in hand - Sale of Newspaper 1,00,750 250 a) Cash in hand - Sale of Tender Form 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - Misc. Income - i) Saving Bank Accounts 33,08,25,182 Prior Period Income - ii) Current Deposits - TDS Refund 11,38,858 iii) Deposit Account - Deposits 1,64,541 - 4,06,548 - I Stale Cheques - 4,06,548 - - I OTAL 78,88,38,025 45,54,50,187 - 78,88,38,025			13,51,469				L 11 C C C C C L	
Any other receipts : 4,199 1,775 Closing Balances RTI fees - 14,100 XI Closing Balances Sale of Newspaper - 1,00,750 250 a) Cash in hand - Sale of Tender Form 4,65,290 93,988 b) Bank Balances - - Misc. Income - - ii) Current Deposits - - Prior Period Income - iii) Current Deposits - - TDS Refund - iii) Deposit Account - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 iii) Deposit Account - Deposits - 4,06,548 - 4,06,548 - I Stale Cheques - 4,06,548 - - - I TOTAL 78,88,38,025 45,54,50,187 78,88,38,025 78,88,38,025		-Suppliers/Others	3,23,59,082		×	Stale Cheques	5,29,975	
RTI fees 4,199 1,775 XI Closing Balances A Sale of Newspaper - 14,100 XI Closing Balances - Sale of Tender Form 1,00,750 250 a) Cash in hand - Misc. Income - - i) Sank Balances 33,08,25,182 Prior Period Income - ii) Current Deposits - TDS Refund 11,38,858 iii) Deposit Account - Deposits 1,64,541 - 4,06,548 - Deductions from salary 1,64,541 - 4,06,548 - I Stale Cheques 78,88,38,025 45,54,50,187 Rass,38,025 78,88,38,025	×	Any other receipts:						
Sale of Newspaper - 14,100 XI Closing Balances -		RTI fees	4,199	1,775				
Sale of Tender Form 1,00,750 250 a) Cash in hand - Anisc. Income 4,65,290 93,988 b) Bank Balances 33,08,25,182 Prior Period Income - i) Saving Bank Accounts 33,08,25,182 TDS Refund - ii) Current Deposits - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 iii) Deposit Account - Deposits 1,64,541 - 4,06,548 iii) Deposit Account - Stale Cheques 1,64,541 - 4,06,548 iii) Deposits - TOTAL 78,88,38,025 45,54,50,187 iii) Current Deposits r		Sale of Newspaper	Ī	14,100	⋝	Closing Balances		40.000
Misc. Income 4,65,290 93,988 b) Bank Balances Prior Period Income - - i) Saving Bank Accounts 33,08,25,182 TDS Refund - - ii) Current Deposits - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 - - Deposits 1,64,541 - 4,06,548 - Stale Cheques 78,88,38,025 45,54,50,187 78,88,38,025		Sale of Tender Form	1,00,750	250		a) Cash in hand	3	10,000
Prior Period Income - i) Saving Bank Accounts 33,08,25,182 TDS Refund - - ii) Current Deposits - TDS Refund iii) Deposit Account - - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 - - Deposits 1,64,541 - 4,06,548 - Stale Cheques 78,88,38,025 45,54,50,187 78,88,38,025		Misc. Income	4,65,290	93,988		b) Bank Balances	11 13	1
TDS Refund ii) Current Deposits - ii) Current Deposits - TDS Refund 11,38,858 iii) Deposit Account - Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 - - Deposits - 4,06,548 - - - Stale Cheques - 4,06,548 - - - - TOTAL 78,88,38,025 45,54,50,187 - 78,88,38,025 - -		Prior Period Income	ı	1		i) Saving Bank Accounts	33,08,25,182	5,90,12,82
Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 iii) Deposit Account - Deposits 1,64,541 - 4,06,548 - 78,88,38,025 78,88,38,025		TDS Refund	-	1		ii) Current Deposits	1	
Contractor's EMD/ Security 67,58,100 11,38,858 6 Deposits 1,64,541 - 4,06,548 - 78,88,38,025 78,88,38,025						iii) Deposit Account	1	=
Deductions from salary 1,64,541 - 4,06,548 78,88,38,025 78,88,38,025 78,88,38,025	×	Contractor's EMD/ Security Deposits	67,58,100	11,38,858				
Stale Cheques - 4,06,548 78,88,38,025 45,54,50,187 78,88,38,025	=	\vdash	1,64,541	1				
TOTAL 78,88,38,025 45,54,50,187 78,88,36,025	=	\top	Ī	4,06,548		2	10000	7 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
			78,88,38,025	45,54,50,187			78,88,38,023	מו יסרידריהד

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2013

SCHEDULE 26 - SIGNIFICANT ACCOUNTING In respect of additions to / deduction s from fixed **POLICIES**

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statement are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

License Fees and Sample Testing Fee are recognized as and when due. Other Income is recognized on accrual basis. Interest on saving bank accounts is accounted on receipt basis.

3. INVESTMENTS

Investment classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related preoperational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non monetary grants, other than towards the Corpus fund, are 8.4 Unutilized grants computed on Cash Basis are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided as per the provisions of 9.1 Transactions denominated in foreign currency Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

assets during the year, depreciation is considered accordingly.

Depreciation for the year on fixed assets of the authority has been debited to fixed assets fund in consistent with the fund based accounting.

6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. GOVERNMENT GRANTS

- 8.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.
- 8.2 Government Grants of capital nature are recognised on accrual basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.
- 8.3 Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- carried forward and exhibited as a liability in the balance sheet.

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.



exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.2 In respect of:
 - Bank guarantees given by /on behalf of the Authority - Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity- Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Bills discounted with banks- Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.3 Disputed demands in respect of:
 - Income-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Sales-Tax Rs. NIL (Previous year Rs.
 - Municipal Tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.4 In respect of claims from parties for nonexecution of orders, but contested by the Entry Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety Standards Authority of India is a statutory authority under the Administrative Miscellaneous Expenses

9.2 Current assets, foreign currency loans and control of the Ministry of Health & Family Welfare current liabilities are converted at the and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

The income of the authority is considered to be exempt from income tax in view of section 11 to 13 of the Income Tax Act. No provision for income tax is therefore made in the account.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:

Purchase of finished goods	NIL
Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
Capital Goods	NIL
Stores Spares and Consumables	NIL

2.2 Expenditure in foreign Currency:

Stores, Spares and Consumables

NIL a) Travel

(Expenditures on foreign tour are incurred by Visiting Officer(s) and reimbursed in Indian Currency. All the foreign exchange are received from and exchanged back through authorized Bank.)

b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/

NIL Bank in Foreign Currency

c) Other expenditure:

NIL Commission on sales NIL Legal and Professional Expenses NIL



During the year, the authority has made a 5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND payment of USD 15,000 to WHO-FAO as India's contribution to CODEX Trust Fund.

2.3 Earnings:

Value of exports on FOB basis NIL Value of Services

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to our Authority.

4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

In addition to Grants, miscellaneous receipts like 8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an License Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, etc., being internally generated funds, are not being utilized.

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year. and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

- 6. Figures are rounded off to the nearest rupees.
- 7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged and re-casted wherever considered necessary in lines with format prescribed by AGCR adopted by the Authority.
- integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2013 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.





कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय) Office of the Director General of Audit (Central Expenditure) इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002 Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-50/2013-14/ दिनांकः

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार, रवास्थ्य एवं परिवार कृत्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.

विषयः वर्ष 2012-13 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित हैं । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अग्रेंजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय.

अनुलग्नकः यथोपरि

quiller 1.180

—__>d—_ निदेशक (ए.एम.जी.- II)

A.G.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002 e-mail : dgace@cag.gov.in पत्र संख्यः ए.एम.जी. 🏿 /एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-50/2013-14/937दिनांकः

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

ि प्रमितिका निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्यः ए.एम.जी. ॥/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /7-50/2013-14/

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री अनिरूद्ध मेहता, प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-II)



Dr. A. R. Sharma

Annexure-I

Members of the Food Authority	
Chairperson	
Shri. K. Chandramouli	
Memeber Secretary	
Shri S.N. Mohanty	
Ex- officio members under Section 5 (1) (a)	_
	_
Shri Utpal Kumar Singh, JS, Ministry of Agriculture	
Shri Asit Tripathy, JS, Ministry of Commerce	_
Shri Manoj Parida, JS, Ministry of Consumer Affairs	_
Smt. Anuradha Prasad, JS, Ministry of Food Processing Industries	_
Shri Arun Kumar Panda, JS, Ministry of Health and Family Welfare	
Dr. G. Narayana Raju, JS & Legislative Counsel, Ministry of Law & Justice	k
Shri M.P. Singh, Addl. Development Commissioner (MSME)	
Officio members	
Ms. Mona Malhotra Chopra, All India Food Processors Association	_
Ms. Indrani Kar, Dy. Dir. General, CII	_
Ms. Vasundhara Pramod Deodhar, Mumbai Grahak Panchayat	_
Sh. Bejon Misra, International Consumer Expert and Former Chairman, Consumer Coordinate Council	or
Dr. S. Girija, Director, National Institute of Fisheries	
Sh. Praveen Prakash, Food Safety Commissioner, Andhra Pradesh	_
Sh. C.R. Rana, Commissioner, Food and Drug Administration, Haryana	
Sh. Sanjay Kumar, Food Safety Commissioner Patna	_
Sh. Tape Bagra, Commissioner Food Safety, Arunachal Pradesh	_
Dr. S.K. Paul, Commissioner Food Safety, Port Blair	_
Dr. (Smt.) T.A. Kadarbhai, Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Pune	_
Sh. V. Balasubramaniam, General Secretary, Prawn Farmers Federation of India, Bangalore	
Shri Abulkalam	



Annexure-II

Members of Central Advisory Committee

 Sh. S.N Mohanty, Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India

Food Industry:

- Shri Arnab Kumar Hazra C/O Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg, New Delhi
- Shri Pradeep Chordia
 C/O Chordia Food Products, 48/A
 Pravati Industrial Estate,
 Opp. Adinath Society, Pune
 Satara Road, Pune-411009

Agriculture:

- Dr. J. Tonpangyongdang Walling Village- Sungratsu, Distt.- Mokokchung Nagaland
- 5. Shri Arun Balamatti 815, 7th Cross Banashankari 3rd Phase, 3rd Block, 3rd Stage, Bangalore- 560085

Consumers:

- 5. Shri R. Desiken C/O Concert and Consumer Association of India 2/228, Chinnan Dikuppam Road Vettuvankeni ,Chennai
- 7. Smt. Keya Ghosh C/O Consumer Unity and Trust Society 3 Suren Tagore Road Gariahat, Kolkata- 700019

Research Bodies and Food Laboratories:

- 8. Dr. S.P Vasireddi Chairman and Managing Director VIMTA Labs Limited, 142, IDA, Phase- 2, Cherlapally, Hyderabad, Andhra Pradesh
- 9. Prof. Gopal Naik Indian Institute of Management (IIM) Bangalore



Commissioners of Food Safety:

- 10. Commissioners of Food Safety for Andhra Pradesh
- 11. Commissioners of Food Safety for Tamil Nadu
- 12. Commissioners of Food Safety for Puducherry
- 13. Commissioners of Food Safety for Rajasthan
- 14. Commissioners of Food Safety for Karnataka
- 15. Commissioners of Food Safety for Kerela
- 16. Commissioners of Food Safety for Lakshadweep
- 17. Commissioners of Food Safety for Gujarat
- 18. Commissioners of Food Safety for Maharashtra
- 19. Commissioners of Food Safety for Madhya Pradesh
- 20. Commissioners of Food Safety for Daman and Diu
- 21. Commissioners of Food Safety for Chandigarh
- 22. Commissioners of Food Safety for Harayana
- 23. Commissioners of Food Safety for Jammu & Kashmir
- 24. Commissioners of Food Safety for Uttarakhand
- 25. Commissioners of Food Safety for Goa
- 26. Commissioners of Food Safety for Chhattisgarh
- 27. Commissioners of Food Safety for Dadra & Nagar Haveli
- 28. Commissioners of Food Safety for Delhi
- 29. Commissioners of Food Safety for Himachal Pradesh
- 30. Commissioners of Food Safety for Punjab
- 31. Commissioners of Food Safety for Uttar Pradesh
- 32. Commissioners of Food Safety for West Bengal



- 33. Commissioners of Food Safety for Orissa
- 34. Commissioners of Food Safety for Andaman & Nicobar
- 35. Commissioners of Food Safety for Assam
- 36. Commissioners of Food Safety for Meghalaya
- 37. Commissioners of Food Safety for Bihar
- 38. Commissioners of Food Safety for Jharkhand
- 39. Commissioners of Food Safety for Arunachal Pradesh
- 40. Commissioners of Food Safety for Manipur
- 41. Commissioners of Food Safety for Mizoram
- 42. Commissioners of Food Safety for Nagaland
- 43. Commissioners of Food Safety for Tripura
- 44. Commissioners of Food Safety for Sikkim



Members of the Scientific Committee

- 1. Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Adviser to Department of Health Research, Translational Health Science & Technology Institute, New Delhi.
- 2. Dr. P.G. Chengappa, Vice Chancellor, GKVK, Bangalore
- 3. Dr. Ashok A. Patel, Principal Scientist & Actg. Head, Dairy Technology, National Dairy Research Institute (ICAR), Karnal
- 4. Dr. M.S. Mithyantha,
 Ph.D (Agricultural chemistry), Independent consultant, expert in Pesticide Residues and contaminants, Bangalore.
- 5. Dr. K.C. Bansal, Coordinator, ICAR Network on Transgenic Development, National Research Centre on Plant Biotechnology, ICAR, New Delhi
- 6. Dr. Jagadish S. Pai, Ph.D Food Science & Technology, Expert in Functional Foods, Nutraceuticals, Executive Director, Protein Foods & Nutritional Development Association of India
- 7. Chairperson of the Scientific Panel on functional foods, nutraceuticals, dietetic products and other similar products.
- 8. Chairperson of the Scientific Panel on method of sampling and analysis.
- 9. Chairperson of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food.
- 10. Chairperson of the Scientific Panel on contaminants in the food chain.
- 11. Chairperson of the Scientific Panel on biological hazards.
- 12. Chairperson of the Scientific Panel on pesticides and antibiotic residues.
- 13. Chairperson of the Scientific Panel on labeling and claims/Advertisements.
- 14. Chairperson of the Scientific Panel on genetically modified organisms and foods.
- 15. Chairperson of the Scientific Panel on fish and fisheries products.



Members of Scientific Panels

Panel 1- For functional foods, Nutraceutical, dietetic products and other similar products

- 1. Dr. V. Prakash, Distinguished Scientist of CSIR INDIA, Director Centre for Food Technology, Biotechnology and Management Institute, Director of Research Development and Innovation, JSS Centre for Management Studies, JSS Technical Institutions Campus, Mysore
- 2. Dr. D B Anantha Narayana, Bangalore.
- 3. Ms. Anuja Agarwal Dietician, Department of Paediatrics, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)
- 4. Dr. B.C. Ghosh, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Bangalore
- 5. Dr. K. Madhavan Nair, Scientist 'E', Micronutrient Research Group, Department of Biophysics National Institute of Nutrition Hyderabad
- 6. Shri Kumar Bhatia, Retd. Chief Consultant (Post Harvest Management & Marketing), Ministry of Agriculture and Co-operation
- Dr. P.D. Dwivedi Principal Scientist Indian Institute of Toxicology Research Lucknow
- 8. Dr. Partha Roy, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Roorkee
- Dr. A .G.Appu Rao, CSIR Scientist Emeritus, University of Mysore.
- Dr. S. Venkat Rao,
 Former Area Co-ordinator and Head, Department of Nutrition and Food Safety, CFTRI, Mysore.
- 11. Dr. Sandhya Kulshreshtha, Consultant, Directorate of PPQ&S, Department of Agriculture & Cooperation,
- 12. Dr. Manorma Kanuri, Professor (Food and Nutrition) Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Rajendra Nagar, Hyderabad
- 13. Dr. P. Goswami, Senior Principal Scientist, North East Institute of Science and Technology, Jorhat, Assam.
- 14. Dr. Suman Kapur,
 Dean, Research and Consultancy, Birla Institute of Technology and Science, Hyderbad.
- 15. Dr. Virender K. Batish, Emeritus Scientist, Molecular Biology Unit, National Dairy Research Institute, Karnal



Panel 2 - For Method of Sampling and Analysis

 Dr. Sushil Kumar Saxena, Director, Export Inspection Council (EIC), Ministry of Commerce and Industry, NDYMCA, 3rd Floor, 1 Jai Singh Road, New Delhi

 Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Chief Scientist & Head Food Safety and Quality Control Laboratory, CSIR-Central Food Technological Research Institute, Mysore- 570 020.

3. Dr. M.N. Manjunath, Scientist 'F', Food Safety & Analytical Lab, CFTRI, Mysore.

 Dr. Hari Niwas Mishra Professor, Agriculture & Food Engineering Department, Indian Institute of Technology, Kharagpur- 721302.

Dr. Satwinder Singh Marwaha,
 CEO, Punjab Biotechnology Incubator, SCO:7&8, Phase-V, SAS Nagar (Mohali), Punjab- 160 059.

6. Dr. Mihir Kumar Kundu, Consultant, Former Edible Oils Commissioner, D-776, FF, C R Park, New Delhi-110019.

7. Ms. Shobha Hegde, Independent consultant, Empanelled Accreditation Assessor, Mumbai(Retired from BIS), Flat No. 43, B-wing, Mira Building, Sector 3, Srishti Housing complex, Mira road East, Thane-401107.

8. Dr. Rajan Sharma, Senior Scientist, National Dairy Research Institute (NDRI) Karnal.

 Dr. Prem Kumar Jaiswal, Former Director of Laboratories, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation Central Agmark Laboratory B 197, Sector 41, G.B. Nagar, Noida- 201303.

Dr. Manjeet Aggarwal,
 Deputy Director, Shriram Institute for Industrial Research, 19, University Road, Delhi 110007.

11. S h. K.S. Premavalli, Scientist 'G', Defence Food Research Laboratory, No.3, Satya Marga, Siddhartha Nagar, Mysore.

 Dr. Suresh Walia, Principal Scientist, Division of Agricultural Chemicals, Indian Agricultural Research Institute, LBS Building, New Delhi-110 012.

13. Dr. A. A. Patel, Head, National Dairy Research Institute (NDRI), Karnal.

14. Sh. V.D.Sattigeri,
Former Director, Central Food Laboratory, Central Food Technological Research Laboratory, 7,
CFTRI Layout, 5th Main, 1st Cross, Bogadi 2nd stage, Mysore-570020.



15. Prof. P. Shetty, Head, Food Technology, Puducherry University, Puducherry.

PANEL-3 (Food Additives, Flavourings, Processing Aids and material in contact with food)

 Dr. Amarinder Singh Bawa, Director, Defence Food Research Laboratory (DFRL), DRDO, Mysore

 Dr. Mukul Das, Deputy Director (Scientist 'F'), Indian Institute of Toxicology Research, MG Marg, Post Box No. 80, Lucknow.

3. Dr. K.N. Gurudatt, Head, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, #. 161, 4th Cross, CFTRI EHBCS Layout, Bhogadi II, Stage-570 026, MYSORE.

 Dr. H.P.S. Sachdev, Sr. Consultant (Pediatrics and Clinical Epidemiology), Sita Ram Bharatia Institute of Science and Research, E-6/12, Vasant Vihar, New Delhi

5. Dr. R.B.N. Prasad, Scientist 'G', Indian Institute of Chemical Technology, Taranaka, Hyderabad

6. Dr. Satish Kulkarni, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Hosur Road, Adugodi, Bangalore

7. Dr. V. Sudershan Rao, Scientist 'D', National Institute of Nutrition, B-406, Phase-II, Vanasthalipuram, Hyderabad

8. Prof. Subash Chand, Retired Professor, Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi

 Dr. Sunita Singh, Principal Scientist, Division of Post Harvest Technology, Room no. 334, NRL Building-3rd Floor, IARI, PUSA, New Delhi

Prof. (Dr.) Satyanarayan Mohanty,
 Former Dean, College of Agricultural Engineering & Technology, Orissa University of Agriculture
 & Technology, 1148, Bishnu Nagar, Tankapani Road, Bhubaneshwar .

11. Dr. A Vajreswari, Scientist 'F' & Head, Lipid Biochemistry Division, National Institute of Nutrition Jamai Osmania Tarnak

12. Dr. Ravindra Jayvant Zenda, Professor and Principal Investigator, Department of Veterinary Public Health Bombay Veterinary College Parel, Mumbai



13. Prof. F.A Masoodi,

Prof. (Food Technology/Home Science), University of Kashmir Srinagar, Department of Food Science & Technology University of Kashmir Hazratbal Srinagar

14. Dr. A.J Verma,

Scientist H & Head, Polymer Science and Engineering Division, National Chemical Laboratory, Pune

15. Dr. Sanjay Rajput,

Assistant Director, Incharge, SARC, Shriram Institute for Industrial Research 19, University Road

Panel 4- For Contaminants in food chain

- Dr. G. Vijayalakshmi, Scientist 'F', Food Microbiology Department Central Food Technological Research Institute, Mysore
- Dr. T.K. Srinivasa Gopal, Director, Central Institute of Fisheries Technology (ICAR), Matsyapuri, Cochin, Kerala
- Dr. Lata, Principal Scientist, Division of Microbiology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi
- 4. Dr. Vinod Kumar Joshi, Professor & Head (Post Harvest Technology) Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, HP
- Dr. Banwari Lal,
 Ph.D (Microbiology), Director, Environmental and Industrial Biotechnology, The Energy and Resources Institute, New Delhi.
- Dr. Sailen Ghosh,
 Scientific Officer G, Retired from Bhabha Atomic Research Centre, 805, Pine Wood, Raheja Willows, Kandavali (E), Mumbai
- 7. Dr. S.Kalbey Raza,
 Director, Institute of Pesticide Formulation Technology, (IPFT), Sector 20, Udyog Vihar, Opp.
 Ambience Mall, NH 8, Gurgaon
- 8. Dr. S. C. Jain,
 Director & Senior Research Co-ordinator, Amity Institute of Food Technology, I-1 Block, IV Floor,
 Amity University Campus, Sec- 125, Noida, Uttar Pradesh
- Dr. Vasudeva Singh, Scientist & Head, Dept. of Grain Science & Technology, CFTRI, Mysore
- Dr. JPS Gill, Director, School of Public Health and Zoonoses, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana



- 11. Dr. Alok Kumar Srivastava, Senior Principal Scientist, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, Mysore
- Sh. Narpinder Singh,
 Professor (Food technology) & Coordinator (UGC-SAP), Department of Food Science and Technology, Guru Nanak Dev University, Amritsar
- 13. Prof. S.S. Lele, Food Engineering & Technology Department, Institute of Chemical Technology, Matunga, Mumbai
- 14. Dr. S. D. Warrier, Retired Scientist 'E' BARC, Mumbai
- 15. Dr. M.S.Thakur, Chief Scientist, Fermentation Technology and Bioengineering Department, CFTRI, Mysore.

Panel 5- For Biological Hazards:

- 1. Dr PK Nag, Former Director, National Institute of Occupational Health (ICMR), B-83 Sun Breeze Tower, Gurukul, Ahmedabad
- Dr. K. Alagusundaram,
 Director, Indian Institute of Crop Processing Technology (IICPT), Pudukkottai Road, Thanjavur 613 005 Tamil Nadu,
- 3. Dr. Naresh Kumar,
 Principal Scientist, National Dairy Research Institute, House No. 988 Sec-6, Urban Estate Karnal Haryana,
- 4. Dr. Bhupender Singh, Principal Scientist, Nuclear Research Laboratory Indian Agricultural Research Institute, New Delhi
- 5. Dr. A Laxmaiah, Sr. Deputy director (Scientist 'F'), National Institute of Nutrition Indian Council of Medical Research, 17-112 Bharathi Apartment Flat No. 201 SBH Colony Uppal RR District Hyderabad
- 6. Dr. Suseelendra Desai, Principal Scientist, Central Research Institute for Dryland Agriculture, Santosh Nagar Saidabad PO Hyderabad
- 7. Dr. D Narasimha Rao, Scientist 'F' and Head of the Department, Central Food Technological Research Institute, CFTRI layout Bhogadi 2nd stage Msore
- Dr. Ravi Shankar CN, Principal Scientist and Head, Fish processing Division Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction Matsyapuri PO Cochin, kerala



9. Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar, Principal Scientist, Indian Veterinary Research Institute, Division of Veterinary Public Health Izatnagar Bareilly

Dr. Sunil Kumar Verma,
 Senior Scientist, Centre for Cellular and Molecular Biology, Habsiguda, Uppal Road, Hyderabad 500 007, Andhra Pradesh

 Dr. (Mrs) Ajit Dua,
 Senior Scientist, Technical Head Cum Quality Manager, Punjab Biotechnology Incubator Agri & Food Testing Facilities SCO:7&8, Phase V, Punjab

12. Dr. Kalpagam Polasa,
Director Incharge, Scientist 'F', Food and Drug Toxicology Research Centre National Institute of Nutrition, Jamai Osmania Post Tarnaka Hyderabad

13. Dr. T.V Sankar, Head & Senior Scientist, Division of Quality Assurance & Management, Central Institute of Fisheries Technology, Cochin

14. Dr. Y.D Gaur,
Professor of Eminence cum Executive Director, Bhagwan Parshuram Institute of Technology
Adjunct Professor (Microbiology) IARI New Delhi, D3/3565 Vasant Kunj New Delhi

15. Dr. Alok Jha, Professor & Head, Department of AH & dairying Banaras Hindu University, Institute of Agricultural Science Varanasi

Panel 6 -For (Pesticides/Antibiotic Residues)

 Dr. Debabrata Kanungo, Former Additional Director General Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Kshetra, House No.294, Sector-21 D, Faridabad

2. Dr. Paturkar Ashish Motiram, Professor and University Head, Bombay Veterinary College Highway park E/5, B wing 206, Thakur complex, Kandivali (E)

 Dr. B. Surendra Nath, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Hosur Road, Adugodi, Bangalore

4. Dr. Jai Raj Behari, Scientist F, Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow.

 Dr. K.K. Sharma, Network Coordinator, Project Coordinating Cell, All India Network Project on Pesticide Residues, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi Room No. 203, Second Floor, LBS Building, IARI, Pusa Campus, New Delhi



- 6. Dr. S.K. Handa, Ex- WHO Consultant, Ministry of Health, New Delhi
- 7. Dr. Gurudayal Singh Toteja, Scientist F and Head (Nutrition), Indian Council of Medical Research, New Delhi.
- 8. Dr. D. Yogeswara Rao, Adviser, Office of the Principal Scientific Adviser to Govt. of India, 313-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi
- Dr. Jonnalgadda Padmaja,
 Scientist D, Food & Drug Toxicology Research Centre, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad.
- Dr. A.K. Dikshit,
 Emeritus Professor/ Ex. Head, Professor & Principal Scientist, Division of Agricultural Chemicals,
 Indian Agricultural Research Institute (I.A.R.I.), Pusa, New Delhi
- 11. Prof B. Sashidhar Rao,
 Professor, Department of Biochemistry, University College of Science, Osmania University,
 Hyderabad
- Dr. Sunil Kumar Khare, Professor, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Hauz Khas, New Delhi
- 13. Dr. S Kalpana,
 Pharmacology and Toxicology Division, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly
- 14. Dr. Anu Appaiah KA,
 Principal Scientist, Food Microbiology, Central Food Technological Research Institute, Mysore
- Dr. R.K. Soni,
 Professor, Department of Social & Preventive Medicine, Dayanand Medical College & Hospital,
 Kothi No. 3741, Sector 32-A, Chandigarh Road, Ludhiana, Punjab

Panel 7-For (Labelling and claims/Advertisements)

- Dr. B. Sasikeran, Ex- Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad
- 2. Dr. Anupa Siddhu, Director, Lady Irwin College, New Delhi
- 3. Dr. Pullabhatla Srinivas, Scientist – G (Chief Scientist), CFTRI, Mysore Head, Plantation Products, Spices and Flavour Technology Department, Mysore



 Dr. RRB Singh, Dean (Dairy Technology) Bihar Agricultural University Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology Jagdeo Path, Patna

5. Dr. S. K. Khanna, Former Emeritus Scientist, Indian Institute of Toxicology Research 40/8, Gokhale Vihar Marg, Lucknow

6. Dr. Joseph I Lewis, Independent Consultant, C-602, Vastu Park, Malad West, Mumbai

Dr. Jamuna Prakash,
 Department of Food Science and Nutrition, University of Mysore.

8. Mr. Udai Kumar Saxena, Trainer & System Consultant in Independent Capacity, G-904, Maple Heights, C-Block Sushantlok-1, Gurgaon

9. Mr. Pramod B Deodhar, Mumbai Grahak Panchayat, Grahak Bhawan, Sant Dnyaneshwar Marg, Behind Cooper Hospital, Vile Parle (W.) Mumbai

 Dr. R.K. Jain,
 Scientist F & Head of Department, Chemical Recovery, Biotechnology & Lignin By-Products Division, Central Pulp & Paper Research Institute, (Ministry of Commerce & Industry, DIPP, Govt. of India) Po. Box. 174, Star Paper Mill Road, Himmat Nagar, Saharanpur

11. Dr. N.C Saha,
Director, Indian Institute of Packaging, E-2, MIDC Area, Andheri (E), Mumbai

 Dr. G. Subhulaxmi, Former Director, Post Graduate Dept. of Home Science SNDT Women's University, Mumbai

13. Dr. Pramod Kumar Omre, Senior Research Officer, Department of Post Harvest Process and Food Engineering College of Technology, G.B.P.U.A &T, Pantnagar

14. Dr. Y.K. Gupta, Head, Toxicology Department, AIIMS, Delhi

15. Ms Monica Rawat, FICCI, Federation House, Tansen Marg, New Delhi -110 001

Panel 8- For Genetically modified organisms and foods:

 Dr. S.R. Rao, Senior Advisor, Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi.



2. Dr. Ramesh V Bhat, (Former Deputy Director, NIN), M-11 Kakateeyanagar Habshiguda Hyderabad.

3. Dr. M Padmavati, Assistant Professor, Indian Institute of Technology, B-89, Kharagpur.

4. Prof. P Balasubramanian, Professor, Department of Plant Biotechnology, Centre for Plant Molecular Biology and Biotechnology, Tamil Nadu Agriculture University, Lawley Road, Coimbatore.

5. Dr. A.B. Dongre, Principal Scientist, Central Institute of Cotton Research, ICAR, Nagpur.

6. Dr. R P Singh, Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Roorkee.

7. Dr. Nandkishor Namdeorao Zade, Prof. & Head, Department of Veterinary Public Health, Veterinary College, Seminary Hills, Nagpur, Maharashtra -440 006.

8. Dr. Pradeep Singh Negi, Principal Scientist, CFTRI, Mysore-570020

9. Dr. K Satyanarayana, Scientist G, Indian Council of Medical Research, Ramalingaswami Bhawan Ansari Nagar, New Delhi – 110029.

10. Prof. Kalpana Joshi,57, Shriraj, Nataraj Society, Karve Nagar, Pune 411052.

11. Dr. DV Gokhale, National Chemical Laboratory, Dr. Homi Bhabha Road, Pune.

 Dr. GA Ravishankar,
 Vice President R&D, Life Sciences, and Professor of Biotechnology (VTU) Dr. C.D.Sagar Center for Life Sciences, Dayananda Sagar Institutions, Kumara Swamy Layout, Bangalore 560078.

 Dr. KS Prasad,
 Principal Scientist & In-charge Animal Nutrition Division, National Institute of Animal Nutrition & Physiology, Adugodi, Bangalore-560030.

 Prof. Rekha S. Singhal,
 Department of Food Engineering & Technology, Institute of Chemical Technology, Nathalal Parikh Marg Matunga, Mumbai 400019.

15. Dr. Vidya Gupta, Chief Scientist and Chair, Division of Biochemical Sciences, National Chemical Laboratory, Pashan Road, Pune.



Panel 9- For Fish and Fisheries Products:

- Dr. S. Ayyappan, Director General (ICAR) & Secretary (DARE) Krishi Bhavan, New Delhi
- 2. Prof. Dr. A. Ramachandran, Registrar, Cochin University of Science and Technology, Cochin
- 3. Dr Wazir S. Lakra, Director, Central Institute of Fisheries Education, Indian Council of Agricultural Research, PanchMarg, Off Yari Road, Versova, Andheri (W), Mumbai
- 4. Prof. S. Ramachandran, Former Director, Director, Institute for Ocean Management, Koodal Building, Anna University, Chennai
- Dr. N, Bhaskar Meat,
 Fish & Poultry Technology, Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore
- 6. Dr Jeyasekaran, G., Professor, Head Department of Fish Quality Assurance and Management, Fisheries College and Research Institute, Tamil Nadu Fisheries University (TNFU), Thoothukudi
- 7. Dr. T.K. Srinivasa Gopal,
 Director, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Willingdon Island, Matsyapuri P.O., Cochin
- 8. Dr. P. Jayasankar, Director, Central Institute of Freshwater Aquaculture, Kausalyanga, Bhubaneswar
- 9. Dr AP Sharma, Director, Central Inland Fisheries Research Institute, Monirampur (Post), Barrackpore, Kolkata
- 10. Dr. G. Syda Rao, Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O., Kochi
- Dr. A.G. Ponniah,
 Director, Central Institute of Brackishwater Aquaculture(ICAR), 75 Santhome High Road, RA
 Puram, Chennai
- Dr. S. Dam Roy, Director, Central Agriculture Research Institute (ICAR), Post Box No 181, Port Blair
- 13. Dr. J.K. Jena, Director, National Bureau of Fish Genetic Resources (ICAR), Canal Ring Road, P.O. Dilkusha, Lucknow
- 14. Prof. Mukhtar Ahmad, Professor, Department of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh
- Mr P Mohan Sundaram,
 Director, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue PB No. 4272, Cochin.



Food Safety and Standards Authority of India

3rd-4th Floor, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110002 Website : www.fssai.gov.in Toll Free helpline No. 1800112100